लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 24-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, सोमवार, 2 दिसम्बर, 1968/11 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 16, Monday, December 2, 1968/Agrahayana 11, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
451. दिल्ली की भूमि तथा गृह निर्माण समस्यायों पर डा० आशीष बोस का अध्ययन प्रतिवेदन	Dr. Ashis Bose's Study Report on Delhi Land and Housing Problems ..	865—869
452. ग्रामीण पेय जल संभरण जांच विभाग द्वारा सर्वेक्षण	Survey by Rural Drinking Water Supply Investigation Division ..	869—870
453. चीन में छापे गये जाली नोट	Fake Currency Notes Printed in China ..	870—877
455. भारतीय पूंजीपति द्वारा उत्प्रे-रकों (केटेलिस्टों) का उत्पादन	Manufacture of Catalysts by Indian Capitalist ..	877—880
458. राष्ट्रीय आय	National Income ..	880—881
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
454. मद्रास में जाली नोट चलाने वाले एक गिरोह का पता लगाया जाना	Counterfeit Currency Racket Unearthed in Madras ..	882
456. दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजना	Schemes sent by Delhi Administration ..	882
457. कम्पनियों में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाना	L. I. C. Investment in Companies ..	883
459. अरब देशों से तेल का आयात	Import of Oil from Arab Countries ..	883
460. आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears ..	884

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
461. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास पड़ी अप्रयुक्त आयातित मशीनें	Imported Ma chinesl ying unused with Oil and Natural Gas Commission	..	884—885
462. कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम	Kolar Gold Mining Undertakings	..	885—886
463. न्यू स्टेंडर्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	New Standard Engineering Co. Ltd., Bombay	..	886—887
464. घाघरा नदी का सर्वेक्षण	Survey of Ghagra River		887
465. जिला मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश की हसनपुर तहसील में बाढ़	Floods in Hasanpur Tehsil of District Moradabad, U. P.		888
466. पश्चिमी बंगाल द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिये सहायता की मांग	West Bengal's Demand for Assistance for Flood Control	..	888
467. हिसार के अधिवक्ता, श्री गुलाब सिंह जैन के कार्यालयों पर छापा	Raids on Offices of Shri Gulab Siugh Jain, Advocate, Hissar	..	888—889
468. सरकारी उपक्रमों में विनि-योजन	Investment in Public Undertakings	..	889—890
469. भोपाल में स्टेट बैंक की शाखा	State Bank's Branch at Bhopal	..	890
470. तारापुर संयंत्र से गुजरात का बिजली का हिस्सा	Gujarat's Share of Electricity out of Tarapur Plant	..	890—891
471. भविष्य निधि की राशियों का विनियोजन	Investment of Provident Fund Money		891
472. कपाड़िया (स्टेंडर्ड ड्रम) ब्रदर्स	Kapadiya (Standard Drum) Brothers	..	891—892
473. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के रूसी विशेषज्ञों के स्थान पर अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति	Replacement of Russian Experts Attached to Oil and Natural Gas Commission	..	892
474. विद्युत शवदाह गृह, दिल्ली	Electric Crematorium, Delhi	..	893
475. शान्ति सेना दल के स्वयंसेवक	Peace Corps Volunteers		893
476. मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन में झुनझुनवाला परिवार के अंशधारियों की आयकर का निर्धारण	Income Tax assessment in respect of Jhunjhunwala Families Having Shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation	..	893—894

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
477. नेफ्था का उत्पादन तथा खपत	Production and Consumption of Naphtha ..	894
478. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. ..	894
479. राज्यों को दुर्भिक्ष तथा बाढ़ में सहायता देने का आधार	Criteria for Assistance to States for Famine and Floods	895
480. पोर्ट केनिंग परियोजना में बेराइट्स पर अत्यधिक व्यय	Excessive Expenditure at the Port Canning Project on Barytes ..	895
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2780. चिकित्सा कालेजों में स्थान	Seats in Medical Colleges ..	896
2781. नई दिल्ली में धोबियों के लिये धोबी घाट तथा क्वार्टर	Construction of Dhobi Ghat and Quarters for Washermen in New Delhi ..	896
2782. खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण	Adulteration of Foodstuffs ..	896—897
2783. भारतीय प्रतिरक्षा लेखा विभाग	Indian Defence Accounts Department ..	897—898
2784. दिल्ली के चलचित्र वितरक	Film Distributors of Delhi ..	898
2785. फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों के पास लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money with Film People ..	899
2786. चलचित्र उद्योग में लगे लोगों से आयकर की बकाया राशि की वसूली	Realisation of Income Tax Arrears from Film People ..	899—900
2787. मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सहायक इन्जीनियरों की सेवायें प्राप्त करना	Requisitioning of services of P. W. D. Assistant Engineers of Madhya Pradesh ..	900
2788. मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित जल-विद्युत परियोजनायें	Hydro-Electric Projects in U. P. Constructed in the Border Area of M.P. ..	900—901
2790. वृहत् योजना का उल्लंघन करने वाले कारखानों के लाइसेंसों के नवीकरण के बारे में हिदायतें	Instructions about Renewal of Licences to non-conforming Factories ..	901—902
2791. कारखानों का वर्गीकरण करना	Classifications of Factories ..	902

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2792. दिल्ली में संकटमय तथा घृणोत्पादक कारखानों का स्थानान्तरण	Shifting of Hazardous and Obnoxious Factories in Delhi	902
2793. कुछ फर्मों द्वारा देय बकाया राशि	Arrears due from certain firms ..	903
2794. वित्त मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class IV Employees in Finance Ministry ..	903—904
2795. उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में अस्पतालों तथा प्रसूति गृहों तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की कमी	Shortage of Hospitals and Maternity and Child Welfare Centres in Almora (U. P.)..	904
2796. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	Central Water and Power Commission ..	904
2797. मध्य प्रदेश की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का चौथी पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया जाना	Inclusion of Medium Irrigation Projects of M. P. in Fourth Five Year Plan ..	904—905
2798. कीटनाशी औषधियों का प्रस्तावित कारखाना	Proposed Insecticide Factory ..	905
2799. एग्रोकेमिकल्स का उत्पादन तथा कृषकों को वितरण	Production and Distribution of Agrochemicals to Farmers ..	905—906
2800. फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार तथा फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख के विरुद्ध मुकदमा	Prosecutions against Film Actor Dilip Kumar and Film Actress Asha Parekh ..	906
2801. मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Madhya Pradesh ..	906—907
2802. सुनारों को सहायता	Assistance to Goldsmiths ..	!07
2803. फरक्का बांध में निर्माण कार्यों के लिए ठेकों का दिया जाना	Award of Contracts for Major Works in Farakka Barrage ..	907—908
2804. सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के लिए ठीक नीचे की श्रेणी का क्वार्टर दिये जाने संबंधी नियम का पुन: लागू किया जाना	Re-introduction of 'next below' Rule for Allotment of Government Quarters ..	908

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2805. पचकुइयां रोड, राजा बाजार, नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना	Allotment of Quarters to Government Employees at Panchkuin Road, Raja Bazar, New Delhi ..	908—909
2806. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जस्ते का आयात	Import of Zinc by Public Sector Undertakings ..	909—910
2807. अपमिश्रण की रोकथाम	Prevention of Adulteration	910
2808. हनुमानगढ़ (राजस्थान) में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Hanumangarh (Rajasthan) ..	910
2809. पूर्वी पाकिस्तान द्वारा बांध परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Barrage Projects in East Pakistan ..	910—911
2810. राजस्थान में पेय जल के लिये नल कूपों का खोदना	Sinking of Tube-wells for Drinking Water in Rajasthan ..	911
2811. किसानों के लिये बिजली की दरें	Rates of Electricity for Farmers ..	911—912
2812. अराजपत्रित कर्मचारियों को आवास सुविधायें	Housing facilities to non-gazetted Employees	912
2813. सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री द्वारा ए. सी. सी. सीमेंट कारखाने को चाक की बिक्री	Sale of Chalk by Sindri Fertilizer Factory to A. C. C. ..	912—913
2814. सिंदरी उर्वरक कारखाने द्वारा उर्वरक निर्माण की नई प्रक्रिया	New process of manufacturing Fertilizers by Sindri Fertilizer Factory ..	913
2815. उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) के निर्माण के लिये विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration for manufacturing Catalysts ..	913—914
2816. मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in M. P. ..	914—915
2817. स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय के विचाराधीन दिल्ली प्रशासन की योजनाएं	Schemes of Delhi Administration under consideration in Ministry of Health, Family Planning and Urban Development ..	915

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2818. मैसर्स रामलाल जवाहरलाल एण्ड कम्पनी, उज्जैन	M/s. Ramlal Jawaharlal and Co., Ujjain ..	915
2819. मैसर्स डोडसाल प्राईवेट लिमिटेड, बम्बई	M/s. Dodsal Private Ltd., Bombay ..	916
2820. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवार नियोजन सम्बन्धी आपरेशन	Family Planning Operations of Central Government Employees ..	916
2821. कर्मचारियों द्वारा परिवार नियोजन के तरीके अपनाना	Adoption of Family Planning methods by Officials ..	916
2822. उत्तर तथा दक्षिण बिहार में बिजली का उपभोग	Consumption of Electricity in North and South Bihar ..	916—917
2823. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बिहार के अधिकारी	Bihari Officers in Public Undertakings ..	917
2824. बराह क्षेत्र ऊंचा बांध तथा जल विद्युत परियोजना	Barahkeshtra High Dam and Hydel Power Projects ..	918
2825. आसाम स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड तथा एशियन आयल कम्पनी को गैस का सप्लाई किया जाना	Supply of Gas by Oil India Ltd. to Assam State Electricity Board and Asian Oil Co. ..	918—919
2826. आयल इंडिया लिमिटेड	Oil India Ltd. ..	919
2827. चौथी योजना में हरियाणा के लिये सिंचाई सुविधाएं	Irrigation Facilities for Haryana in Fourth Five Year Plan ..	919—920
2828. भारत में हृदयप्रतिरोपण के आपरेशन	Heart Transplantation Operations in India ..	920
2829. व्यास डिजाइन संगठन	Beas Design Organisation ..	920—921
2830. राज्य में आवास तथा नगरीय विकास के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for Housing and Urban Development to States ..	921
2831. उत्तर प्रदेश में आवास योजनाओं के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for Housing Schemes in U. P. ..	922
2832. उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्ती सफाई योजना	Slum Clearance Scheme in Uttar Pradesh ..	922

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2833. भारतीय तेल निगम द्वारा हिन्दी में प्रपत्रों आदि की छपाई	Printing of Forms etc. in Hindi by Indian Oil Corporation ..	923
2834. यमुना जल विद्युत परियोजना	Yamuna Hydel Project	923
2835. मदीना बिल्डिंग, हैदराबाद	Madina Building in Hyderabad	924
2836. केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन	Central Government Hospitals Enquiry Committee, Report	924
2837. दिल्ली में कालोनियों के मालिकों द्वारा कदाचार	Malpractices by Colonisers in Delhi ..	924—925
2838. जीवन बीमा निगम के निदेशक बोर्ड के सदस्य	Members of Board of Directors of Life Insurance Corporation ..	925—927
2839. जीवन बीमा निगम को हुई हानि	Loss Suffered by Life Insurance Corporation ..	927—928
2840. जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Staff in Life Insurance Corporation	928
2841. जीवन बीमा निगम के कार्य का मूल्यांकन	Assessment of Working of Life Insurance Corporation ..	928—929
2842. चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन पर व्यय	Expenditure on Family Planning during Fourth Five Year Plan ..	929
2843. देश के मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admissions in Medical Colleges of the Country ..	929—930
2844. छोटी बचत से वसूली	Small Savings Collection	930
2845. दामोदर घाटी निगम	Damodar Valley Corporation ..	930—931
2846. राज्यों द्वारा देय केन्द्रीय ऋण	Central Loans to States ..	931
2847. राज्यों के अनुदानों को ऋण में बदलना	Conversion of Grants to States into Loans ..	931—932
2848. कानपुर में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold at Kanpur ..	932—933
2849. श्री एस० पी० दीवान, यूनेस्को के प्रशासन अधिकारी	Shri S. P. Dewan, Administrative Officer of U. N. E. S. C. O.	933
2850. एक भारतीय सर्जन द्वारा सन्तति निरोध के एक उपाय का आविष्कार	Invention of a Birth Control Device by an Indian Surgeon ..	933—934

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2851. राष्ट्रीय स्तर पर वेतन अयोग	Pay Commission at National Level	934
2852. एर्णाकूलम केन्द्र में आग लगने से भारतीय तेल निगम को हानि	Loss to Indian Oil Corporation due to out break of fire ..	934
2853. उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के पवसारा गांव में अस्पताल बनाना	Opening of Hospital in Pawsara Village District Bulandshahr (U. P.) ..	934—935
2854. श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में आर्यसमाज मन्दिर का गिराया जाना	Demolition of Arya Samaj Temple at Srinivaspuri, New Delhi ..	935
2855. श्री कान्तिलाल देसाई की विदेशों की यात्रा	Travel Abroad of Shri Kanti Lal Desai ..	935—936
2856. अहमदाबाद स्थित कपड़ा मिलों द्वारा देय राशि का जमा न कराना	Failure of Textile Companies of Ahmedabad to pay deposits on maturity ..	936—937
2857. मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन में झुनझुनवाला परिवार के लोगों के हिस्से	Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation ..	937
2858. मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन में झुनझुनवाला परिवार के लोगों के हिस्से	Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation ..	937
2859. मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन में झुनझुनवाला परिवार के लोगों के हिस्से और उनके द्वारा अदा किया गया आयकर	Income-Tax paid by Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation ..	938
2860. मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन में झुनझुनवाला परिवार के लोगों के हिस्से और उनके सम्बन्ध में आयकर निर्धारण	Assessment of Income-Tax in respect of Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation ..	938
2861. रामजीलाल झुनझुनवाला की फर्में	Firms of Ramjilal Jhunjhunwala ..	938—939

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2862. मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s. Oriental Timber Trading Corporation ..	939
2863. मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholder of M/s. Oriental Timber Trading Corporation ..	939—940
2864. सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों में पशु रखने की अनुमति	Permission for keeping Cattle by Government Servants in Government Quarters ..	940
2865. राजस्थान में सूखे के लिए वित्तीय सहायता	Financial Relief for drought in Rajasthan ..	940—941
2866. देहातों का पुनर्गठन	Reorganisation of Villages ..	941
2867. परिवार नियोजन के उपायों का दुरुपयोग	Misuse of Family Planning Devices ..	941—942
2868. बट्टे खाते में डाली गई आय-कर की राशि	Income-Tax Written Off	942
2869. औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा वित्तीय सहायता देना	Disbursement of financial assistance by Industrial Financial Corporation ..	942—943
2870. उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन देना	Supply of Power Connections in Uttar Pradesh ..	943
2871 उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Health Department of U. P. ..	944
2872. उर्वरक कारखाना, गोरखपुर में कोयले की खपत	Consumption on Coal in Fertilizer Factory, Gorakhpur ..	944—945
2873. गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में नेवेजपुर अस्पताल का निर्माण	Construction of Newaispur Hospital in Gorakhpur Distt. U. P.	945
2874. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारी	Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Officials in I & P Ministry ..	945
2875. रूस की सहायता से तट-दूर प्लेटफार्म बनाना	Soviet offer for designing off-shore platforms ..	945—946
2876. सरकारी कर्मचारियों पर खर्च की गयी राष्ट्रीय आय	National Income spent on Government employees ..	946

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2877. स्टेट बैंक आफ इंडिया का कार्यकरण	Working of the State Bank of India ..	946—947
2878. विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा सामाजिक संस्थाओं को दान	Donations to Social Institutions by Indians Living Abroad	947
2879. बाढ़ नियंत्रण पर खर्च की गयी धनराशि	Expenditure on Flood Control measures ..	947—948
2880. दिल्ली में हृदय रोग उपचार संस्था	Heart Institute in Delhi ..	948—949
2881. प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की जीवन बीमा निगम पर रिपोर्ट	A. R. C. Study Team Reports on Life Insurance Corporation ..	949
2882. जीवन बीमा निगम के प्रीमियम में कमी	Reduction in L. I. C. Premia Rates ..	949
2883. उर्वरक व्यापार में उधार के लिए पुनर्वित्त व्यवस्था	Refinancing of Fertilizer Trade Credit ..	950
2884. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईरान में तेल की खोज	Oil Exploration in Iran by O. N. G. C. ..	950
2885. अमरीकी सहायता	U. S. Aid ..	950—951
2886. पेट्रोल तथा डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Petrol and Diesel Oil ..	951
2887. दिल्ली में बिजली की दर	Electricity Rates in Delhi ..	952
2888. दिल्ली में पानी की दर	Rates of Water in Delhi ..	952
2889. राज्यों द्वारा घाटे की अर्थ व्यवस्था करना	Deficit Financing in States ..	953
2890. भारतीय साड़ियों का चोरी छिपे श्रीलंका को ले जाना	Smuggling of Indian Sarees into Ceylon ..	953
2891. प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये सिसल (अमरीकी सन) तथा रस्सों का खरीदना	Purchase of Sisal and Ropes for Defence requirements ..	954
2892. बैंकों द्वारा समवायों को दिये गये ऋण	Loans given to Companies by Banks ..	954—955

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2893. भारतीय अनुसूचित बैंक	Indian Scheduled Banks ..	955
2894. आयकर के प्रयोजन के लिये स्वेच्छापूर्वक छिपी आय को प्रकट करना	Voluntary Disclosure of Incomes for Income-tax purpose ..	955
2895. कर-अपवंचन की सूचना देने वालों को पुरस्कार	Rewards to Informants of Tax evasion ..	955—956
2896. कच्छ के निकट निषिद्ध वस्तुओं का तस्कर व्यापार	Smuggling of Contraband Goods near Kutch ..	956
2897. बड़े परिवार वाले व्यक्तियों को सुविधायें बन्द करना	Stoppage of Facilities to persons having Large families	957
2898. धार्मिक संस्थाओं को प्लाट दिया जाना	Allotment of Plots to Religious Institutions ..	957—958
2899. साबिरिगिरी जल विद्युत परियोजना	Sabarigiri Hydro-Electric Project ..	958
2900. स्वर्ण नियंत्रण अध्यादेश के लागू होने के बाद पकड़ा गया सोना	Gold Seized since the Promulgation of Gold Control Ordinance ..	958—959
2901. आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा लगायी गयी पूंजी	Life Insurance Corporation's investment in Andhra Pradesh and U. P.	959
2902. श्री कान्ति देसाई द्वारा दिया गया पूंजी लाभकर	Capital Gains Tax Paid by Shri Kanti Desai ..	959—960
2903. सहायक सम्पदा प्रबन्धक	Assistant Estate Managers	960
2904. प्रेस एसोसियेशन आफ इण्डिया से किराये की वसूली	Recovery of Rent from Press Association of India ..	960—961
2905. मैंगनीज अयस्क पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Manganese Ore ..	961
2906. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Undertakings ..	962
2907. मध्य प्रदेश के अफीम के उत्पादकों को दिये मूल्य में से कटौती	Deductions from Price of Opium Paid to Cultivators in Madhya Pradesh	962

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

2908. अफीम की खेती के अन्तर्गत भूमि में वृद्धि	Increase in Acreage Under Opium Cultivation ..	963
2909. मैडिकल कालेजों में दाखिले के लिये एक समान अंक	Uniform marks for admission to Medical Colleges	963
2910. व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम बकाया आयकर की एक करोड़ और इससे भी अधिक राशि	Tax Arrears of individuals and companies amounting to Rs. One Crore and above ..	963—964
2911. नगर आयोजकों (टाउन प्लानर्स) की गोष्ठी	Seminar of Town Planners	964
2912. दुर्गापुर कैमिकल्स, दुर्गापुर में नियुक्त मजदूरों की सेवा की शर्तें	Conditions of Service of workers employed in Durgapur Chemicals, Durgapur ..	964—965
2913. पश्चिमी बंगाल में बोन हुगली के कुमार पी० एन० राय अस्पताल तथा पुनर्वास केन्द्र	Kumar P. N. Roy Group of Hospitals and Rehabilitation Centre, Bonhoogly (West Bengal) ..	965
2914. बोन हुगली, पश्चिमी बंगाल में कुमार पी० एन० राय अस्पताल समूह और पुनर्वास केन्द्र	Kumar P. N. Roy Group of Hospitals and Rehabilitation Centre, Bonhoogly (West Bengal) ..	965—966
2915. बोन हुगली, पश्चिमी बंगाल में कुमार पी० एन० राय अस्पताल समूह और पुनर्वास केन्द्र	Kumar P. N. Roy Group of Hospitals and Rehabilitation Centre, Bonhoogly (West Bengal) ..	966
2916. दुर्गापुर कैमिकल्स, पश्चिमी बंगाल	Durgapur Chemicals, West Bengal ..	966—967
2917. दिल्ली में सामूहिक आवास योजना	Group Housing Scheme in Delhi ..	967
2918. कैंसर के उपचार के लिये जड़ी-बूटियां	Herbs for Cancer Cure	967
2919. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजी गई योजनाएं	Schemes sent by Madhya Pradesh Government to the Central Water and Power Commission ..	967—968
2920. सरकारी उपक्रमों के लिये अर्जित की गई भूमि	Land acquired for Public Undertakings ..	969

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2921. बंगलों के बगीचों में सब्जियों तथा अनाज का उगाना	Growing of grains and vegetables in Bungalow gardens ..	969
2922. आयकर अपवंचन की सूचना देने वाले व्यक्ति	Informers of Income-tax Evasion ..	969—970
2923. उड़ीसा में सूखे की स्थिति	Drought Conditions in Orissa ..	970—971
2924. विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Vishakhapatnam	971
2925. होम्योपैथिक अनुसंधान संस्था	Homoeopathic Research Institute ..	971—972
2926. मैसर्स कियांगवन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	M/s. Kiangwan and Co. Ltd., Calcutta ..	972
2927. ब्रिटिश मशीन टूल मेकर्स इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange violations by British Machine Tool Makers India Ltd., Calcutta ..	972—973
2928. विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Vishakhapatnam	973
2929. माही नदी के जल का गन्दा होना	Pollution of River Mahi ..	973
2930. गुजरात में नैफ्था क्रैकिंग प्लांट	Naphtha Cracking Plant in Gujarat ..	974
2931. नैफ्था क्रैकिंग प्लांट	Naphtha Cracking Plants	974
2932. दिल्ली के इर्द-गिर्द उप-नगर	Satellite Towns around Delhi ..	974—975
2933. पोलियो का प्रकोप	High incidence of Polio	975
2934. बिहार के अस्पतालों में पोलियो की औषधि	Polio Medicine in Bihar Hospitals ..	975—976
2935. केरल के महालेखापाल	Accountant General, Kerala	976
2936. उर्वरक परियोजनाएं	Fertilizer Projects ..	976—977
2937. भाखड़ा नहर से गंगा नगर को पानी मुहैया करना	Supply of Water to Ganga Nagar through Bhakra Channel ..	977
2938. मैसर्स वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल के भारतीय एजेंट	Indian agents af M/s.Westinghouse Electric International Co. ..	977—978

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2939. हाजियों को ले जाने वाले पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for replacing Ships carrying Hajees ..	978—979
2941. बिहार के नहर वाले क्षेत्र में भूमि की सिंचाई की दरों में भिन्नता	Variation in Rates of Irrigation of Land in Bihar Canal Areas ..	979
2942. बम्बई के जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में कैथोलिक कर्मचारी संघ	Catholic Staff Associations in L. I. C. Offices of Bombay ..	980
2943. बिहार राज्य बिजली बोर्ड	Bihar State Electricity Board ..	980
2944. राजनीतिक तथा कार्मिक संघों के नेताओं को जारी किये गये 'पी' फार्म	'P' Forms issued to Political and Trade Union Leaders ..	980—981
2945. फिल्मी कलाकारों द्वारा आयकर की अदायगी	Income-tax Payment by Film Stars ..	981
2946. फिल्म उद्योग से संबंधित व्यक्तियों से कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from Film People ..	981—982
2947. बांदा जिला (उत्तर प्रदेश) में बबेरू के स्थान पर अस्पताल	Hospital at Baberu in Banda District (U. P.) ..	982
2948. कृष्णा नदी जल विवाद	Krishna River Water Dispute ..	982
2949. विदेशी चलचित्र वितरकों की आय निर्धारण	Assessment of Incomes of Foreign Film Distributors ..	983
2950. स्वर्णरेखा नदी की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के बारे में उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के इंजीनियरों की बैठक	Meeting of Engineers of Orissa and West Bengal for Flood Control Plans of Subrnarekha River ..	983—984
2951. बैंकों के कुकृत्य	Misdeeds of Banks	984
2952. बैंकों के कुकृत्य	Misdeeds of Banks ..	984
2953. समाधियों पर व्यय	Expenditure on Samadhis ..	984—985
2954. भारतीय तेल निगम में हानि	Loss in Indian Oil Corporation	985

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2955. केरल के पालघाट जिले में आभूषणों की दुकानें	Jewellery Shops in Palghat District, Kerala ..	985—986
2956. मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	Internal Financial Advisers in Ministries ..	986—987
2958. कलकत्ता कस्टम्स हाउस में निवारक अधिकारी	Preventive Officers in Customs House, Calcutta	987
2959. सरकारी क्वार्टरों का बारी से पहले आवंटन	Out-of-turn Allotment of Government Quarters ..	987—988
2960. पश्चिमी बंगाल के बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Flood-affected People of West Bengal ..	988
2961. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छिपी आय को प्रकट करने की योजनाओं से अर्जित आय	Revenue earned through Disclosure Schemes under Income Tax Act ..	988—989
2962. आयकर विभाग द्वारा छापे	Raids by Income-tax Department ..	989—990
2963. फोर्ड फाउंडेशन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को विमान की बिक्री	Sale of Aircraft by Ford Foundation to Madhya Pradesh Government ..	990
2964. सहकारी गृह-निर्माण सोसायटियों को शाहदरा रोड पर भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Cooperative House-building Societies in Shahdra Zone ..	991
2965. विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Staff of Willingdon Hospital, New Delhi ..	991—992
2966. देशी उर्वरक और कृषि रसायन परामर्शदायी सेवायें	Indigenous Fertilizer and Agro Chemical Consultancy Services ..	992
2967. नर्मदा सागर परियोजना के लिये धन का नियतन	Allocation for Narmada Sagar Project ..	993
2968. मैसूर की सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects of Mysore ..	993
2969. स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी कर्मचारी	Supervisory Staff of State Bank of India ..	993—994

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2970. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का समायोजित विकास	Coordinated Development of Ganga-Brahmaputra Basin ..	994
2971. ग्रामों का विद्युतीकरण	Rural Electrification	994—995
2972. मध्य प्रदेश के लिये नदी पम्प सिंचाई योजना	River-Pump Irrigation Scheme for Madhya Pradesh ..	995
2973. राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण योजनायें	Rural Electrification Schemes in Rajasthan	995—996
2974. उत्तर बंगाल में बाढ़ें	Floods in North Bengal	996
2975. रूसी तथा अमरीकी सहायता	Russian and American Aids ..	996—997
2976. पूर्वी पाकिस्तान में गंगा कोबाडक परियोजना के अध्ययन के लिये भारतीय इंजीनियरों का दौरा	Visit of Indian Engineers to study Ganga-Kobadak Project in East Pakistan ..	997—998
2977. कृषि वित्त निगम द्वारा गुजरात के लिये स्वीकृत ऋण	Loans Sanctioned by Agricultural Finance Corporation to Gujarat	998
2978. टीकमगढ़ जिला (मध्य प्रदेश) में ग्राम विद्युतीकरण	Rural Electrification in Tikamgarh District (Madhya Pradesh) ..	998—999
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
केन्द्रीय रक्षित पुलिस के लिये उड़ीसा का अनुरोध	Orissa's Request for Central Reserve Police ..	999—1001
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Calling Attention Notices (Procedure) ..	1001
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1001—1003
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	Land Acquisition (Amendment) Bill ..	1003
विधेयक पर राय	Opinions ..	1003
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे 1966-67 (रेलवे)	Demands for Excess Grants (Railways), 1966-67 ..	1003
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha ..	1003—1004
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक	Industrial Disputes (Amendment) Bill	1004
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As Passed by Rajya Sabha ..	1004

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— बाइसवां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings—Twenty-second Report	.. 1004—1005
दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक	Criminal and Election Laws Amendment Bill	.. 1005
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य	Report of Joint Committee and Evidence	.. 1005
भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Indian Railways (Second Amendment) Bill—Introduced	.. 1005—1006
गन्ना उत्पादकों की गिरफ्तारी के समाचार के बारे में	Re. Reported Arrest of Sugarcane Growers	.. 1007
राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक	State Agricultural Credit Corporation Bill	.. 1006, 1007—1037
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 1006
श्री पी० विश्वम्भरन	Shri P. Viswambharan	1006
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Sinha	.. 1007—1008
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	.. 1008—1011
खण्डों पर विचार	Clauses 2 to 48 and 1	.. 1011—1036
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	.. 1037
श्री मधु लिमये की लेखा याचिका के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में	Re. Supreme Court Judgement on Shri Madhu Limayes' writ Petition	.. 1020
सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Final Report of Road Transport Taxation Enquiry Committee	.. 1038—1039
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	.. 1038
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	1039
आयकर अधिकारियों की परीक्षा	Income-tax Officers' Examination	.. 1039
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	.. 1039—1041
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	.. 1042—1045

खण्ड 2 से 48 [illegible]

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 2 दिसम्बर, 1968/11 अग्रहायण, 1890 (शक)
Monday, December 2, 1968/Agrahayana 11, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

डा० आशीष बोस का अध्ययन प्रतिवेदन

*451. **श्री यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की भूमि तथा गृह-निर्माण समस्याओं को वैज्ञानिक आधार पर हल करने के बारे में डा० आशीष बोस द्वारा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) डा० आशीष बोस द्वारा किये गये अध्ययन की रिपोर्ट को अभी उन्हें अन्तिम रूप देना है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : What action Government have taken against those persons who bought lands @ Rs. 4 per sq. yard and sold them @ Rs. 400 or 450 per sq. yard ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जमीन सरकार द्वारा खरीदी जाती है और उसे विकसित किया जाता है। आम नीति यह है कि उसके बाद उसे नीलाम कर दिया जाता है। सरकार कुछ भूमि पूर्व

निर्धारित दरों पर उन व्यक्तियों को देने के लिये रख लेती है जिनकी भूमि दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन, उसके विकास तथा बिक्री सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में अर्जित की गई है। उसके बाद वे उद्योगपति आते हैं जिन्हें वर्तमान स्थानों से अपने कारखाने हटाने के लिये कहा जाता है और तीसरे नम्बर पर निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोग और सहकारी गृह-निर्माण समितियां और उद्योगपतियों तथा निर्माताओं की सहकारी समितियां आती हैं।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली में मकान तथा भूमि की समस्या गत वर्षों में काफी गम्भीर बन गई है। दिल्ली की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है परन्तु मकानों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। 1960 में जब मास्टर प्लान तैयार किया गया था तो 50,000 मकानों की कमी थी। मास्टर प्लान के अनुसार प्रति वर्ष 30,000 मकान बनाने पड़ेंगे और पिछली कमी को पूरा करने के लिये 50,000 मकान बनाने पड़ेंगे। दामों में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि मास्टर प्लान निर्माताओं के अनुमान से कहीं अधिक हुई है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उस भूमि को जो उसने अर्जित की है भावी मकान निर्माताओं को, चाहे वे सहकारी समितियों में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग हों, न लाभ न हानि के आधार पर देने के लिये तैयार है? अब तक वे कृषकों से 2 रुपये प्रति वर्ग गज जमीन खरीदकर 20 से 40 रुपये प्रति वर्ग गज पर बेचते रहे हैं और इस तरह भारी मुनाफा कमाते रहे हैं। मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या वे न लाभ न हानि आधार पर सहकारी समितियों को वह भूमि देंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि 15 करोड़ रुपये की एक आवर्तक निधि बनायी जाये जो दिल्ली प्रशासन के पास रहे जिसमें से प्रशासन मकान बनाएगा और उन्हें किराया खरीद आधार पर कम आय वर्ग के लोगों को देगा और इस तरह जो पैसा प्राप्त होगा वह पुनः मकान बनाने में लगाया जायेगा?

मैं इन दोनों प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : यह प्रश्न तो डा० आशीष बोस के प्रतिवेदन के बारे में है।

श्री बलराज मधोक : उस प्रतिवेदन में ये सब बातें हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : ठीक है। इस समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और जब तक प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक कुछ कहना असम्भव है। बहुत से सुझाव आये हैं। आवर्तक निधि बनाने का भी सुझाव आया है। वित्त मंत्रालय को पैसे की व्यवस्था करनी है। हम और क्या कर सकते हैं?

श्री म० ला० सोंधी : क्या मंत्री महोदय इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में आवास स्थिति के लिये भारत सरकार जिम्मेदार है? यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को मई 1967 में प्राप्त हो गया था। यह प्रतिवेदन तो अन्तिम है। इसके प्रकाशन से

इसमें कोई अन्तर नहीं होने वाला है। इस प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्ध रखती हैं। उनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया गया है। दिल्ली में भूमि की सट्टेबाजी दिल्ली से बाहर के कुछ निहित स्वार्थों द्वारा की जा रही है जो दिल्ली में सक्रिय हैं और यह मंत्रालय उनके दबाव में है।

श्री ब० सू० मूर्ति : यह मंत्रालय किसी के दबाव में नहीं है। माननीय सदस्य को गलतफहमी है कि निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय को यह प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था।

श्री म० ला० सोंधी : राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन इस मंत्रालय के अन्तर्गत है और यह प्रतिवेदन मई 1967 में प्राप्त हुआ था।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं सारी बात को स्पष्ट किये देता हूं। निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने "दिल्ली में नगरीय भूमि के सट्टा मूल्यों का अध्ययन" विषय आर्थिक विकास संस्था, दिल्ली को भेजा था। यह काम डा० आशीष बोस को सौंपा गया और 1965 के मध्य में उस संस्था को इस अध्ययन के लिये 13,700 रुपये का सहायक अनुदान दिया गया। डा० आशीष बोस ने 1967 के मध्य में इस प्रतिवेदन को राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को भेजा। उन्होंने उस पर विचार किया और अपनी टिप्पणियों के साथ उसे डा० आशीष बोष को जांच हेतु लौटा दिया।

श्री म० ला० सोंधी : सभा को गुमराह किया जा रहा है। मंत्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैंने उन्हें सही जानकारी दी है। माननीय सदस्य हमारे रिकार्ड देख सकते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : यह प्रतिवेदन प्राप्त हुए $1\frac{1}{2}$ साल हो गया है। हम अन्तिम स्थिति जानना चाहते हैं।

श्री ब० सू० मूर्ति : डा० आशीष बोस ने राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को प्रतिवेदन पेश नहीं किया है। परन्तु इस बीच डा० बोस ने 8 और 9 जुलाई को दो व्याख्यान दिये। उस बैठक में उनके व्याख्यान के बाद कुछ विशेषज्ञों ने उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया।

श्री म० ला० सोंधी : सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। व्याख्यान तो मैं भी रोजाना देता हूं।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं कि वे इसे सिद्ध करें।

श्री म० ला० सोंधी : मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आप एक मध्यस्थ नियुक्त कर दें और मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि सटोरियों के हित में जो इस नगर को तबाह करना चाहते हैं इस प्रतिवेदन को दबाया गया है। यह एक बड़ा अपराध है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Master Plan is an obstacle in the way of construction of new houses in the capital and the unauthorised colonies are not regularised. Do Government propose to take any action for modifying the Master Plan and if so, by when ?

Government has acquired 80,000 acres of land under sections 4 and 6 since 1955. The result has been that neither any private agency nor anybody else can construct any house there. Lands have been acquired in unauthorised colonies also. The corporation has also requested that unless certain lands are exempted from the operation of sections 4 and 6, it is difficult to carry on. Will the hon. Minister withdraw sections 4 and 6 from the places where it is necessary to do so ?

Do Government propose to set right the working of D.D.A. and associate some Members of Parliament with it ?

Shri Satya Narayan Sinha : Just now Shri Sondhi spoke about the report of Dr. Ashis Bose. There is nothing to suppress about it. He only submitted a tentative report. Later he organised a seminar and many comments and criticisms were made on his lectures which were based on his report. He himself expressed his desire to recast the whole report in the light of those comments and criticisms.

He wanted to submit it by July-August. But it has not been submitted so far.

So far as Shri Gupta's question is concerned, it is a very vital question. So much land has been acquired, when it would be developed—it is a relevant question. But I want to narrate first of all what we have done through the D. D. A. ......

Shri S. M. Joshi : First tell us whether Government propose to amend the Master Plan or not ?

Shri Satya Narayan Sinha : The Master Plan has received cabinet's sanction and unless it is decided to change it, I cannot answer it.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Municipal Corporation, the D. D. A. and the Delhi Administration have requested time and again that the Master Plan needs modification at certain places.

Shri Satya Narain Sinha : I have said that no specific dicision has so far been taken about it.

We are ourselves not satisfied with the performance of the D. D. A. So far 252 flats and 12, 515 plots have been developed. Out of them 8,995 plots have been sold to the public........

Shri Kanwar Lal Gupta : How many have been developed out of them ? Only 80 plots have been developed out of 8,000 plots on which Rs. 3 crores have already been incurred as administrative expenses so far. Kindly save Delhi from ruin ......

श्री म० ला० सोंधी : यह एक गम्भीर मामला है । उप-प्रधान मंत्री भी यहां पर बैठे हैं । इसका संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा निवेदन है कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना सुझाव लिख कर दें। यदि कोई अनियमितता होगी तो मैं सरकार से उसे स्पष्ट करने के लिए कहूंगा।

ग्रामीण पेय जल सम्भरण जांच विभाग द्वारा सर्वेक्षण

*452. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये विशेष जांच विभाग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो 1968-69 के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जम्मू व काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों ने कठिन तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में ग्राम जल पूर्ति के लिए सर्वेक्षण और प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है।

(ख) 40 लाख रुपये।

श्री हेमराज : ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा एक बुनियादी सुविधा है और कुछ पहाड़ी तथा अभाव वाले क्षेत्रों में पानी लाने के लिये लोगों को 5-6 मील जाना पड़ता है। पीने के पानी के लिये चौथी योजना में कितनी राशि रखी जायेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सर्वेक्षण के अनुसार 543,343 गांवों में से 215,989 गांवों को पानी सप्लाई करने पर 717 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

श्री हेमराज : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के विचार में सभी गांवों के लिये पानी की व्यवस्था कब तक तथा किस योजना अवधि तक हो जायेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : चौथी योजना में 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। कोई सही तिथि बताना असम्भव है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has stated that about 2,15,000 villages will be provided with drinking water facilities along with the expenditure to be incurred thereon. I want to know the break-up state-wise. By what time all the villages are likely to be provided with this facility ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Sinha) : In scarcity and hilly areas, where wells are to be dug in rocks, and in areas with brackish water, about Rs. 1000 crores are required for making provision of drinking water

in about 2 lakh villages according to present estimates. In the fourth Plan a provision of Rs. 140 crores has been made for this purpose. It is a question of simple arithmetic. With a provision of Rs. 130-140 crores it will take four or five Plans to complete this work.

श्री वासुदेवन नायर : उपमंत्री तथा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों में कुछ अन्तर है। उपमंत्री ने 717 करोड़ रुपये बताये हैं और मंत्री महोदय ने 1000 करोड़ रुपये बताये हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : कोई अन्तर नहीं है। 700 करोड़ रुपये का अनुमान 4-5 साल पहले का है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिमी बंगाल के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी, कितनी वास्तव में खर्च हुई और चौथी योजना में कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : चौथी योजना हमारे सामने नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रारूप में कोई सुझाव दिया गया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं प्रारूप के सुझाव पर चर्चा नहीं कर सकता।

चीन में छापे गये जाली नोट

+

*453. **श्री प्र० के० देव :**
श्री एन० शिवप्पा
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **विधि** मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1968 में नेपाल में जनकपुर क्षेत्र में चीन में छपे जिन नोटों का पता लगा है उनके बारे में बिहार सरकार से रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने पायें ; और

(घ) क्या इस मामले को चीन सरकार के साथ उठाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) यह घटना नेपाल में हुई थी। जैसा कि बताया जा चुका है, बिहार पुलिस ने सीमावर्ती पुलिस को सावधान कर दिया है। जाली करेंसी नोट और बैंक नोट बनाने के अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आते हैं और उक्त संहिता में सख्त सजा दिये जाने की व्यवस्था है।

केन्द्रीय जांच कार्यालय ने भी अर्थ-सम्बन्धी अपराध प्रशाखा में इस उद्देश्य से एक कक्ष

(सेल) खोला है कि वह जाली मुद्रा तैयार करने के घोर अपराधों की जांच-पड़ताल करे और राज्यों में की जाने वाली जांच-पड़ताल के काम में समन्वय स्थापित करे ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

बिहार सरकार ने बताया है कि उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पड़ताल चौकी (चेक पोस्ट) अधिकारी, सरसन्द ने फरवरी, 1968 में मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक (पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट) को यह रिपोर्ट दी थी कि नेपाल के धनका जिले के पुलिस थाना जनकपुर के बरहरवा गांव के दो व्यक्तियों के कब्जे में दस दस रुपये के जाली भारतीय करेंसी नोट पाये गये थे और वे व्यक्ति 5 फरवरी, 1968 को गिरफ्तार कर लिये गये थे । मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने जनकपुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले के सम्बन्ध में लिखा और यह अनुरोध किया कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्योरा और उनसे बरामद किए गए नोटों को जांच के लिये भेज दें, पर मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक को इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं मिला । बाद में, जब जनकपुर के पुलिस अधीक्षक किसी दूसरे मामले के सम्बन्ध में मुजफ्फरपुर आये तो उन्होंने जाली भारतीय नोटों के पकड़े जाने की सूचना की जबानी पुष्टि की और यह भी बताया कि जाली नोटों की छपाई बढ़िया किस्म की मालूम होती है । बिहार सरकार को ये नोट नहीं मिले और वह उनकी जांच कराने के लिये उन्हें प्राप्त करने की कोशिश में थी ।

लेकिन, उसके बाद, केन्द्रीय जांच कार्यालय को नेपाल के राष्ट्रीय केन्द्रीय कार्यालय से एक जाली नोट प्राप्त हुआ और उसने उसे जांच के लिये विशेषज्ञों के पास नासिक भेज दिया । बताया गया है कि अपराधियों ने नेपाल में यह बयान दिया है कि उन्हें ये नोट कलकत्ते में मिले थे ।

श्री प्र० के० देव : जबकि भारतीय मुद्रा का आन्तरिक मूल्य दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और इसकी क्रय शक्ति भी गिरती जा रही है, यह बहुत चिन्ता का विषय है कि बहुत बड़ी मात्रा में जाली नोट चल रहे हैं । मंत्री महोदय के वक्तव्य में एक बात के बारे में कि क्या ये जाली नोट चीन में तैयार किये गये थे, स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया । विवरण से हमें पता लगता है कि पकड़े गये ये दस रुपये के जाली नोट अभियुक्त को कलकत्ता में प्राप्त हुये थे । समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों तथा अन्य रिपोर्टों से हमें मालूम हुआ है कि अनेक व्यक्ति यह काम करते हैं । समाचारपत्र की कतरन से मुझे पता चला है कि एक चलचित्र निर्माता से भी 1,000 रुपये के लगभग 2 लाख नोट पकड़े गये थे—फिल्म में एक दृश्य में नायक हजार रुपये के नोटों में दब जाता है ।

क्या भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त उपबन्ध हैं अथवा क्या सरकार उन्हें और अधिक कठोर बनाना चाहती है ? केन्द्रीय जांच कार्यालय में एक कक्ष खोलने के अतिरिक्त सरकार ने विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, क्या कार्यवाही की है ताकि जाली नोट भारत में न आ सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन गतिविधियों की व्यापकता के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जो उसे इन्टरपोल के जरिये नेपाल के केन्द्रीय ब्यूरो से प्राप्त हुई है, एक मामले में 2,910 रुपये के जाली नोट और एक अन्य मामले में 665 रुपये के जाली नोट पकड़े गये थे।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि ये चीन में छपे थे या नहीं, हमें इंटरपोल के जरिये दो नोट मिले हैं, एक दस रुपये का और दूसरा पांच रुपये का नोट और विशेषज्ञों की राय जानने के लिये इन्हें गवर्नमेंट सीक्यूरिटी प्रेस, नासिक भेज दिया गया है......

श्री रंगा : कब ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बहुत पहले नहीं, हाल ही में। सारी घटना हाल की ही है अर्थात् 1968 की। उनकी जांच की जा रही है। अभी तक यह स्थानीय जालसाजी मालूम होती है लेकिन कोई निश्चित बात कहने से पहले हम अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे।

जहां तक केन्द्र द्वारा अन्य कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, यह राज्यों से सम्बन्धित विषय है और इसके लिये उन्हें कार्यवाही करनी होगी। इस समय भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री प्र० के० देव : हाल में दस रुपये के बहुत भारतीय नोट चल रहे हैं जिनपर "on demand" (मांगने पर) शब्द अंकित नहीं है केवल यह लिखा है कि "मैं धारक को दस रुपये देने का वचन देता हूं।" इस प्रकार सामान्य से भिन्न प्रक्रिया अपनाई गई है। क्या ये जाली नोट हैं अथवा नासिक प्रेस में ही ये गलत बनाये गये हैं और "on demand" शब्द निकाल देने के क्या कारण हैं ; क्या यह जानबूझकर किया गया है अथवा क्या यह सिद्ध होगा कि मांगने पर सरकार देने की स्थिति में नहीं है और वह केवल अपनी सुविधा के अनुसार रुपए देने के लिए सहमत होगी जिससे सरकार का दिवालियापन सिद्ध होता है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जिन नोटों का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, यदि वे मेरे पास उन्हें भेजें तो मैं, देखकर उनकी बात का उत्तर दे सकता हूं।

श्री प्र० के० देव : उस नोट का प्रेस फोटोग्राफ यह रहा।

श्री मोरारजी देसाई : प्रेस फोटोग्राफ ठीक है ; वह आपने देखा है। आप केवल प्रेस फोटोग्राफ देखते हैं मुझे तो वास्तविक चीज देखनी होती है। इसके बिना मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं ?

श्री पीलु मोडी : सभी नये नोटों पर ये शब्द नहीं होते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : ठीक है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि यह कहा जाता है कि "on demand" शब्द निकाल दिये गये हैं, तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि यह कहा गया है कि "मैं अमुक राशि देने का वचन देता हूं" ; इसका अर्थ हुआ कि मांगने पर

ही यह दी जायेगी। यह लिखा क्यों जाना चाहिए ? यदि वर्षों तक फालतू शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि वे आवश्यक हैं। जब हम जानते हैं कि यह सच है, यह आवश्यक नहीं है। इसका किसी जालसाजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि कोई अन्य शब्दों की नकल कर सकता है, तो इनकी भी नकल कर सकता है।

श्री रंगा : इन दो शब्दों को क्यों निकाला गया ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे फालतू थे।

श्री रा० बरुआ : राज्य मंत्री ने एक पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि यह राज्य का विषय है। लेकिन साथ ही भारतीय मुद्रा वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित विषय है। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जाली नोट नागालैण्ड तथा अन्य पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और यदि हां, तो राज्य सरकारों को सौंपने के अतिरिक्त क्या अन्य कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यद्यपि यह राज्यों का विषय है ; मैंने यह नहीं कहा कि केन्द्र को इस समस्या में रुचि नहीं है। केन्द्र को अवश्य ही रुचि है और केन्द्रीय जांच कार्यालय पकड़े गये जाली नोटों के तैयार करने के नये तरीके आकार आदि का निरन्तर अध्ययन करता है और उनका पुनर्विलोकन करता है। जैसाकि मैंने मूल उत्तर में भी कहा है, केन्द्रीय जांच कार्यालय ने अर्थ-सम्बन्धी अपराध प्रशाखा में इस उद्देश्य से एक कक्ष (सैल) खोला है कि वह जाली मुद्रा तैयार करने के घोर अपराधों की जांच पड़ताल करे और राज्यों में की जाने वाली जांच पड़ताल के काम में समन्वय स्थापित करे ताकि प्रत्येक राज्य द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी का उचित उपयोग किया जा सके।

श्री क० लकप्पा : श्रीमान्, जाली नोटों की छपाई देश में एक बड़ी जालसाजी के रूप में की जा रही है। और यह देश में दावानल की तरह फैल रही है जाली नोटों का चलन बढ़ता जा रहा है और मैसूर राज्य में वे अनेक मठों के जरिये परिचालित किये जा रहे हैं और इसमें अनेक स्वामियों का हाथ है और अनेक आरोप-पत्र दायर किये गये हैं। केवल बिहार में ही जाली नोटों के मामले नहीं हुए हैं। ये मामले कन्या कुमारी से काश्मीर तक फैलते जा रहे हैं। कांग्रेसी मंत्री भी यह अपराध कर रहे हैं, मैसूर राज्य में ही, और आपकी अनुमति से मैं उनके नाम बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। अनुपूरक प्रश्न में आपको गम्भीर आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपका प्रश्न ग्राह्य नहीं है। आप केवल प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

श्री क० लकप्पा : क्या भारत सरकार देश में स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए ऐसे मामलों का पता लगाने के लिये इस सम्बम्ध में एक जांच आयोग नियुक्त करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : जांच की जाएगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जांच की जाती है। लेकिन जांच आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri D. N. Tiwary: Many bazars are held on Bihar-Nepal border, where people from Bihar also make purchases. Fake notes are circulated there and the poor villagefolk, who are unable to distinguish between a fake note and a genuine note, fall a prey to it. Such people are prosecuted and harassed. What steps are being taken by Government to avoid harassment of common people in this matter?

Shri K. C. Pant: There have not been many cases of arrests of people in this connection or seizure of notes in Bihar. Only 20 cases were registered from 1st April to 30th June, 1968 and Rs. 909 were seized. Thus they are not many cases. If the Hon. Member has any knowledge of some specific cases, let him pass on the information.

Shri George Fernandes: Mr. Speaker, Sir, the Hon. Deputy Prime Minister has stated that the words "on demand" were deleted being redundant. In reply to an unstarred question of mine some 15 days back, the Hon. Minister had stated that 'on demand' words were deleted for want of space. I would like him to clarify the point whether these words have been deleted for want of space or on account of being redundant.

Shri Morarji Desai: Nothing essential is being deleted for want of space. Space has to be provided for that and it has been deleted as it is not necessary and the space thus saved has been utilised.

Shri George Fernandes: It has been stated in the reply laid on the table that the accused had stated that the notes were obtained by them in Calcutta. The Hon. Minister says that it is a state subject and whatever action is to be taken in regard to counterfeit currency, it is for the State Government to decide. Since various types of illegal trade is being carried on through Nepal and there is ample proof that counterfeit currency is coming to India through Nepal, have you or C. B. I. in Calcutta or State Government made any enquiry about the persons whose names were given by the Nepalese and if not, the reasons therefor?

Shri K. C. Pant: I have already said that C. B. I. is enquiring into it and the persons who have made allegations are not Nepalese but Indians who have gone there.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या भारत सरकार के पास उपलब्ध पकड़े गये जाली नोटों के रिकार्ड से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि जाली नोटों की राशि बढ़ रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उससे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता । वास्तव में 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1968 तक 112,776 रुपये के जाली नोट पकड़े गये थे और 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक 7,606 रुपये के जाली नोट पकड़े गये ।

Shri Jagannath Rao Joshi: I had visited Nainital District last month. I was told by the local people there that some notes printed in China find their way into that area through Tibet and some people were arrested in this connection. Since it is the constituency of the Hon. Minister himself, may I know if he has any knowledge of it and if so, what action has been taken in this regard?

Shri K. C. Pant: We have received such information. But in reply to some earlier questions it was stated that complaint was received in regard to Eastern India about entry of

such notes. C. B. I. enquired into the matter. It did not prove that a large number of notes have found their way into the country.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामान्यतः चीन में बनाये गये जाली नोट पूर्वी भारत के कुछ भागों में आ रहे हैं—वे आसाम में भी उपलब्ध हैं ; नेफा में चीनी सिक्के भी मिल रहे हैं ; मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है—और वे पूर्वी क्षेत्रों में आसानी से आ रहे हैं और अभी हाल में उप-प्रधान मंत्री ने हमें बताया था कि वे नेपाल और भारत के बीच सीमा बन्द करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई प्रगति हुई है ? क्या उनका विचार सीमा को बन्द करने अथवा उन जरियों को बन्द करने का है, जिनसे ये नोट और सिक्के ही नहीं अपितु चीनी हथियार आदि भी भारत में आ रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे नहीं मालूम कि मैंने कहा था कि कि मैं सीमा को बन्द करने की बात सोच रहा हूं। मैंने तो केवल यह कहा था कि हम कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ऐसी बातें न हों। हम तो यही कहते हैं। हाल में यहां से एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल गया ; उन्होंने बातचीत की थी ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके ; और नेपाल सरकार ने कुछ उपाय स्वीकार किये हैं और इसलिये हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये चीजें बन्द हो जायेंगी।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार को इन मामलों में अवश्य चिन्ता हो जाती है क्योंकि ऐसे मामले में सन्तोष से बैठा नहीं रहा जा सकता। इस विशेष प्रयोजन के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय जांच कार्यालय में बनाया गया सेल केवल अनुसंधान के लिए नहीं है बल्कि इन सब बातों की जांच करने के लिये भी है। सीमा शुल्क अधिकारी सभी जगह जांच-पड़ताल करते हैं और ऐसे लोगों को यथाशीघ्र पकड़ने के लिये सभी लोगों को सतर्क किया जाता है। यह तो हमेशा चलती रहने वाली परेशानी है, जो चलती रहेगी। लेकिन हमें इसे कम से कम कर देना है और यही हमारा प्रयास रहा है।

श्री हेम बरुआ : दुर्भाग्य से केन्द्रीय जांच कार्यालय उनके मंत्रालय के नहीं अपितु गृह मंत्रालय के अधीन है।

श्री मोरारजी देसाई : केन्द्रीय जांच कार्यालय सरकार के अधीन है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मुझे ऐसा मालूम देता है कि इस समस्या पर अपेक्षित गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। इन जाली नोटों के सम्बन्ध में 5 फरवरी, 1968 को व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तब से 10 महीने व्यतीत हो चुके हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि हाल में कार्यवाही आरम्भ की गई थी। मैं विश्वास करता हूं कि वे केवल इसके महत्व को बिल्कुल कम कर रहे हैं। 10 महीनों की अवधि को कम नहीं कहा जा सकता। क्या पकड़े गये व्यक्तियों ने, जिनसे गहरी पूछ ताछ की गई थी, स्पष्ट रूप से यह कहा है कि ये नोट चीन में छापे गये थे ? यह एक गम्भीर मामला है, और यदि ये नोट चीन में छापे गये थे, तो इससे भारत

के प्रति चीन के रवैये का एक नया रूप सामने आता है और इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यदि सरकार इस पूछताछ से सन्तुष्ट है कि ये नोट चीन में छपे थे, तो क्या वे चीन को यह बताने के लिये तैयार हैं कि हम इस स्थिति को सहन नहीं कर सकते हैं और जब तक वह बिना शर्त क्षमा याचना नहीं करता, उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं रखे जा सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य का सारा तर्क गलत है। उनका कहना है कि हमने अधिक समय लिया है। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि ये लोग नेपाल में नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये थे। बिहार सरकार उन्हें लिखती रही है और स्मरण कराती रही है और हम भी अपनी ओर से बिहार सरकार को लिखते रहे हैं। केन्द्रीय जांच कार्यालय ने उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। काफी प्रयत्न के बाद जो भी जानकारी हमें मिल सकी है, वह मैंने सभा को दे दी है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : पूछताछ का क्या परिणाम निकला ? क्या उन्होंने हमें बताया कि ये नोट चीन में छापे गये थे ?

श्री मोरारजी देसाई : हमें कैसे मालूम हो सकता है ? वे उनके अभियुक्त हैं ?

Shri Shiv Charan Lal: May I know whether these people are also smuggling into the country pen, watches etc. together with the forged currency notes, which are sold at Agra in large numbers in collusion with your inspectors ? Since last 20 years, when this Government came into power, you have been saying that you are taking preventive measures but you have achieved nothing. Will you organise raids at Agra and haul up such smugglers and blackmarketeers ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं शीघ्र ही इस सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करने वाला हूं जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यापारियों को अपना स्टाक बताना होगा और यदि हमें पता चला कि उन्होंने कोई चीज बेची है जिसका वे हिसाब नहीं दे सकते, हम उनका स्टाक जब्त कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभा इसे शीघ्र स्वीकार कर लेगी और ऐसा करने में मेरी सहायता करेगी।

श्री हेम बरुआ : आप लोगों का पता कैसे लगायेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : एक-दो महीने वे ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद उनके लिये कोई उपाय नहीं रह जायेगा।

श्री लोबो प्रभु : क्या मंत्रालय ने इस बात पर विचार किया है कि नोटों का आकार कम करने से जाली नोट बढ़े नहीं हैं क्योंकि आकार छोटा होने के कारण उनका पता लगाना कठिन हो जाता है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं मानता कि आकार से पता लगाने में सुविधा अथवा कठिनाई होती है। सभी पहलुओं पर विचार करके उपयोगिता को कम किये बिना आकार छोटा किया गया है और इससे व्यय में काफी कटौती हुई है।

Shri Ram Charan : Has it come to the notice of Government that these counterfeit currency notes are not being smuggled into the country from abroad but some spying agencies in India are printing these notes ?

Shri K. C. Pant : If it comes to our notice that notes are smuggled, we will stop it.

श्री मुहम्मद इमाम : जैसा कि बताया जा चुका है, जाली नोट बनाना दक्षिण में वस्तुतः एक कुटीर उद्योग बन गया है। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया अनेक मामले पकड़े गये हैं। क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि इस समय कितने जाली नोट चलन में हैं ? क्या उन्होंने इसके लिये भी कार्यवाही की है कि भोले भाले लोगों को धोखा न दिया जाये ? क्या पहचान के कोई चिह्न हैं जिनसे पता लगाया जा सके कि नोट जाली हैं अथवा असली ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : प्रश्न का अन्तिम भाग मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन यदि माननीय सदस्य सही दृष्टि से इस मामले को देखें तो मैं बता चुका हूं कि कितने नोट पकड़े गये हैं, उदाहरण के लिये 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक 7606 रुपये के नोट पकड़े गये। यदि वे चलन में नोटों की राशि से मिलायें, तो उन्हें मालूम हो जायगा कि वे बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहे हैं।

Manufacture of Catalysts by Indian Capitalist

*455. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 25th March, 1967, an official of the Research and Development Division, Sindri, had sent a letter to the former Minister to the effect that no licence should be granted to any Indian Capitalist to manufacture catalysts in collaboration with U. S. A. firm and that the said production would be possible through Indian resources ;

(b) whether it is also a fact that the same officer again wrote to the Secretary of the Ministry to this effect on the 30th May, 1967 and again submitted a memorandum after having a talk with the General Manager on the 1st June, 1967 ; and

(c) if so, the main features of this Memorandum and the action taken by Government thereon ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया है।

विवरण

(ख) 30 मई, 1967 को एक पत्र लिखा गया था किन्तु इसका सम्बन्ध विभिन्न विषय अर्थात् नीचे दिये गये भाग (ग) के उत्तर से था। 1 जून, 1967 को बताये गये ज्ञापन सुगमता से प्राप्य नहीं हैं ; किन्तु 25 जुलाई, 1967 को भारतीय उर्वरक निगम के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ; जिस पर उत्प्रेरकों (केटालिस्ट्स) और

अन्य विषयों में आयोजन तथा विकास प्रभाग के अधिक संख्या में अधिकारियों ने हस्ताक्षर किये थे।

(ग) बताये गये प्रलेखों में आयोजन और विकास प्रभाग ने निम्न मुख्य बातें लिखी थीं :

(1) देश में उत्प्रेरकों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग और विदेशी जानकारी युक्त एक लाइसैन्स देने का प्रस्ताव।

(2) ट्राम्बे विस्तार योजना के लिए विदेशी ठेकेदारों को एक टर्न-की ठेका (A turn-key contract) देने का प्रस्ताव।

(3) उर्वरक उद्योग में भारतीय वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों की योग्यता का मूल्यांकन करने तथा, देशीय योग्यता का विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर पर्याप्त अनुभव, विशेषज्ञ एवं देश के हित में सबसे अच्छा क्या होगा, सलाह देने, जांचने और निर्णय स्वयं लेने की योग्यता उपलब्ध है, ध्यान न करते हुए ; सरकारी क्षेत्र उर्वरक उद्योग के पुनर्गठन पर सलाह देने के बारे में विदेशियों को लाने का सरकार की स्वीकृति के लिए सुझाव।

(2) उपर्युक्त बातों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) पेट्रोलियम, पेट्रो-रसायन और उर्वरक कारखानों में इस्तेमाल होने वाले कुछ केटालिस्टों के विदेशी सहयोग से निर्माण के लिये, प्राइवेट पार्टी का आवेदन पत्र विचाराधीन है। इस मामले में अन्तिम निर्णय लेते समय, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना और विकास प्रभाग द्वारा इस क्षेत्र में देशीय योग्यता को ठेस न पहुंचे।

यू. एस. ऐड ऋण में यह शर्त निहित है कि ट्राम्बे विस्तार स्कीम का ठेका अमरीका के किसी ठेकेदार को ही मिलना चाहिये। अमेरिकन मदद (Aid) की शर्तों के अनुसार अमेरिकन ठेकेदार का चयन, तुलनात्मक टेन्डरों के आधार पर, करते समय यह ध्यान में रखा जायगा कि सरकारी क्षेत्र संगठनों द्वारा देश में विकसित डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण योग्यताओं का पूरा प्रयोग हो और देश में उपलब्ध उपकरणों और मालों का अधिकतम सम्भव हद तक प्रयोग हो।

(3) यह उस अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों की गलतफहमी पर आधारित था जो सरकार ने 6 भारतीयों और 4 अमरीकनों का, सरकारी उर्वरक उद्यमों के संगठनीय और पद्धतीय प्रश्नों की जांच के लिए नियुक्त किया था। दल ने भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया और उसकी व्याख्या आयोजन तथा विकास डिवीजन के अधिकारियों को कर दी गई थी।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon. Minister did not come to answer my question relating to a letter of the 25th March, 1968 from an officer. As regard to Memorandum of

1st June, 1967, he informs that it is not traceable. He could have taken some pains to secure it. Anyway my point, now, is that a catalyst which includes fertilizer, petroleum etc., is a very essential for the Chemical Industry. Raw material costs very little but the know-how is very costly to get. Only a few firms in the whole world deal in this business. The Planning and Development Division of the Fertilizer Corporation of India have prepared a number catalysts which are working perfectly, and when there is the time to develop them, the Government say that they are considering an application from a private party for manufacturing certain catalysts for petroleum, petro-chemical and fertilizer factories with foreign collaboration. I want to know that, as you want that our national talent should not suffer, whether you are prepared to assure that you will seek foreign collaboration for only those catalysts for which the fertiizer corporation confess their inability to manufacture and not for those which the corporation is prepared to manufacture ?

श्री रघुरामैया : मैं माननीय सदस्य और सारे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस बात के तो हम भी बड़े जिज्ञासु हैं कि योजना और विकास एकक द्वारा किये जा रहे इन आश्चर्यजनक प्रयत्नों में रुकावट डालने वाली कोई बात न की जाये । निश्चय ही वे कुछ कैटालिस्ट बना रहे हैं । हम तो केवल उन्हीं कैटालिस्ट के निर्माण में सहयोग लेने के बारे में विचार कर रहे हैं जिन्हें निगम व्यापारिक स्तर निर्मित नहीं कर रहा है । इस निगम ने अभी सभी कैटालिस्टों का व्यापारिक आधार पर निर्माण नहीं किया है । वे इस सम्बन्ध में पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं । उदाहरणार्थ, पैट्रोलियम और पैट्रो-रसायन के बारे में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई है । उर्वरक के क्षेत्र में भी कई प्रकार के कैटालिस्ट यह निगम अब नहीं बना रहा है । साथ ही कैटालिस्ट की आवश्यकता भी हर समय बनी रहती है । सरकार तो केवल वही विदेशी सहयोग लेने के बारे में विचार कर रही है जहां यह योजना और विकास एकक कार्य नहीं कर रहा है । जिस क्षेत्र में यह निगम प्रभावपूर्ण ढंग से तथा व्यापारिक स्तर पर कार्य कर रहा है, वहां किसी अन्य को करने के लिये कहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ।

जहां तक पत्र की बात है, वह मैंने स्वीकार की है । ज्ञापन के बारे में भी शायद वही स्थिति है जिसका मैंने जिक्र किया है । यदि उनके पास दो प्रतिलिपि हैं तो मैं निश्चय ही इस पर विचार करुंगा । मुझे विश्वास है कि यह वही ज्ञांपन होगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : What do you mean by "Probably is the same." If I also say—'probably you too are a Minister', you will fall out.

In your statement, at one place you have said that there is a condition in the U. S. Aid loan that the contract of the Trombay Expansion Scheme will be given to an American contractor only, whereas the Planning and Development Division has told you that they should be given the entire work of Trombay Expansion Scheme to them and only in case they are unable to do anything they would seek assistance from abroad, but in any case they will do the job, whereas you state the above condition of the U. S. Aid loan which means that this would necessitate foreign exchange worth Rs. 10 or 20 crores instead of Rs. one crore or so. Is it correct that we have agreed to those conditions relating to foreign exchange only because we wanted loan at the cost of our own talent ? Are the Government prepared to assure that they

would never import or spend foreign exchange on the items which are either available or can be manufactured or the technical know-how of which is available in our own country ?

श्री रघुरामैया : कदाचित् माननीय सदस्य ने विवरण नहीं पढ़ा है जो कि सभा-पटल पर रखा गया है। पृष्ठ 2 पर मद (ii) के अन्तर्गत स्पष्ट लिखा है :

"अमेरिकन मदद की शर्तों के अनुसार अमेरिकन ठेकेदार का चयन, तुलनात्मक ठेकों के आधार पर, करते समय यह ध्यान में रखा जायगा कि सरकार क्षेत्र संगठनों द्वारा देश में विकसित डिजाइन, इन्जीनियरिंग और निर्माण योग्यताओं का पूरा प्रयोग हो और देश में उपलब्ध उपकरणों और मालों का अधिकतम सम्भव हद तक प्रयोग हो ।"

Shri Maharaj Singh Bharati : How the term "maximum extent possible" will do when it is already stated that the condition in the U. S. Aid loan is that the contract for the Trombay Expansion Scheme should be given to an American contractor only. First you commit to give contract to them and later you say you will try to make full use of the equipment and materials available in the country to the maximum extent possible. I, therefore, want to know why do not you give contract to the Planning and Development Division when they are asking for it ? What is the idea in putting it off ?

श्री रघुरामैया : कोई कठिनाई नहीं है। उद्देश्य विदेशी मुद्रा तथा सहायता प्राप्त करने का है और मैं कह चुका हूं कि ठेकेदार भले ही कोई भी हो भारतीय साज-सामान, जानकारी आदि का पूरा-पूरा उपयोग किया जायेगा।

राष्ट्रीय आय

*458. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अर्थ-व्यवस्था के किस क्षेत्र में आय बढ़ी है और किन क्षेत्रों में वृद्धि धीमी गति से हुई है अथवा वास्तव में घटी है ; और

(ग) इस वृद्धि को बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अंक संकलन संगठन (सेण्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन) द्वारा शीघ्र तैयार किये गये अनुमानों के अनुसार, 1967-68 में राष्ट्रीय आय में 9.1 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई। यह वृद्धि, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में फिर से काफी अधिक उत्पादन होने अर्थात् वास्तविक उत्पादन में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण हुई। एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वास्तविक उत्पादनों में 1967-68 में हुई घट-बढ़ दिखाई गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2427/68]

(ग) कृषि-विकास और औद्योगिक विकास के, चालू वर्ष के कार्यक्रम योजना आयोग की "वार्षिक आयोजना 1968-69" नामक पुस्तिका में दिये गये हैं। आगामी वर्षों में और अधिक आर्थिक विकास करने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले विभिन्न उपायों का उल्लेख चौथी पंचवर्षीय आयोजना में किया जायगा जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : जैसा कि उप-प्रधान मंत्री ने कहा है कि कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हुई है परन्तु मद संख्या 5 अर्थात् "बड़े पैमाने पर निर्माण" में 1.3 प्रतिशत की कमी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में काफी अधिस्थापित क्षमता है जिसका यदि उचित उपयोग किया जाये तो राष्ट्रीय बचत में और आगे काफी वृद्धि हो सकती है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इस वर्तमान अधिस्थापित क्षमता का उचित उपयोग करने की दिशा में कोई उपाय किये गये हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : हम इसको उन्नत करने तथा वर्तमान क्षमता का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मद 7 अर्थात् "निर्माण" में भी 2.8 प्रतिशत की कमी हुई है। इसका अर्थ है कि निर्माण-कार्य में भी यथेष्ट वृद्धि नहीं की जा रही है। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर गृह-निर्माण के लिये प्रोत्साहन देंगे ताकि इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय बचत में वृद्धि हो ? अधिक गृह निर्माण से जनता के हितों को भी लाभ होगा।

श्री मोरारजी देसाई : वर्ष 1967-68 की आयों का बाद में उपयोग किया जायेगा। इसलिये, उस समय यदि वह कम हो जाती है तो आश्चर्य की बात नहीं है। अब इसमें निश्चय ही वृद्धि होगी तथा थोड़ी आय वालों तथा अन्य लोगों को गृह-निर्माण में सहायता देने की सरकार की अपनी नीति है, परन्तु यह बड़े स्तर पर नहीं है। हमारी आर्थिक अवस्था के कारण यह कार्य बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो सकता।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस निर्माण के बारे में मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में अभी बताया है कि बड़े स्तर पर उत्पादन-कार्य अथवा अन्य कार्यों की तुलना में निर्माण-कार्य में धन की अधिकता पर कम और श्रम की अधिकता पर अधिक जोर है। 2.8 प्रतिशत की कमी होना एक गम्भीर मामला है। उप-प्रधान मंत्री ने धनराशि की कमी के बारे में कहा है। इस सभा में एक सुझाव पर विचार हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण के लिये गैर-सरकारी बैंकों को अग्रिम धन देने की अनुमति प्रदान की जाये बशर्ते कि केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई कार्यालय इस सम्बन्ध में गारंटी दे। इस सुझाव पर उप-प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है—क्या मंत्री महोदय गैर-सरकारी बैंकों को यह अनुमति देंगे कि वे ग्रामीणों को गृह-निर्माण हेतु अग्रिम धन दें और क्या वह, रिजर्व बैंक अथवा अन्य कोई सरकारी संस्थान इस बारे में गारंटी देंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : न तो रिजर्व बैंक और न ही सरकार इस बारे में गारंटी दे सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मद्रास में जाली नोट चलाने वाले एक गिरोह का पता लगाया जाना

*454. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1968 के "पेट्रियट" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस ने 25 सितम्बर, 1968 को मद्रास में जाली नोट चलाने वाले एक गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस ने कुल कितने मूल्य के नोट बरामद किये और ऐसे कितने मूल्य के नोटों का बाजार में होने का अनुमान है ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(घ) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां। किन्तु इस रिपोर्ट से यह नहीं पता लगता कि इस गिरोह का पता 25 सितम्बर, 1968 को लगाया गया था।

(ख) पुलिस ने दस-दस रुपये के 45,730 रुपये के मूल्य के जाली नोट बरामद किये थे। इस प्रकार के नोटों के इस समय चलन में होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) उन्नीस।

(घ) मद्रास राज्य की पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

Schemes sent by Delhi Administration

*456. **Shri T. P. Shah :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the sehemes forwarded by the Delhi Administration which are under consideration **in** in his Ministry ;

(b) the dates on which the said schemes were forwarded and the stage at which they are at present ;

(c) whether it is a fact that the Ministry are taking long time in the consideration of these schemes ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the time by which final decision is likely to be taken in regard to these schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) to (e). A statement containing the required information is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2428/68]**

कम्पनियों में जीवन बीमा निगम द्वारा पूँजी लगाना

*457. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने मार्च 1966 तक किन-किन कम्पनियों तथा व्यापार गृहों में पूंजी लगाई थी ; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जीवन बीमा निगम ने कई कम्पनियों को ऋण दिये हैं और इसके अलवा उनके हिस्सों तथा ऋण-पत्रों में रुपया लगाया है। निगम ने जिन कम्पनियों में रुपया लगाया है उनके नाम बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) 31 मार्च, 1966 को कम्पनियों के हिस्सों तथा ऋण-पत्रों में लगाई गई पूंजी की कुल रकम (जिसमें कम्पनियों को दिये गये ऋण भी शामिल हैं) 176.82 करोड़ रुपये थी।

अरब देशों से तेल का आयात

*459. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत की राष्ट्रीय पेट्रोलियम कम्पनी के अतिरिक्त, कुवैत तथा अन्य अरब देशों से भी कपड़े, सीमेंट, इंजीनियरिंग समान तथा उनकी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं के बदले में तेल का आयात करने के प्रयास किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) कुवैत राष्ट्रीय पेट्रोलियम कम्पनी ने किस देश या कम्पनी से करार किये थे और कितनी-कितनी मात्रा के लिये, जिसके परिणामस्वरूप हमारा सीमेंट का विनिमय असफल हुआ ; और

(घ) क्या ऐसी वस्तुओं का सर्वेक्षण किया गया है जिनकी तेल उत्पादन करने वाले अरब देशों को आवश्यकता होती है और जिन्हें भारत सप्लाई करने में समर्थ है ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी हां, विदेश स्थित भारतीय मिशनों के इस विषय से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी करने के अतिरिक्त पिछले वर्ष भारतीय निर्यात संस्थाओं की फेडरेशन ने एक सर्वेक्षण किया था और उन वस्तुओं पर विस्तृत रिपोर्टें बनाई थीं जिनकी इराक, कुवैत, सऊदी अरब, अरब गणराज्य, और सुडान को आवश्यकता है। उपरोक्त फेडरेशन ने इनको प्रकाशित भी कर दिया है।

Income Tax Arrears

*460. **Shri Sharda Nand :**

Shri J. B. Singh :

Shri A. Sreedharan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income-tax arrears to be recovered as on the 31st March, 1968 ;

(b) the names and addresses of the assessees from whom arrears of rupees five lakhs or more are to be recovered and the time since when these arrears are pending against them ; and

(c) the names and addresses of assessees from whom arrears of rupees two lakhs or more were to be recovered but which Government wrote off during the last two years and the reasons for writing off the said arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) As on 31st March, 1968, the net arrears of Income-tax amounted to Rs. 374.52 crores.

(b) There were 1,734 cases of assessees as on 31-3-1968 from whom gross arrears of Rs. 5 lakhs or more were outstanding. The collection of information as to names, addresses and the time since arrears are pending in each case is likely to take considerable time and labour which may not be commensurate with the results to be achieved.

(c) The required information is given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2429/68]**

Imported Machines lying unused with Oil and Natural Gas Commission

*461. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jugal Mondal :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4392 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding rigs and other machinery imported by the Oil and Natural Gas Commission has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) The c.i.f. value of rigs and machinery imported by ONGC so far since 1956 from various countries is as under:

Name of the country	Value in lakhs of Rs.
USSR	1471.00
Rumania	209.54
U. S. A.	443.05
Italy	29.84
U. K.	14.38
Holland	53.58
Canada	58.97
Japan	9.19
Hungary	0.86
	Rs. 2290.41 lakhs

There are five Tractor mounted masts lying unused in stores. They are meant for the ONGC's future fields and will be used from this year.

No replacement of machines has been asked for as they are all in working order.

कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम

*462. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम के केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के बाद उसमें प्रति व्यक्ति श्रमिक लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) 1962 में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों की संख्या वर्तमान उत्पादन के अनुपात में अधिक पाई गई है और यदि हां, तो कितने श्रमिक फालतू हैं ;

(घ) क्या प्रोत्साहन के उपाय स्वरूप सरकार मजूरी को उत्पादन पर आधारित करने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ङ) श्रमिक लागत को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय सरकार ने जब से कोलार स्वर्ण खनन उपक्रमों को अपने अधिकार में लिया है, तबसे उनकी प्रति व्यक्ति लागत में लगभग 62 रुपये प्रतिमास के हिसाब से वृद्धि हुई है।

(ख) पहली दिसम्बर, 1962 को उपक्रमों में 17,708 कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि 1 अक्टूबर, 1968 को कर्मचारियों की संख्या 13,280 थी।

(ग) कर्मचारी निरीक्षण एकक (स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट) ने मासिक आधार पर काम करने वाले औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बारे में जो अध्ययन किया था उससे यह पता चला कि कुछ वर्गों के कर्मचारी फालतू हैं जिनकी संख्या 194 है। इनमें से केवल 46 कर्मचारी अब भी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार लोग आमतौर पर काम छोड़ कर चले जाते हैं, आशा है

कि ये लोग भी उसी तरह चले जायेंगे । अन्य वर्गों के औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में फालतू कर्मचारियों की संख्या का पता लगाने के लिए कार्य-सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है । लेकिन इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कुल मिलाकर कोलार स्वर्ण खनन उपक्रमों में श्रमिकों की उत्पादकता सामान्यतः ज्यों की त्यों बनी हुई है ।

(घ) उपक्रमों में 'प्रोत्साहन' की कुछ योजनाएं पहले ही चल रही थीं । हाल में उन पर फिर से विचार किया गया है तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इन योजनाओं में कुछ परिवर्तन भी किए जा रहे हैं ।

(ङ) खाली स्थानों को न भर कर और ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति की योजना शुरू करके कर्मचारियों की संख्या पहले ही घटाकर अक्टूबर 1968 में 13,280 कर दी गयी थी । उपर्युक्त (ग) और (घ) में जिन उपायों का उल्लेख किया गया है उनमें से भी श्रमिक लागत कम हो जायगी ।

न्यू स्टैन्डर्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

*463. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन शाखा ने हाल में न्यू स्टैन्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड और बम्बई में उसकी सम्बद्ध कम्पनियों के कार्यालयों पर छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फर्मों के कार्यालयों पर छापा मारा गया और उसका प्रयोजन क्या था ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इन कम्पनियों ने बहुत से महत्वपूर्ण कागजों को नष्ट कर दिया है जिनसे विदेशी मुद्रा और अन्य सोने सम्बन्धी उनके काले कारनामों का पता चलता ;

(घ) क्या इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई जांच की जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बम्बई में न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा उसकी कुछ सम्बद्ध कम्पनियों के कार्यालयों के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 27-1-1968 को तलाशी ली गयी थी ।

(ख) इस सम्बन्ध में जिन कम्पनियों की तलाशी ली गयी उनके नाम ये हैं :

(i) न्यू स्टैन्डर्ड इंजीनियरिंग कं० लिमिटेड

(ii) इंडाब्रेटर लिमिटेड

(iii) गुजरात मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, तथा

(iv) बैक्लेवेट इंडिया लिमिटेड

ये छापे उन कागजों को पकड़ने के लिये मारे गये थे जो, इन तलाशियों का अधिकार देने

वाले अफसर की राय में, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये उपयोगी अथवा प्रासंगिक थे।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय के पास कुछ रिपोर्ट पहुंची हैं कि इन कम्पनियों ने कुछ कागजात नष्ट कर दिये थे। लेकिन इन रिपोर्टों की तस्दीक नहीं की जा सकी और यह नहीं कहा जा सकता कि जिन कागजों के बारे में नष्ट किये जाने का आरोप है उनमें क्या था और कम्पनी ने उनको क्यों नष्ट किया अथवा कब नष्ट किया, अथवा नष्ट किया भी अथवा नहीं। तलाशियों में मिले कागजों में से जिन कागजों को विदेशी मुद्रा विनिमय के दृष्टिकोण से प्रासंगिक अथवा उपयोगी समझा गया, उनको प्रवर्तन निदेशालय ने अपने कब्जे में ले लिया।

(घ) और (ङ). पकड़े गये कागजों से, प्रथम दृष्टया, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन का संकेत मिलता है। मामले में जांच-पड़ताल चल रही है।

घाघरा नदी का सर्वेक्षण

*464. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाघरा नदी की बाढ़ और कटाव को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने बलिया, देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों में घाघरा नदी के दोनों किनारों का सर्वेक्षण करने के लिए कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति की है ;

(ख) क्या उन्होंने अपना सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या मुख्य परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और इस बारे में कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के मुख्य अभियन्ता से कहा गया है कि वे राज्य के मुख्य अभियन्ता के साथ मिलकर, अपक्षरित हो रहे घाघरा नदी के तटवर्ती क्षेत्र का, इस समस्या के आकार-प्रकार को कूतने की दृष्टि से निरीक्षण करें और उन उपायों पर भी विचार करें जो आर्थिक दृष्टि से सम्भव हों।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निकट भविष्य में यह संयुक्त निरीक्षण करने का विचार है।

Floods in Hasanpur Tehsil of District Moradabad, U. P.

*465. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 205 on the 22nd July, 1968 and state:

(a) whether the consideration of the question of extension of embankments in the flood-affected areas of Hasanpur Tehsil of District Moradabad by Roorkee Study Team has since been completed;

(b) if so, the conclusions thereof; and

(c) when the work which is to be taken up after detailed survey after Monsoons and test-check by the Roorkee Research Institution and preparation of detailed report and estimate by the State Government is expected to be started?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c). The Government of U. P. have reported that a special Sub-Division has been sanctioned, which will shortly undertake detailed surveys of flood affected areas of Hasanpur Tehsil and that model studies would be taken up by the Irrigation Research Institute Roorkee, after the surveys are complete. The feasibility of this scheme would be determined after the surveys and studies are completed.

पश्चिम बंगाल द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए सहायता की मांग

*466. **डा० रानेन सेन :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मिदनापुर तथा हुगली में हाल की बाढ़ से खराब हुई बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के मरम्मत कार्य के लिये 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को दी जा रही वित्तीय सहायता में व्यय की यह मद भी शामिल है।

हिसार के अधिवक्ता, श्री गुलाब सिंह जैन के कार्यालयों पर छापा

*467. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री सूरज भान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः वर्षों में आयकर विभाग ने हिसार तथा अन्य स्थानों पर स्थित श्री गुलाब सिंह जैन, अधिवक्ता तथा उनके सहायकों के कार्यालयों पर छापा मारा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह जाली बही-खाता बनाता था, जाली फर्म चलाता था तथा जाली दस्तावेज तैयार किया करता था ;

(ग) यदि हां, तो विभाग द्वारा श्री जैन के विरुद्ध की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और कितनी छिपी आय का पता लगा था और इसका क्या प्रभाव हुआ ;

(घ) क्या यह भी सच है कि आयकर अधिनियम की धारा 291 के अन्तर्गत उसे पूरी उन्मुक्ति दी गई थी ; और यदि हां, तो पकड़े गये अभिलेखों से छिपी आय का क्यों पता नहीं लगाया जा सका ; और

(ङ) उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । उसने झूठे बही-खाते रखे हुये थे और नकली कम्पनियां खोल रखी थीं । जाली दस्तावेजों का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) यह पाया गया था कि श्री जैन ने बहु त से कर-निर्धारितियों को, उसके द्वारा स्थापित नकली कम्पनियों से प्राप्त ऋणों अथवा दान के रूप में उनकी अप्रकट आय को नियमित बही-खाते में ले आने में सहायता पहुंचाई थी । इस प्रकार बही-खातों में लाई गई अप्रकट आय अनुमानतः 3 करोड़ रुपये थी । इस अनुमानित रकम में से 1.83 करोड़ रुपये की अप्रकट आय को वास्तविक स्वामियों ने कर-निर्धारण के लिए पहले ही पेश कर दिया है ।

(घ) जी, हां, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 291 के अन्तर्गत उसे अभय दिया गया था । पकड़े गए कागजों से तो श्री जैन के क्रियाकलापों का केवल एक अंश ही प्रकट हुआ है । वह अपने सभी क्रियाकलापों को प्रकट करने के लिए तैयार हो गये थे अतः सरकार ने उसे अभय देना उपयुक्त समझा था, जिससे वह अप्रकट आय के मामलों को वस्तुतः साबित करने में विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध हो । उसकी सक्रिय सहायता और सहयोग के बिना यह सम्भव नहीं था ।

(ङ) उसको दिये गये अभय को ध्यान में रखते हुए उसके विरुद्ध किसी प्रकार की जाप्ताई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में विनियोजन

*468. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मार्च 1968 तक कुल कितना विनियोजन किया गया और उनमें साम्य पूंजी और सरकार तथा बैंकों से ऋण, विदेशी मुद्रा आदि की कितनी राशि थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को उक्त उपक्रमों में कितने लोग काम करते थे ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में सभी सरकारी उपक्रमों के समूचे रूप से कार्यकरण के क्या परिणाम रहे हैं ; और

(घ) वर्ष 1968-69, 1969-70 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उनको प्राप्त किये जाने की क्या सम्भावनायें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). चूंकि अभी तक सब उपक्रमों ने 1967-68 के खाते बन्द नहीं किये हैं, इसलिये उस वर्ष की सम्पूर्ण स्थिति अभी मालूम नहीं है। 1966-67 और 1965-66 की स्थिति का विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2430/68**]

भोपाल में स्टेट बैंक की शाखा

*469. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्टेट बैंक ने भोपाल में अपने कार्यालय के लिये एक मकान 37 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराये पर लिया है ;

(ख) क्या यह किराया प्रति मास लगभग 7,500 रुपए बैठता है;

(ग) क्या इस भवन का मूल्य लगभग 3 लाख रुपये है ; और

(घ) यदि हां, तो इतने अधिक किराये पर मकान लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) स्टेट बैंक ने भोपाल में अपने प्रादेशिक प्रबन्धक के कार्यालय के लिये 32 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से एक इमारत किराये पर ली है।

(ख) फर्श की संयुक्त रूप से अभी तक पैमाइश नहीं की गयी है, लेकिन अनुमान है कि मासिक किराया लगभग 6,200 रुपया होगा।

(ग) स्टेट बैंक को इस इमारत के वास्तविक मूल्य का पता नहीं है, पर मोटे तौर पर लगाये गये अनुमान के अनुसार इसका मूल्य लगभग 6 लाख रुपया होगा।

(घ) प्रादेशिक प्रबन्धक के कार्यालय के लिए अधिक स्थान का होना आवश्यक है। इस इमारत का किराया उस इलाके में इमारतों के मौजूदा किराये के अनुसार ठीक है।

तारापुर संयंत्र से गुजरात का बिजली का हिस्सा

*470. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार तारापुर संयंत्र से बिजली का उसका हिस्सा मिलने की कोई सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसे बिजली का अपना हिस्सा कब मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच बिजली का वितरण करने की क्या प्रक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर को चालू करने में कुछ देरी हुई है।

(ख) पहले बिजली उत्पादन यूनिट के अब जुलाई, 1969 में चालू किए जाने की सम्भावना है।

(ग) तारापुर से उपलब्ध बिजली को गुजरात और महाराष्ट्र में बराबर-बराबर बांटा जायेगा।

भविष्य निधि की राशियों का विनियोजन

*471. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री जि० मो० विश्वास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में भविष्य निधि के धन का विनियोजन करने के ढंग के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि के न्यास बोर्ड की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का व्योरा क्या है और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि के न्यास बोर्ड की सलाह से, विमुक्त और अविमुक्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में, पहली सितम्बर, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि के लिए भविष्य निधियों में जमा रकमों के निवेश के लिये यह संशोधित प्रणाली निर्धारित की गयी है :

(1) छोटी बचतों समेत केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	65 प्रतिशत
(2) राज्य सरकार की ओर अन्य सरकारी गारन्टीशुदा प्रतिभूतियां	35 ,,

बोर्ड ने आशा प्रकट की है कि आमदनी की दृष्टि से 1969-70 के लिये निर्धारित निवेश की प्रणाली ज्यादा अनुकूल होगी। अतः सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

कपाड़िया (स्टैन्डर्ड ड्रम) ब्रदर्स

*472. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 से 1968 तक प्रति वर्ष कपाड़िया (स्टैन्डर्ड ड्रम) ब्रदर्स पर व्यक्ति, परिवार और उनके संरक्षकों के रूप में पृथक-पृथक कुल कितनी आय तथा कितने धन के लिये कर लगाया गया ;

(ख) इस अवधि में उनके द्वारा वस्तुतः कितना आयकर तथा सम्पत्ति कर दिया गया ;

(ग) स्वेच्छा से आय बताने की योजना के अन्तर्गत उन्होंने अपनी आय कितनी बताई थी ; और

(घ) इस राशि पर कितना कर दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) श्री कान्तिलाल मगनलाल तथा श्री मगनलाल छगनलाल का, 1950 से लेकर 1968 तक जिस कुल आय तथा धन के सम्बन्ध में, व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण किया गया है, वह अनुबन्ध 'क' तथा 'ख' में दी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, परिवार का इकाई के रूप में अथवा उपर्युक्त व्यक्तियों का, अपने बच्चों के अभिभावकों के रूप में, कोई कर-निर्धारण नहीं किया गया।

(ख) उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा अदा किये गये आयकर तथा धन कर सम्बन्धी सूचना अनुबन्ध 'क' तथा 'ख' में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2431/68]

(ग) और (घ) यह समझा जाता है कि मैसर्स मगनलाल छगनलाल (प्राइवेट) लिमिटेड (स्टैण्डर्ड ड्रम) ने स्वेच्छा से आय प्रकट करने की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुछ आय प्रकट की थी। जिन वित्त अधिनियमों में इन योजनाओं की घोषणा की गई थी, उनमें निहित इन उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, कि प्रकट की गई आय के ब्योरे जाहिर नहीं किए जायंगे, माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना देना सम्भव नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के रूसी विशेषज्ञों के स्थान पर अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति

*473. **श्री रा० बरुआ :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री बसुमतारी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के रूसी विशेषज्ञों के स्थान पर अन्य राष्ट्रीयता वाले विशेषज्ञों को रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों के रखे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन देशों के विशेषज्ञों को रूसी विशेषज्ञों के स्थान पर काम करने को आमन्त्रित किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत शवदाह गृह, दिल्ली

*474. **श्री रामगोपाल शालवाले** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत चालित शवदाह गृह, दिल्ली के रखरखाव पर प्रति वर्ष 1,60,000 रुपये खर्च होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शवदाह से केवल 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1,50,000 रुपये प्रतिवर्ष के घाटे को बचाने के लिये इस शवदाह गृह को बन्द करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) पुनः जांच करने के बाद दिल्ली नगर निगम ने अब यह बतलाया है कि इस शवदाह गृह पर वास्तविक खर्च प्रतिवर्ष लगभग 80,000 रुपये है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). नगर निगम को इस शवदाह गृह की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में बारीकी से छानबीन करने के लिये कह दिया जायेगा ।

शान्ति सेना दल के स्वयंसेवक

*475. **श्री जनार्दनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अमरीकी शान्ति सेना दल के स्वयं सेवकों के कार्य का पुर्नविलोकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चूंकि स्वयंसेवक काम करने के लिए राज्यों में भेजे जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की समीक्षा राज्य सरकारें ही करती हैं। भारत सरकार अलग-अलग स्वयंसेवकों के कार्यों की समीक्षा नहीं करती, लेकिन साल में एक बार वह राज्य सरकारों के सम्बद्ध अधिकारियों की सलाह से सारे स्वयंसेवक कार्यक्रम की समीक्षा करती है ।

(ख) कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हुए हैं ।

Income Tax assessment in respect of Jhunjhunwala Families Having Shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation

*476. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2756 on the 5th August, 1968 regarding Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) the total amount of Income-tax assessed by Government on Shrimati Lachhiya Devi

Purshottam Lal, Shrimati Geeta Devi Banwari Lal and Shrimati Chandrakala Devi Champalal, the shareholders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation during the last eight years and

(b) the amount of Income-tax paid by these persons in the aforesaid period?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) The total amount of income-tax assessed on these persons for the last eight assessment years is Rs. 22,560/-.

(b) The whole of the above amount was paid during the afaresaid period.

Production and Consumption of Naphtha

*477. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the total quantity of naphtha being produced annually in India; and

(b) the annual consumption of naphtha in India at present?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghu Ramaiah): (a) and (b). The product-wise production and consumption details are treated as confidential and their publication is prohibited for reasons of security.

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड

*478. **श्री पी० विश्वम्भरन:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड में उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री से वास्तव में कितना लाभ अथवा हानि हुई है ;

(ख) वर्ष 1967-68 में तकनीकी जानकारी बेचने से फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर को कुल कितनी आय हुई ; और

(ग) वर्ष 1967-68 में उपरोक्त कम्पनी के 'फैडो' एकक को कुल कितनी आय हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1967-68 में कम्पनी के परिचालनों में से 19,59,640 रुपयों का शुद्ध लाभ हुआ था।

(ख) इन्जीनियरिंग सेवाओं से 50,12,752 रुपयों की कुल आय हुई।

(ग) 1967-68 में फीडों यूनिट की कुल आमदनी 61,85,932 रुपये की थी और शुद्ध बेशी 15,26,455 रुपये थी।

राज्यों को दुर्भिक्ष तथा बाढ़ में सहायता देने का आधार

*479. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री ना० कु० सांघी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्भिक्ष तथा बाढ़ की कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को किस आधार पर सहायता देती है ;

(ख) क्या राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल की जहां की स्थिति अत्यधिक गम्भीर हो गई थी, सहायता देने में उदारता बरती गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो सहायता देने में उदारता से काम लेना क्यों आवश्यक नहीं समझा गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) राज्य सरकारों को वित्त आयोग द्वारा साधनों के अन्तरण सम्बन्धी अपनी योजना में निर्धारित रकमों के अतिरिक्त राहत-कार्यों की उन मदों पर होने वाले खर्च के 75 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिनके बारे में केन्द्र और राज्य दोनों सहमत हों। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए, जिन मामलों में सहायता देना उचित समझा जाता है, उनमें तदर्थ ऋणों के रूप में भी सहायता दी जाती है।

(ख) जी हां। राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि यदि आवश्यक समझा गया तो केन्द्रीय सरकार राज्यों के हिस्से के खर्च को पूरा करने के लिए भी उन्हें ऋण के रूप में सहायता देगी।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पोर्ट केनिंग परियोजना में वेराइट्स पर अत्यधिक व्यय

*480. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि पोर्ट केनिंग प्राजेक्ट पर एक निजी फर्म मेसर्स वी० के० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा सप्लाई किये गये बेराइट्स पर अत्यधिक व्यय हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा कालेजों में स्थान

2780. **श्री हेमराज :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार तथा कालेज-वार विभिन्न मैडिकल कालेजों में कितने स्थान (सीटें) उपलब्ध हैं ; और

(ख) वर्ष 1968 में कितने विद्यार्थियों ने दाखिले के लिये आवेदन-पत्र दिये थे तथा कितने विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) देश के मैडिकल कालेजों के नाम तथा 1967 में उनकी प्रवेश-क्षमता के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2432/68**] चालू वर्ष में मैडिकल कालेजों में उपलब्ध सीट के बारे में जानकारी सभी संस्थानों में दाखिले हो जाने के बाद ही मालूम होगी।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि सभी मैडिकल कालेजों में दाखिले का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है।

Construction of Dhobi Ghat and Quarters for Washermen in New Delhi

2781. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Health, Family Planninng and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a scheme to construct pucca dhobi ghats in New Delhi in place of the existing ones and also to construct residential quarters near those ghats for the dhobis working there ;

(b) if so, when the said scheme is likely to be implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण

2782. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा किये गये खाद्य के नमूनों के विश्लेषण की राज्यवार संख्या तथा निष्कर्ष क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की मिलावट की जाती है ;

(ख) वर्ष 1966 तथा 1967 में खाद्यान्न मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों को दण्ड मिला ; और

(ग) मिलावट को रोकने के लिये सरकार ने क्या यथार्थ कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2433/68]

(ख) एक विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-3) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2433/68]

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को और अधिक कठोर बना दिया गया है तथा राज्यों से कह दिया गया है कि वे इस अधिनियम को समुचितरूप से लागू करें।

भारतीय प्रतिरक्षा लेखा विभाग

2783. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिरक्षा लेखा विभाग में कमांड कन्ट्रोलरों, कन्ट्रोलरों तथा ज्वाइंट कन्ट्रोलरों के कुल कितने स्वीकृत स्थान हैं ;

(ख) भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो इन पदों पर वास्तव में कार्य करके अथवा "नीचे के वर्ग का" नियम के प्रयुक्त होने से इन पदों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले वेतन प्राप्त कर रहे हैं ;

(ग) 'नीचे के वर्ग का' नियम की अवहेलना करने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा के बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर न भेजने की वांछनीयता के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि उन्हें वेतन तथा पदोन्नति के मामलों में हानि न उठानी पड़े ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) खयाल है कि कमांड कण्ट्रोलर, कण्ट्रोलर तथा ज्वाइंट कण्ट्रोलर पदों का आशय क्रमशः वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चुनाव ग्रेड) के पद, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (साधारण ग्रेड) के पद से है।

इन ग्रेडों में पदों की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है :

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	—	9
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चुनाव ग्रेड)	—	5
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (साधारण ग्रेड)	—	11
(ख) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	—	9
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चुनाव ग्रेड)	—	5
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (साधारण ग्रेड)	—	17

(ग) किसी भी मामले में 'अनुक्रमांक नियम' के उपबन्धों की परिवंचना नहीं की गई है और इस विभाग में ऐसा भी कोई मामला नहीं हुआ है जिसमें प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये किसी भी बहुत वरिष्ठ अधिकारी को अपने वेतन तथा तरक्कियों के मामले में नुकसान उठाना पड़ा हो। ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर उन पदों पर जाते हैं जिनका वेतनक्रम विभाग में उनके वेतनक्रम के बराबर या उससे उच्चतर हो।

(घ) उपर्युक्त (ग) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह सवाल नहीं *उठता।*

दिल्ली के चलचित्र वितरक

2784. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9794 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चलचित्र वितरकों के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) 31 मार्च, 1968 को प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दस फिल्म वितरकों में से, निम्नलिखित को छोड़ कर किसी की तरफ कर की वसूली बकाया नहीं थी :—

(1) जनरल टाकीज (प्राइवेट) लिमिटेड।

(2) फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड।

जनरल टाकीज के मामले में व्यापार लाभ कर के संबंध में कर की मांग वसूल होनी बाकी है। निर्धारिती के अनुसार यह रकम अदा की जा चुकी है। निर्धारिती के कथन की तस्दीक की जा रही है।

फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड की तरफ से आयकर की बसूली बकाया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलें दायर की गई हैं। निर्धारिती को बकाया की अदायगी किश्तों में करने की अनुमति दे दी गई है। अपीलीय प्राधिकारियों से अपीलों पर तुरन्त विचार करने के लिये कहा गया है।

इन व्यक्तियों में से किसी के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही नहीं की गई।

(यह उल्लेख कर दिया जाय कि दिल्ली के आयकर विभाग के रजिस्टरों में 'आल इंडिया फिल्म फाइनांस कारपोरेशन' के नाम से कोई कर-निर्धारिती नहीं है। किन्तु आल इंडिया फिल्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के नाम से एक निर्धारिती है, जिसकी तरफ 31-3-68 की स्थिति के अनुसार कुछ भी कर बकाया नहीं है)

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों के पास लेखा बाह्य धन

2785. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त पोषक, चलचित्र वितरक तथा चलचित्र कलाकार के सम्बन्ध में जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन चलचित्र कलाकारों को लेखा-बाह्य धन दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस जांच के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि जांच-पड़ताल में कितना समय लगेगा । इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है ।

चलचित्र उद्योग में लगे लोगों से आयकर की बकाया राशि की वसूली

2786. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र उद्योग में काम करने वाले ऐसे लोगों के विरुद्ध जिनकी ओर आयकर की राशि बाकी है, उपबन्धों के अधीन क्या विशेष कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और इस उद्योग में लगे उन लोगों के विरुद्ध जिनमें से प्रत्येक पर 5 लाख रुपये से भी अधिक की राशि बकाया है वास्तव में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) चलचित्र उद्योग में ऐसे लोगों के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी ओर इस समय आय-कर की बकाया राशि 5 लाख रुपये से अधिक है; और

(ग) इस कर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) (1) निर्धारिती की चल सम्पत्ति का अभिग्रहण तथा बिक्री ;

(2) निर्धारिती की अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण तथा बिक्री ;

(3) निर्धारिती की गिरफ्तारी तथा जेल में हवालात;

(4) निर्धारिती की चल तथा अचल सम्पत्ति के प्रबन्धक के लिए रिसीवर की नियुक्ति ;

(5) निर्धारिती के बैंक में जमा रकमों को तथा/ अथवा तीसरी पार्टियों द्वारा देय रकमों का अभिग्रहण ;

(6) दण्ड लगाना ।

(ख) और (ग). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Requisitioning of Services of P. W. D. Assistant Engineers of Madhya Pradesh

2787. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the question of requisitioning the services of some Assistant Engineers of the Public Works Department of Madhya Pradesh is under the consideration of Central Government in the context of integration of services of engineers; and

(b) if so, when a decision is likely to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Hydro-Electric Projects in U. P. Constructed in the Border Area of M. P.

2788. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of Irrigation and hydro-electric Projects constructed so far by the U. P. Government covering the border area of Madhya Pradesh;

(b) the proportion in which the income is distributed between the two States, as decided by the Regional Council;

(c) whether it is a fact that the income from the bunds is not being given to Madhya Pradesh; and

(d) whether Central Government would urge the U. P. Government to fully implement the decisions of the Regional Council?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) A list is laid on the Table of the House.

Statement

Irrigation and Hydro-Electric Projects Constructed so far by U. P. Government, Covering the Border Area of Madhya Pradesh

Irrigation:

1. Matatila Dam.
2. Lalitpur Dam.
3. Saprar Dam.
4. Arjun Dam.
5. Kabrai Lake.
6. Rangsarover (Rangwan).

7. Balmiki (Ohen) Reservoir.
8. Belan and Ton Canal.
9. Upper Khajuri Dam.
10. Ahrawra Dam.
11. Jirgo Reservoir.
12. Jamni Dam
13. Keelari Tank
14. Barwa Dam
15. Chandrawal Dam
16. Gularia Dam
17. Meja Reservoir

(12–17) Under construction.

Hydro-Electric Projects :

1. Rihand H. E. Project.
2. Matatila H. E. Project.

(b) to (d). presumably the Hon'ble Member is referring to the recommendation of the Central Zonal Council regarding sharing of power benefits from Rihand and Matatila Projects and Irrigation benefits from Rangwan Dam.

On the recommendations of the Central Zonal Council, U.P. has agreed to sell to Madhya Pradesh 15 percent of the power generated at Rihand and one-third of the power generated at the Matatila Power Station. U. P. has also agreed to share the benefits from Rangwan Dam in the ratio of 19 : 36 between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Power from Rihand is being supplied to Madhya Pradesh area and that from Matatila is not being availed this year.

U. P. Government has been requested to expedite the implementation of the decision regarding the Rangwan Project.

वृहद् योजना का उल्लंघन करने वाले कारखानों के लाइसेंसों के नवीकरण के बारे में हिदायतें

2790. **श्री धी० ना० देव :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास अधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को हिदायतें दी हैं कि कुछ ऐसे वृहद् योजना का उल्लंघन करने वाले कारखानों को लाइसेंस न दें अथवा उनके लाइसेंस नवीकरण न करें जो खतरनाक तथा घृणोत्पादक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं तथा ऐसी हिदायतें जारी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास अधिकरण ने इसी प्रकार के उन कारखानों को, जो पुरानी दिल्ली में हैं लाइसेंस जारी करने अथवा लाइसेंस नवीकरण करने का विरोध नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं तथा लाइसेंस जारी करने अथवा लाइसेंसों के नवीकरण के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कारखानों का वर्गीकरण करना

2791. **श्री धी० ना० देव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने शहर में चल रहे कारखानों को खतरनाक तथा घृणोत्पादक खतरे से रहित तथा घृणा उत्पन्न न करने वाले श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या हैं जिन्हें खतरनाक तथा घृणोत्पादक समझा गया है तथा उनके क्या नाम हैं जिन्हें घृणा उत्पन्न न करने वाले तथा खतरे से रहित समझा गया है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार की यह नीति है कि उपरोक्त वर्गीकृत सब कारखानों को पुरानी दिल्ली से स्थानान्तरित किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उन्हें किस अवधि में स्थानान्तरित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में संकटमय तथा घृणोत्पादक कारखानों का स्थानान्तरण

2792. **श्री धी० ना० देव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास अधिकरण ने संकटमय तथा घृणोत्पादक कारखानों को शहर से स्थानान्तरित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने कारखानों को स्थानान्तरित कर दिया है अथवा स्थानान्तरित करने का नोटिस दे दिया है तथा उनके नाम क्या हैं और उन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संकटमय तथा घृणोत्पादक कारखानों को स्थानान्तरित करने के स्थान पर दिल्ली विकास अधिकरण कुछ गैर-संकटमय तथा घृणा उत्पन्न न करने वाले कारखानों को स्थानान्तरित कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उन कारखानों के क्या नाम हैं जिन्हें अब तक स्थानान्तरित कर दिया है तथा स्थानान्तरित करने का नोटिस दे दिया है तथा यह स्थानान्तरण किस अवधि में होगा और उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कुछ फर्मों द्वारा देय बकाया राशि

2793. **श्री धी० ना० देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को निम्नलिखित फर्मों के करों की कितनी राशि लेनी बाकी थी;

(1) मेसर्स गुडलक एण्ड कम्पनी, कमला मार्कीट, नई दिल्ली

(2) मेसर्स पब्लिक रिलेशन काउन्सिल आफ इंडिया, मोहन हाउस, 12 आर, इन्दिरा मार्कीट, दिल्ली,

(3) मेसर्ज साउथ एवेन्यू स्टोर, साउथ एवेन्यू लेन, नई दिल्ली,

(4) मेसर्ज किशनचन्द वीविंग फैक्टरी, अमृतसर,

(5) मेसर्ज गोपाल कृष्ण एण्ड कम्पनी, अमृतसर,

(6) मेसर्ज आर० सी० टेक्सटाइल, अमृतसर,

(7) मेसर्ज एन० डी० मेहरा एण्ड कम्पनी, अमृतसर,

(8) मेसर्ज लाल वूलन एण्ड सिल्क मिल्स, अमृतसर,

(9) मेसर्ज गुरशनदास एण्ड कम्पनी, अमृतसर,

(10) मेसर्ज सूरन सिंह लछमन सिंह, अमृतसर;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने के लिये कार्यवाही की गई है तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) जिनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमे चलाये गये हैं उनके क्या नाम हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). नौ फर्मों के बारे में मांगी गई सूचना अनुबन्ध में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2434/68] शेष एक फर्म अर्थात् मेसर्स पब्लिक रिलेशन कौन्सिल आफ इंडिया, दिल्ली के बारे में सूचना इकट्ठी की जारही है तथा यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Promotion of Class IV Employees in Finance Ministry

2794. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether High School Pass and still more educated class IV employees are working in his Ministry for the last 10 years and more without getting promotion ;

(b) if so, their total number and the reasons for which they have not been promoted ;

(c) whether Government propose to formulate any scheme to give them promotions like the employees of other categories ; and

(d) if so, the time by which the new scheme is likely to be formulated ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) 20.

Class IV staff are not eligible for promotion to higher posts in the Central Secretariat Clerical Service under existing rules. The applications of interested qualified class IV staff are, however, forwarded to subordinate offices under the Ministry of Finance for being considered for promotion to Class III posts, as and when occasions arise, but it has been noticed from some cases that the persons are not interested in getting a promotion outside Delhi and neighbouring areas.

(c) and (d). The procedure for appointment of educationally qualified Class IV staff in the grade of Lower Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service is under consideration of the Ministry of Home Affairs in consultation with the Union Public Service Commission and necessary orders will be issued by them as soon as possible.

Shortage of Hospitals and Maternity and Child Welfare Centres in Almora (U. P.)

2795. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Dovelopment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of hospitals and Maternity and Child Welfare Centres in District Almora is insufficient as compared to its requirements ;

(b) whether Government propose to open more hospitals, Maternity and Child Welfare Centres in rural areas of the said District during the current year ; and

(c) if so, the number thereof and the places where they are likely to be opened ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

2796. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में बहुत से वरिष्ठ तथा अनुभव प्राप्त अधिकारियों के थोड़े समय तक ही रहने के कारण इस आयोग के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यालय में अधिकारियों की पदावधि संबंधी नीति का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना

2797. **श्री ग० शं० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए

कौन-कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं और उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए भेजी गई परियोजनाओं की तुलना में मध्य प्रदेश के सिनोई जिले की अपर बेनगंगा परियोजना, जिसका सी० डब्ल्यू० पी० सी० द्वारा सर्वेक्षण किया गया था, सबसे अच्छी है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 25 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाए। इन परियोजनाओं की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2435/68]**

इनमें से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में अभी तक ग्यारह स्कीमों की रिपोर्टें/प्रोफार्में जांच पड़ताल के लिए प्राप्त हो चुके हैं। इन स्कीमों की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं। (परिशिष्ट-2) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2435/68]**

(ख) और (ग). अपर बेनगंगा परियोजना, जिसका अनुसंधान केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने किया है, की अनुमित लागत 968.34 लाख रुपये है और इससे 186000 एकड़ भूमि की सालाना सिंचाई होगी। प्रति एकड़ सिंचाई की लागत 521 रुपये है जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाई गई नई मध्यम स्कीमों के मुकाबले में महंगी नहीं है।

कीटनाशी औषधियों का प्रस्तावित कारखाना

2798. **श्री ग० शं० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में कीटनाशी औषधियों के प्रस्तावित कारखाने के स्थापना स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एग्रोकेमिकल्स का उत्पादन तथा कृषकों को वितरण

2799. **श्री ग० शं० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एग्रोकेमिकल के उत्पादन तथा उसके किसानों में वितरण के बारे में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को इस नीति के आधार पर क्या लाभ दिये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार तथा फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख के विरुद्ध मुकदमा

2800. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 277 के अन्तर्गत फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार तथा फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख के विरुद्ध वर्ष-वार कितनी-कितनी राशि के मुकदमे दर्ज किये गये हैं ?

(ख) ये मुकदमे किस अवस्था में हैं और इनके कब तक समाप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) धारा 277 के अन्तर्गत फिल्म जगत के अन्य किन व्यक्तियों के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि के मुकदमे दर्ज किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) मुकदमे अभी न्यायालयों में चल रहे हैं । यह कहना सम्भव नहीं है कि न्यायालय द्वारा उनके फैसले कब होंगे ।

(ग) 1. श्री टी० एस० बालाय्या

2. श्री किशोर कुमार

उपर्युक्त मामलों में ग्रस्त आयकर की रकम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Rural Electrification in Madhya Pradesh

2801. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of villages electrified in Madhya Pradesh during 1967-68 and the District-wise number thereof ;

(b) the number of tubewells for which power was made available in Madhya Pradesh during 1967-68 ;

(c) the total amount spent on electrification of villages and supplying power for tube-wells ; and

(d) the extent of increase in the annual income to Government thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 232. The district-wise break-up is given in the statement laid on Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2436/68].**

(b) 6431 irrigation pumpsets were energised during 1967-1968.

(c) An expenditure of Rs. 248.40 lakhs has been incurred during 1967-68.

(d) Approximately Rs. 14 lakhs.

Assistance to Goldsmiths

2802. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government to make available funds this year for the purpose of granting loans to goldsmiths in the State as also to grant stipends to their school and college-going children ;

(b) if so, the amount proposed to be given to the State for this purpose ; and

(c) when the amount would be made available to Madhya Pradesh and the reasons for the delay, if any ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). The Madhya Pradesh Government requested for an advance of Rs. 10 lakhs for disbursement as loans to displaced goldsmiths during the year 1968-69. As the State Government already had an unspent balance of Rs. 7.93 lakhs lying with them out of the amounts sanctioned during the previous years for the purpose, the same has been revalidated for utilisation during the year 1968-69. In the Gold (Control) Act, 1968, the provisions relating to goldsmiths have undergone substantial modifications, **inter alia,** permitting the goldsmiths who had earlier obtained rehabilitation loans with a view to setting in alternative vocations, to revert, subject to certain conditions, to the goldsmiths' profession, if they so choose. Keeping in view this change, should the State Government after utilising the said re-sanctioned sum of Rs. 7.93 lakhs, still feel the need for additional funds for rehabilitation of goldsmiths, they would ask for such funds and the matter would be examined on receipt of their request.

The sums spent by the State Government on stipends to school/college-going children of goldsmiths are reimbursed by the Central Government on presentation of the claims by the State Government duly certified by the concerned Accountant General. No such claim for reimbursement is pending with the Central Government.

फरक्का बांध में निर्माण कार्यों के लिए ठेकों का दिया जाना

2803. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना के अधिकारियों द्वारा ठेके दिये जाने के बारे में किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की किसी भी फर्म पर, यद्यपि उनमें से कुछ फर्मों ने कम दर पर बताये थे, बड़े निर्माण कार्यों के ठेके देने के मामले में विचार नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) परियोजना पर निर्माण-कार्य अलाट करने में इन बातों का ध्यान रखा जाता है—ठेकेदारों द्वारा निविदा की हुई

धन-राशि की परस्पर स्थिति, निविदा किए हुए कार्य को हाथ में लेने के लिए उनकी तकनीकी और वित्तीय सामर्थ्य, नियत तिथि तक कार्य पूरा करने के लिए उनकी योग्यता, कार्य-स्थल पर ठीक प्रकार की मशीनें उचित संख्या में लाने के बारे में उनके संसाधन, विदेशी मुद्रा इत्यादि की आवश्यकता ।

(ख) और (ग). सारी की सारी फर्मों के सम्बन्ध में, जिन्होंने समय-समय पर विविध कार्यों के लिए निविदाएं दी हैं, उनके गुण के अनुसार यथोचित विचार किया गया है ।

सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के लिए ठीक नीचे की श्रेणी का क्वार्टर दिये जाने सम्बन्धी नियम का पुनः लागू किया जाना

2804. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्वार्टरों को आवंटन के लिए सरकार ठीक नीचे की श्रेणी के क्वार्टर देने सम्बन्धी नियमों को सरकारी क्वार्टरों के कुछ ऐसे वर्गों में, जहां यह पहले लागू नहीं है, लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह नियम न होने के कारण सरकार को मकान किराया के रूप में बहुत घाटा हो रहा है क्योंकि अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी निम्न वर्ग के क्वार्टरों में रहने के कारण कम किराया दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किये गये वास का किराया मूल नियम 45-(क) (एफ० आर० 45-ए) के अधीन पूल किये गये मानक किराये के आधार पर अथवा उसकी मासिक परिलब्धियों के 10 प्रतिशत, इन दोनों में से जो भी कम हो, के आधार पर वसूल किया जाता है । निचली टाईप का वास आवंटित किये जाने पर उपर्युक्त प्रकार से किराया वसूल किया जाता है और इस तरह सरकार को हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचकुइयां रोड, राजा बाजार नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना

2805. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई-जून, 1965 में क्वार्टरों को बदलने के लिए सरकारी कर्मचारियों से आवेदन-पत्र मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कालोनियों से चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों ने पंचकुइयां रोड, में नई टाइप के क्वार्टरों तथा राजा बाजार क्षेत्र में क्वार्टरों के लिए आवेदन दिये थे; और

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को पंचकुइयां रोड तथा राजा बाजार क्षेत्र में पृथक्-पृथक् क्वार्टर दिये गये और उनको सरकारी सेवा में किस तारीख को नियुक्त किया गया था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के 252 कर्मचारियों ने पंचकुइयां रोड के नये टाईप I के क्वार्टरों के परिवर्तित (चेन्ज) के लिए तथा 22 ने राजा बाजार के क्वार्टरों के लिए आवेदन किया था।

(ग) जिन कर्मचारियों को नये टाईप I क्वार्टरों का परिवर्तन दिया गया है उनकी संख्या पंचकुईयां रोड पर 41 है तथा राजा बाजार में 7 है। इन 48 कर्मचारियों की प्राथमिकता तारीख 4 फरवरी, 1928 से लेकर 1 मई, 1954 के बीच है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जस्ते का आयात

2806. **श्री शिव चरण लाल :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री केदार पस्वान : **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री गयूर अली खां :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रम जस्ते का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जून 30 से 15 नवम्बर, 1968 तक कितनी मात्रा में जस्ते का आयात किया गया;

(ग) आयात किये गये जस्ते की कुल कीमत क्या थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, मिनरल्स ऐण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड और हैण्डीक्राफ्ट्स ऐण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड जैसे उपक्रम जस्ते का आयात करते हैं। इनमें से निर्माणकारी उपक्रमों को उनके उत्पादन के काम आने वाली एक वस्तु के रूप में जस्ते की जरूरत पड़ती है पर मिनरल्स ऐण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन और हैण्डीक्राफ्ट्स ऐण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन जस्ते का इसलिए आयात करते हैं कि वे समय-समय पर निर्धारित की गई सरकारी नीति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं में उसका पुनर्वितरण कर सकें।

(ख) और (ग). 1.62 करोड़ रुपये के मूल्य के आयात किये गये 7161 मेट्रिक टन जस्ते के अतिरिक्त कुल 86.37 लाख रुपये के मूल्य के, विभिन्न किस्मों के 3943 मेट्रिक टन जस्ते के आर्डर भी दिये जा चुके थे और इन आर्डरों का माल जहाजों में लद कर अभी आ रहा है।

अपमिश्रण की रोकथाम

2807. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने दावा किया है कि उत्पादकों तथा व्यापारियों का यह अधिकार है कि अपमिश्रण की रोकथाम करने के लिए कोई विशिष्ट विवरण निर्धारित करने से पहले उनसे परामर्श किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य तथा व्यापार मंडल संघ ने सरकार को यदि कोई पत्र भेजा है, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री(श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2437/68]

Fertilizer Plant in Hanumangarh (Rajasthan)

2808. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the scheme of setting up a fertilizer plant in Hanumangarh town, agriculture dominated district of Sriganganagar, has been abandoned ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) if not, the difficulties that have arisen in implementing this scheme at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) (a) to (c). There is no scheme at present for the establishment of a fartilizer factory at Hanumangarh. A licence was granted to a private party in March, 1961 for establishing a fertilizer project at Hanumangarh but as the party askcd for a change in the location to Kota, the change was agreed to by Government. The revised scheme also did not make a satisfactory progress and the licence was ultimately revoked in April, 1967.

पूर्वी पाकिस्तान द्वारा बांध परियोजनाओं का निर्माण

2809. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में कुछ बांध परियोजनाओं का निर्माण किया है

जिससे हमारे देश में विशाल भूभाग को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) सरकार ने देश को इस विपत्ति से बचाने के लिए इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Sinking of Tube-Wells for Drinking Water in Rajasthan

2810. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of tube-wells sanctioned and sunk during 1965-66, 1966-67 and 1968 to remove the scarcity of drinking water in rural areas of Rajasthan;

(b) the number of tube-wells sunk district-wise and the expenditure on each;

(c) whether it is a fact that Government are considering a scheme for villages in Bikaner with Saline water; and

(d) if so, when it would be implemented?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). The required information is still awaited from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

(c) and (d). The Government of Rajasthan have under consideration a scheme for serving the Lunkaransar Tehsil of Bikaner District by tapping the water from the Ganga canal project. The details of the scheme have not been received from the State Government so far.

Rate of Electricity for Farmers

2811. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the All India Policy farmers are to be supplied electricity at the rate of 12 paise per unit, but in many States more than 12 paise are being charged per unit from farmers on one or the other excuse; and

(b) if so, the reasons for the variation and the steps which are being taken by Government to bring improvement in rates?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). The Government of India had recommended that the ceiling rate of power supply for agricultural purposes should be fixed at 12 paise per unit and that the rates in excess of 12 paise per unit be subsidised. In pursuance of this recommendation, the Government of India agreed to subsidise electricity rates for agricultural purposes over 12 paise per unit to the extent of 50%, the remaining 50% being met by the State Government concerned. The details of the subsidy scheme were indicated in reply to Lok Sabha Starred Question No. 368 on 30-11-67. Except for the States of Andhra Pradesh, Kerala, Madras, Mysore, Orissa (with the exception of diesel areas) Punjab and West Bengal, the average agricultural

tariff rates are more than 12 paise per unit mainly because of variations in the cost of generation, extent of transmission and distribution lines, overhead charges and variations in adjustments in tariff rates between different classes of consumers because of the load factor and the diversity factor. In the States where the agricultural tariff rates are higher than 12 paise per unit, it has not been possible for the State Governments, because of constraint of financial resources, to bear their portion of the subsidy in reducing agricultural tariff rates. The Government of India have taken up, wherever necessary with the State Governments concerned, the introduction of promotional tariffs for agricultural supply in order to increase food production. The Bihar State Electricity Board, with effect from 1-11-68 has reduced the average agricultural tariff from 17.34 paise to 15 paise per unit and UP State Electricy Board has reduced the average agricultural tariff from 21.78 to 15 paise per unit, with effect from 1-7-68.

Housing Facilities to Non-Gazetted Employees

2812. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether houses have been constructed in Rajvanshi town of Patna (Bihar) for providing housing facilities to non-gazetted employees;

(b) whether those houses have not been allotted to the non-gazetted employees;

(c) whether a deputation of the employees had met the Governor in July, 1968 in this eonnection and the Governor had assured speedy action in this regard; and

(d) if so, the reasons for not allotting the houses constructed in Rajvanshi town to the employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (d). Sanction has been accorded by the Government of Bihar for the construction of 800 residential units at Rajvanshi Nagar renamed as Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna. The construction work on 600 flats has already been taken up and out of these 42 flats have been completed and allotted to Legislators, State Government Dispensary and Aircraft Maintenance Organisation. So far the allocation for 110 flats has been made. A proposal for distribution of the remaining flats among various Departments of the State Government, in proportion to their staff strength, is under active consideration of the State Government and the decision is likely to be taken shortly. Allotment to non-gazetted staff will be made by the Departments themselves as soon as the flats are complete in every respect. Delay in allotment is due to the non-completion of these flats.

There is nothing on record about the assurance by the Governor.

Sale of Chalk by Sindri Fertilizer Factory to A. C. C.

2813. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether chalk, a by-product, produced by the Sindri Fertilizer Factory is being sold to A. C. C. Cement Company at the rate of Rs. 10/- per tonne since 1951, when the said fertilizer factory was set up, and the cement factory turns it into cement easily by the process of pulverisation;

(b) whether it is also a fact that the price of chalk has not been increased for the last

17 years whereas the price of cement, the cost of extracting gypsum of which chalk is a by-product from the mines and also the rate of freight for transportation have been on the increase regularly; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) Chalksludge, a waste by-product in the manufacture of ammonium sulphate at Sindri is being sold to the Associated Cement Companies Ltd. from September, 1955 at Rs. 9/- per long ton for the manufacture of cement.

(b) and (c). The sale is being effected on the basis of an agreement, dated 25th August, 1952, for a period of 20 years from the date of commencement of the cement factory. In 1958, A. C. C. asked for a reduction of price by Rs. 3/- per ton for the additional supply of 350 long tons of chalk sludge per day from the expansion plant. The price question was referred to Tariff Commission and Tariff Commission recommended that for the additional supply also the price of Rs. 9/- per long ton may continue.

New Process of Manufacturing Fertilizers by Sindri Fertilizer Factory

2814. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Research and Development Division, Sindri has evolved a process of manufacturing complex fertilizer by ammonium nitrate waste and has acquired complete efficiency from designing to setting up of the plant;

(b) if so, the projects being implemented by Government by adopting the said process in view of the shortage of sulphur throughout the world and the increased demand for fertilizers; and

(c) whether Government have given any incentive to the employees who have evolved the process?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) and (b). A process for the manufacture of nitrophosphatic fertilizer without the use of sulphur has been developed by the Planning and Development Division of Fertilizer Corporation of India. Adoption of this process in future installations will be given due consideration at the appropriate time.

(c) The achievements of the P & D Division are mainly through team work and as such it is not the practice to give incentive to individuals.

Foreign Collaboration for Manufacturing Catalysts

2815. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Research & Development Division, Sindri is preparing designs and engineering structures of fertilizer factories for the last ten years and is manufacturing catalysts of all kinds;

(b) if so, the reasons for seeking foreign collaboration in this field;

(c) whether it is also a fact that a firm of U. S. A. imposed the condition of partnership before extending credit facilities and that this partnership has been agreed for the purpose of getting credit ; and

(d) if so, whether Government have adopted this policy of getting credit of foreign exchange in the face of dearth of Indian capital ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) The Planning & Development Division, of the Fertilizer Corporation of India has been engaged in the design, engineering, procurement, installation etc. of fertilizer factories since 1956-57. It has also developed the know-how and manufacturing facilities for some of the catalysts required in fertilizer industry.

(b) Indian capital needs to be supplemented by foreign capital for the rapid development of the fertilizer industry. Sometimes technical and industrial knowledge and capital equipment can best be secured alongwith foreign investment. In the case of catalysts, the P & D Division of Fertilizer Corporation of India are able at present to produce some fertilizer catalysts only ; and there is no indigenous know-how available for the manufacture of catalysts to be used in the petroleum and petro-chemical industries.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Family Planning Programme in Madhya Pradesh

2816. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons who underwent family planning operations in Madhya Pradesh during the years 1966, 1967 and 1968 till to-date ;

(b) the number of men and women out of them separately ; and

(c) the number of family planning centres at present functioning in the rural and urban areas of Madhya Pradesh and the amount of expenditure incurred on them by Government annually ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) and (b). The number of persons who underwent sterilisation operations in Madhya Pradesh during the years 1966, 1967 and this year upto 31st October and the number of men and women among them are as follows :—

Year	Males	Females	Total
1966	61,828	4,583	66,411
1967	1,73,348	6,061	1,79,409
1968 (upto Oct'68)	63,938	5,897	79,017*

(c) According to information furnished by the State Government, the number of family planning centres at present functioning in the State is as follows :—

(i) Main Rural Family Welfare Planning Centres	—	428
(ii) Rural Family Welfare Planning Sub-centres	—	500
(iii) Urban Family Welfare Planning Centres	—	98
Total :		1,026

*Sex-wise break-up of 9,182 cases for October, 1968, is not available.

Information about the expenditure incurred on these centres is not readily available and is being collected from the State Government.

Schemes of Delhi Administration Under Consideration in Ministry of Health, Family Planning and Urban Development

2817. **Shri T. P. Shah :** **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the schemes forwarded by the Delhi Administration which are under consideration at present in his Ministry ;

(b) the dates on which these schemes were forwarded and the stages at which they are at present ;

(c) whether it is a fact that the Ministry are taking a long time in the consideration of these schemes ; and

(d) if so, the reasons therefor and the time by which final decision is likely to be taken in regard to these schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

M/s Ramlal Jawahar Lal and Co., Ujjain

2818. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Directors of M/s. Ramlal Jawahar and Company, Ujjain do different types of business with a view to save income-tax ;

(b) if so, the details of business being done by them ; and

(c) the total income-tax paid by them during the last eight years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The information regarding the income-tax paid by the partners of the firm during the last five years is available and is given below :—

	Tax paid during the last five years				
Name of partner	**1962-63**	**1963-64**	**1964-65**	**1965-66**	**1966-67**
Narendra Kumar	1,607	1,383	2,411	2,369	1,161
Hukumchand	8,864	3,273	16,523	11,115	15,300
Kailashchandra	5,492	3,056	8,783	1,581	5,416
Yogendra Kumar	1,882	1,257	3,510	2,164	1,150
Mohanlal	8,404	3,019	16,770	13,325	3,835
Prem Kumar	1,361	1,109	2,286	940	1,280
Om Prakash	1,021	820	—	—	—
Jawaharlal	6,253	4,394	11,660	3,385	2,615

M/s. Dodsal Private Ltd., Bombay

2819. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the number of contracts received by M/s. Dodsal (P) Ltd., Bombay, for construction work since 1963 todate; and

(b) the number of those contracts out of them belonging to individuals, State Governments and Central Government respectively?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Family Planning operations of Central Government Employees

2820. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of Central Government Employees who underwent vasectomy and tubectomy operations during 1966 and 1967; and

(b) the number of gazetted and female employees among them?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) and (b). Separate statistics in respect of Central Government employees who underwent vasectomy and tubectomy operations during 1966 and 1967 are not maintained.

Adoption of Family Planning Methods by Officials

2821. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the number of Family Planning Officers and employees in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan who have adopted family Planning methods during the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrashekhar): Separate statistics in respect of Family Planning Officers and employees are not maintained.

उत्तर तथा दक्षिण बिहार में बिजली का उपभोग

2822. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 26 अगस्त 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5711 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बीच लगभग सात गुने अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(क) क्या उत्तर बिहार को अधिक बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने लक्ष्य में परिवर्तन करने के लिये कहा था; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) उत्तर बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता बरौनी में 50-50 मैगावाट के 2 और उत्पादन यूनिट लगा कर बढ़ाई जा रही है। 50 मैगावाट के पहले यूनिट के दिसम्बर, 1968 में और दूसरे यूनिट के मई, 1969 में चालू होने की सम्भावना है। राज्य बिजली बोर्ड कोसी में एक पन बिजली केन्द्र स्थापित कर रहा है जिसमें 4 यूनिट होंगे और उसकी प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 20 मैगावाट होगी। इसके पहले दो यूनिटों के चालू वर्ष में तथा बाकी दो यूनिटों के 1969-70 में चालू होने की सम्भावना है।

बोर्ड ने उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार की विद्युत प्रणालियों को मोकामेच में गंगा नदी पर 132 के० वी० के पारेषण पथ द्वारा मिलाने के लिए पग उठा लिए हैं। इस कार्य के अप्रैल, 1969 तक पूरा होने की सम्भावना है जबकि दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को 100 एम० वी० ए० तक बिजली दी जा सकेगी।

इन सारे कार्यों के पूरा होने पर उत्तर बिहार क्षेत्र में विद्युत संभरण की स्थिति के काफी सुधरने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). उत्तर बिहार में 1973-74 तक अधिकतम बिजली की मांग 161 मैगावाट तक बढ़ जाने की सम्भावना है। इसके प्रति उत्तर बिहार में 105 मैगावाट पक्की क्षमता के साथ कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 165 मैगावाट होगी। उत्तर बिहार की शेष आगामी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दक्षिण बिहार से बिजली देने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बिहार के अधिकारी

2823. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में बिहारी अधिकारियों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). प्रश्न संख्या 4255 में (1) बिहार स्थित उपक्रमों में बिहारी अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में उनके अनुपात के बारे में और (2) प्रत्येक राज्य में स्थित उपक्रमों में अन्य राज्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में तदनुरूप सूचना, मांगी गई थी।

जहां तक (1) का सम्बन्ध है, सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र में सूचना दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2438/68]**

जहां तक (2) का सम्बन्ध है, इकट्ठी की जा रही सूचना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, इसे यथासमय सभा-पटल पर रखा जायेगा।

बराह क्षेत्र ऊंचा बांध तथा जल विद्युत परियोजना

2824. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3583 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल-बराई क्षेत्र जल विद्युत परियोजना (18 लाख किलोवाट) को त्याग देने के क्या कारण थे;

(ख) क्या मूल प्रस्तावित ऊंचे बांध के निर्माण किये जाने से कोसी नदी में बाढ़ को पूर्ण रूप से रोकने और पुश्तों के बीच की लाखों एकड़ भूमि बचाने को और सुव्यवस्थित सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सकेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या बराई क्षेत्र हाई डेम और हाइडल प्रोजेक्ट को फिर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोसी नदी के ऊपर बराह क्षेत्र में, एक बहुत ऊंचा बांध बनाने के प्रस्ताव को प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया गया था।

(ख) मूलरूप में प्रस्तावित उच्च बांध से कोसी के बाढ़ क्षेत्र में पर्याप्त संरक्षण की परिकल्पना की गई थी।

(ग) और (घ). प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण इस परियोजना को फिर प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आसाम स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड तथा एशियन आयल कम्पनी को गैस का सप्लाई किया जाना

2825. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इण्डिया लिमिटेड आसाम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपनी उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत दर पर गैस सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आसाम आयल कम्पनी को वास्तविक उत्पादन लागत पर गैस सप्लाई की जा रही है; और

(ग) इन दो संस्थाओं को रियायतें देने के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप आयल इण्डिया लिमिटेड को कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। किन्तु इसे 42.10 रुपये प्रति 1000 घन मीटर तक बढ़ा दिया जायेगा जब भारतीय तेल निगम गैस लेना आरम्भ कर देगा।

(ग) आसाम आयल कम्पनी और आसाम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए गैस का मूल्य उस समय निर्धारित किया था जब आसाम में गैस के कोई ग्राहक नहीं थे। इसके अलावा, आसाम सरकार ने आसाम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाईज के बारे में विशेष वट्टागत मूल्य के लिये कहा था ताकि बोर्ड आसाम में उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ सस्ती दरों पर बिजली पैदा कर सके।

आयल इण्डिया लिमिटेड

2826. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इण्डिया लिमिटेड के वित्तीय निदेशक, जिनका कार्यालय दिल्ली में है, 1963 से अब तक कम्पनी के मुख्यालय का दौरा नहीं कर सके हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक भी स्थायी रूप से दिल्ली में ही रहते हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में दुलियाजन और दिल्ली में वर्षवार बोर्ड की कितनी सभाएं हुई हैं और दिल्ली में सभा में भाग लेने के लिए आने वाले व्यक्तियों के यात्रा और दैनिक भत्ते के रूप में कितना व्यय हुआ; और

(घ) क्या सरकार ने कभी सुझाव दिया था कि वित्तीय निदेशक और प्रबन्ध निदेशक को स्थायी तौर पर मुख्यालय में रहना चाहिए और इस बारे में आयल इण्डिया लिमिटेड की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) शायद कम्पनी के दुलियाजान के रजिस्टर्ड आफिस की ओर इंगित किया जा रहा है। यह सत्य है कि वित्तीय निदेशक ने जून 1963 से सितम्बर, 1968 तक दुलियाजान का कोई दौरा नहीं किया। परन्तु अक्तूबर 1968 में ऐसा दौरा किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सरकार ने कम्पनी की वित्तीय निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक के दुलियाजान पर ठहरने का कोई सुझाव नहीं दिया है। किन्तु इस बारे में एस्टीमेट कमेटी की सिफारिश पर, कम्पनी ने बताया है कि प्रशासनिक रूप से यह आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में, वित्तीय निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक नई दिल्ली में रहें।

चौथी योजना में हरियाना के लिए सिंचाई सुविधाएं

2827. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में हरियाना में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के कार्यक्रम का

अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में हृदय प्रतिरोपण के आपरेशन

2828. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हृदय प्रतिरोपण के और आपरेशन किये गये हैं;

(ख) क्या इनमें से कोई एक आपरेशन किसी सरकारी अस्पताल में भी किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा कोई रुचि न लेने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश में अभी तक केवल दो हृदय प्रतिरोपण के आपरेशन किये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार हृदय-प्रतिरोपण आपरेशनों के बारे में जागरूक है। यह कार्य अभी एकदम प्रयोगात्मक अवस्था में है। हृदय-प्रतिरोपण का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय है।

व्यास डिजाइन संगठन

2829. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास डिजाइन संगठन की सर्व-प्रथम कब स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना किस जगह की गई थी;

(ख) इसकी दिल्ली में कब स्थापना की गई थी और क्यों;

(ग) दिल्ली से व्यास डिजाइन संगठन के कार्यालयों को और स्थानों पर ले जाये जाने के लिये किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि व्यास डिजाइन संगठन के मुख्य इंजीनियर ने यह विचार प्रकट किये हैं कि इसका स्थान बदले जाने से इसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) संगठन के स्थान बदलने और इसके फिर से स्थापित करने पर कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ब्यास अभिकल्प संगठन नई दिल्ली में 1961 में बना था जबकि भाखड़ा अभिकल्प संगठन का दो-बारा नाम भाखड़ा और ब्यास अभिकल्प संगठन रखा गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस अभिकल्प संगठन के दो निदेशालय जून/जुलाई, 1963 में नांगल स्थानान्तरित कर दिए गए थे और शेष दो निदेशालयों को अब स्थानान्तरित किया जा रहा है क्योंकि भाखड़ा परियोजना के क्रियाकलापों में कमी के कारण नांगल में काफी जगह खाली हो गई है। इससे इन दो यूनिटों के काम में भी और अधिक समन्वय आ जाएगा ।

(घ) जी, हां । परन्तु जनरल मैनेजर इस विचार से सहमत नहीं हैं ।

(ङ) कर्मचारियों को देय यात्रा-भत्ता आदि समेत, स्थानान्तरण पर तो लगभग 10 हजार रुपये, और अभिकल्प कार्यालयों को जगह देने के लिए नांगल में कुछ भवनों में परिवर्तन पर 70 हजार रुपये खर्च हुए हैं । इस खर्च की प्रतिपूर्ति नांगल में पड़ी खाली जगह का उपयोग करने से उत्पन्न लाभ से तथा कर्मचारियों के यात्रा भत्ते आदि में लगभग 10 हजार रुपये की बचत से हो जाएगी ।

राज्यों में आवास तथा नगरीय विकास के लिए धन का नियतन

2830. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1968-69 के आवास तथा नगरीय विकास योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को, सरकार ने धन का नियतन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितना धन नियत किया गया है; और

(ग) 1968-69 के लिए उक्त प्रयोजनों के लिए राज्यों की मांगें क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां, राज्यों को सामाजिक आवास योजनाओं के लिए (गन्दी बस्ती सफाई योजना को छोड़कर) 1968-69 वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता का नियतन कर दिया गया है । नगर-विकास (नगर आयोजना सहित) के लिए परीक्षात्मक आधार पर, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर-विकास मंत्रालय द्वारा नियतन कर दिया गया है, जो कि अब इस विषय (तथा गन्दी बस्ती सफाई भी) से सम्बन्धित हैं । अभी तक गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए कोई राशि नियत नहीं की गई है, परन्तु केन्द्रीय बजट में 304.00 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) और (ग). सूचना अनुलग्नक में दे दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2439/68]

उत्तर प्रदेश में आवास योजनाओं के लिए धन का नियतन

2831. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के लिये केन्द्र द्वारा अब तक निम्नलिखित के लिये कितना धन मंजूर किया गया है (एक) राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना (दो) अल्प आय वर्ग आवास योजना (तीन) मध्यम आय वर्ग आवास योजना तथा (चार) ग्रामीण आवास योजना;

(ख) इन प्रयोजनों के लिये अब तक वास्तव में कुल कितना धन दिया गया था; और

(ग) प्रत्येक योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में कितने मकान अथवा फ्लेट बनाने का कार्यक्रम बनाया गया था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1968 तक उत्तर प्रदेश को 27.31 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता नियत की गई, जिसमें से राज्य सरकार ने खर्च की गई रकम के आधार पर केवल 19.25 करोड़ रुपये की रकम निकाली। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम की निधियों में से 3.95 करोड़ रुपये की राशि भी राज्य के लिए नियत की गई और यह रकम पूरी निकाल ली गई है।

(ग) ये सारी स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। वास्तविक लक्ष्य के आंकड़े इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्ती सफाई योजना

2832. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य को गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन मंजूर किया गया है;

(ख) इस योजना के लिये वास्तव में कितना धन दिया गया है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने मकान अथवा फ्लेट बनाने का कार्यक्रम था ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1968 तक गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूर तथा दी गई कुल धन राशि 233.51 लाख रुपये है।

(ग) 8650 मकान।

भारतीय तेल निगम द्वारा हिन्दी में प्रपत्रों आदि की छपाई

2833. **श्री हरदयाल देव गुण :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले अगस्त तथा सितम्बर में भारतीय तेल निगम ने कितने-कितने टेंडर, ठेके, करार, अधिसूचनायें, सरकारी परिपत्र, विज्ञापन तथा प्रपत्र हिन्दी में छापे थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : अगस्त और सितम्बर, 1968 के दौरान भारतीय तेल निगम ने 5 टेंडर, रद्दी माल (Scrap) के विक्रय के लिए दो विज्ञापन और आठ सामान्य विज्ञापन हिन्दी में प्रकाशित किये ।

यमुना जल विद्युत् परियोजना

2834. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना जल विद्युत् परियोजना के निर्माण कार्य के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना पर कुल कितना खर्च होगा; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यमुना पन-बिजली परियोजना पर अब तक हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

चरण-1 निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गए हैं । ढालीपुर बिजली घर में 17-17 मैगावाट के दो बिजली उत्पादन यूनिटों का और ढकरानी बिजली घर में 11.25-11.25 मैगावाट के दो यूनिटों का प्रतिष्ठापन हो गया है । ढालीपुर में 17 मैगावाट और ढकरानी में 11.25 मैगावाट के तीसरे यूनिट को लगाने का कार्य प्रगति कर रहा है ।

चरण-2 चिबरो बिजली घर में (60-60 मैगावाट के 4 यूनिट) और कोडरी बिजली घर में (30-30 मैगावाट के 4 यूनिट) प्रतिष्ठापन होने वाले प्रस्तावित बिजली उत्पादन यूनिटों के लिए आदेश दे दिए गए हैं । सिविल कार्य नामशः बिजली घर, सुरंगों इत्यादि की खुदाई प्रगति कर रहे हैं । बिजली घर का अभिकल्प और आयोजन कार्य प्रगति कर रहा है ।

चरण-3 प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

चरण-4 प्रारंभिक कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं ।

(ख) परियोजना पर होने वाला कुल व्यय 93.51 करोड़ रुपये है ।

(ग) आशा है परियोजना 1973-74 तक पूर्ण हो जाएगी ।

Madina Building in Hyderabad

2835. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rent of Madina Building in Hyderabad is sent abroad for the use of a religious shrine in some other country ;

(b) if so, since when this practice is in vogue ;

(c) the total amount of rent sent abroad in a year ; and

(d) whether this money is sent in the form of foreign exchange or in any other form ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No application for remittance of this amount to another country has been received.

(b) to (d). Do not arise.

Central Government Hospitals Enquiry Committee Report

2836. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the action taken on the Report of the Committee appointed to enquire into the working of the Central Government hospitals in Delhi ;

(b) the number of new hospitals proposed to be opened during the coming two years, the names of places where they are likely to be opened and the number of those hospitals which are proposed to be extended ; and

(c) the number of Ayurvedic hospitals among them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Hospital Review Committee has made over 200 recommendations out of which 130 recommendations have been processed so far.

(b) The Fourth Five Year Plan proposals, which are not yet final, envisage the opening of two new hospitals, one in West Delhi and another across the Jamuna. No substantial extension of any major hospital is contemplated.

(c) Nil.

दिल्ली में कालोनियों के मालिकों द्वारा कदाचार

2837. **श्री हरदयाल देवगुण : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कालोनियों के ऐसे मालिकों की, जिन्होंने दिल्ली की बृहत् योजना में महानगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत कालोनियों के विकास के लिये प्लाट-धारियों से बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, संख्या तथा नाम क्या हैं और उनके कार्यालय कहां-कहां हैं;

(ख) ऐसी कालोनियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो 1960 में बन गई थीं परन्तु उनका अभी तक विकास नहीं किया गया है और जिनके प्लाटों का कब्जा अभी तक प्लाटधारियों को नहीं दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी बस्तियां बनाने वालों द्वारा किये कदाचार के बारे में कहीं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है अथवा क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी बस्तियां बनाने वालों के विरुद्ध कोई दीवानी मुकदमें दायर किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे बस्तियां बनाने वालों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या प्लाट-धारियों के हितों का ध्यान रखने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और उपलब्ध हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जीवन बीमा निगम के निदेशक बोर्ड के सदस्य

2838. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था; इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन थे और यह बोर्ड कब तक कायम रहा; और

(ख) इस समय निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस निगम का अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक कौन है, इनको कब नियुक्त किया गया था तथा उनकी पदावधि और सेवा-शर्तें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत का जीवन बीमा निगम 1 सितम्बर, 1956 को स्थापित किया गया था । उसके 'सदस्य' ये थे :—

श्री एच० एम० पटेल (अध्यक्ष)
श्री मोहम्मद हाशम प्रेमजी
श्री डी० जी० करवे
श्री धीरेन मित्र
श्री एस० एम० रामकृष्ण राव
श्री चक्रेश्वर कुमार जैन
श्री वी० एल० मेहता
श्री रघुराज स्वरूप
श्री एल० के० झा
श्री बी० के० कौल
श्री एल० एस० वैद्यनाथन्
श्री ए० राजगोपालन
श्री के० आर० श्रीनिवासन
श्री वी० एच० वोरा तथा
श्री डी० पी० गजदर

वे, कुछ परिवर्तनों के साथ, 31 अगस्त 1958 तक कार्य करते रहे ।

(ख) (1 सितम्बर 1968 से पुनर्गठित) निगम के वर्तमान सदस्य ये हैं :—

श्री एम० आर० भिडे (12-1-1967 से अध्यक्ष)

श्री एस० एन० देसाई

श्री अकबर हैदरी

श्री एस० वी० कानूनगो

डा० बलजीत सिंह

श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन

श्री एम० वी० वीरप्पा

श्री ए० एम० एम० अरुणाचलम्

श्री दिलीप बोस

श्री जी० सी० दास

सरदार संतोख सिंह

श्री सी० एच० भाभा

श्री बी० डी० गरवारे तथा

श्री हरिभाई राणाभाई भास्कर

सरकारी सदस्य, केन्द्रीय सरकार की यथा-इच्छा अपने पद पर रहता है और गैर-सदस्य, 2 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है, यदि उसकी नियुक्ति के आदेश में उससे कम अवधि निर्दिष्ट नहीं की गयी हो ।

सदस्यों को कोई वेतन पाने का हक नहीं होता । बैठकों में भाग लेने के लिए उनको जीवन-बीमा निगम के नियमों के अनुसार फीस मिलती है ।

वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति की मुख्य शर्तें ये हैं :—

कार्यकाल : कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष;

वेतन : 4,000 रुपये प्रति माह, जिसमें से आयकर काटा जाता है, तथा कोई सेवानिवृत्ति उपदान नहीं दिया जाता । (पेंशन का तत्काल मूल्य प्राप्त करने के कारण वेतन में 555 रु० कम हो गया है) । पेंशन रुकी हुई है ।

नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता : निगम में उच्चतम पदों के अफसरों को मिलने वाली दर से ।

आवास : निगम द्वारा किराये पर आवास दिया जाता है । किराया उसकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत के बराबर होगा; लेकिन यदि स्टेंडर्ड किराया इससे कम हुआ तो केवल स्टेंडर्ड किराया लिया जाएगा ।

निगम के 2 प्रबन्ध निदेशक हैं, श्री एस० डी० श्रीनिवासन तथा श्री एन० वी० नायुडू । दोनों स्थायी कर्मचारी हैं । श्री एस० डी० श्रीनिवासन को प्रबन्ध निदेशक का पद जनवरी 1960

में दिया गया था। श्री नायुडू 18 मार्च 1957 से भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनको प्रबन्ध निदेशक का पद 1-9-1966 से दिया गया। वे जून 1967 में निगम की सेवा में वापस गये थे।

इस समय प्रबन्ध निदेशक के पद के लिए निर्धारित वेतन-मान 3,250 रुपया नियत है। प्रबन्ध निदेशक भी, अन्य कर्मचारियों की तरह ही निगम के पूर्ण कालिक कर्मचारी होते हैं और वे जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियमों के अन्तर्गत आते हैं।

जीवन बीमा निगम को हुई हानि

2839. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम का गठन होने के पश्चात (एक) अनियमितताओं, (दो) चोरी, (तीन) स्टाक में कमी, (चार) आग अथवा ऐसे किन्हीं अन्य कारणों के फलस्वरूप इसको कितनी हानि हुई है; और

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अनियमितताओं अर्थात् कर्मचारियों द्वारा किये गये दण्डनीय कार्यों के कारण निगम को 1 सितम्बर, 1960 से जो हानि हुई उसके ब्योरे नीचे दिये अनुसार हैं :—

मामलों की संख्या	हानि की सकल रकम	वसूलियों को हिसाब में लेने के बाद शुद्ध हानि
	रु०	रु०
257	6,30,764	4,90,606

चोरियों अर्थात् कर्मचारियों को छोड़कर दूसरे व्यक्तियों द्वारा किये गये दण्डनीय अपराधों के कारण निगम को 1 जनवरी, 1960 से जो हानियां हुईं उनके ब्योरे नीचे दिये अनुसार हैं :—

मामलों की संख्या	हानि की सकल रकम	वसूलियों को हिसाब में लेने के बाद शुद्ध हानि
	रु०	रु०
28	1,51,475	1,29,323

1960 से पहले की पूरी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

नई दिल्ली में, सन् 1964 में (1) पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित जीवन विहार भवन तथा (2) आसफ अली रोड स्थित जीवन उद्योग भवन में आग लगने के कारण जीवन बीमा निगम की दो सम्पत्तियों को क्षति पहुंची है। किन्तु सम्पत्तियों का अग्नि बीमा होने के कारण, 6 लाख

रुपयों से अधिक की क्षति पूर्ति बीमे की रकम में से की गई। फरवरी 1965 में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन के कारण दंगे होने से निगम के करूर स्थित शाखा कार्यालय को तकरीबन 7,000 रुपयों की क्षति पहुंची। निगम अपनी सम्पत्तियों का दंगे-फसाद के विरुद्ध बीमा नहीं करता, इसलिये क्षति-पूर्ति किये जाने का सवाल नहीं उठता।

(ख) इन मामलों की जांच-पड़ताल की जाती है तथा जिम्मेदार व्यक्ति तथा व्यक्तियों से हानि की रकम की वसूली के लिये और इसी प्रकार की क्षति को दुबारा न होने देने के लिये उचित कार्यवाही की जाती है।

जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों की भर्ती

2840. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने खरीद, ठेके, बिक्री तथा कर्मचारियों की भर्ती (500 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन वाले पदों के लिये) के हेतु कोई उचित नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन नियमों को बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इन्हें कब निश्चित किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां। जीवन बीमा निगम के I, II, III तथा IV श्रेणी के पदों पर भरती तथा तरक्की के बारे में नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 में दिये गये हैं।

अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षार्थी अधिकारियों की भरती के सम्बन्ध में नियम जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षार्थी अधिकारी) आदेश, 1967 में दिये गये हैं।

भवन निर्माण की जो सामग्री, महानिदेशक, संभरण तथा निपटान द्वारा निर्धारित दरों पर मिल जाती है, उसे दरों के ठेके में, निर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार खरीदा जाता है। अन्य खरीदों के लिये भाव मांगे जाते हैं।

भवन-निर्माण सामग्रियों से भिन्न मदों की खरीद तथा बिक्री के लिये कार्यविधि, भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय शक्तियां) स्थायी आदेश, 1960 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम (भांडार) संहिता, 1959 में दी गई है।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम के कार्य का मूल्यांकन

2841. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कार्य का कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम था और यदि नहीं, तो क्या सरकार त्रुटियों का पता लगाने और काम में सुधार करने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने पर विचार कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां। संसद की प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों पर संसदीय समिति ने निगम के कार्य संचालन की जांच की है। प्रशासनिक सुधार आयोग भी जीवन बीमा निगम के कार्य संचालन की जांच कर रहा है। निगम के नवीकरण व्यय अनुपात से यथा-व्यक्त व्यय के बढ़े हुए स्तर के कारणों की जांच करने और पालिसी-धारियों के अधिकतम हित-साधन के लिए खर्च के इस स्तर को नीचे उचित स्तरों पर लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक अथवा अन्य प्रकार के उपायों की सिफारिश करने के लिए श्री आर० आर० मोरारका की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों पर समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है और जहां आवश्यक था, समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा मोरारका समिति से रिपोर्टें अभी प्रस्तुत होनी हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन पर व्यय

2842. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अच्छे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर अधिक व्यय किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कितना अधिक व्यय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) चौथी योजना (1966-71) के लिए प्रस्तावित 229.31 करोड़ रुपये की राशि के स्थान पर 547.62 करोड़ रुपये की अस्थायी व्यवस्था का चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के लिये सुझाव दिया गया है जिस पर योजना आयोग विचार करेगा। इसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

देश के मेडिकल कालेजों में दाखिला

2843. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में भारत के विभिन्न मेडिकल कालेजों में कितने विद्यार्थी दाखिल हुए हैं

और भिन्न-भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यवार तथा राज्य क्षेत्र वार कितने प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दाखिल किया गया था;

(ख) आगामी वर्ष तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में दाखिले के लिये राज्यवार तथा कालेजवार कितनी अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि देश के सभी मेडिकल कालेजों में दाखिले का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। कितनी-कितनी सीटों की व्यवस्था की जाएगी, यह चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही निर्भर करता है।

छोटी बचत से वसूली

2844. **श्री हेमराज :**

श्री एस० आर० दामानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में छोटी बचत से कितनी राशि एकत्र की गई; और

(ख) 1968-69 में कितनी राशि वसूल होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लगभग 123.84 करोड़ रुपया (शुद्ध)।

(ख) बजट में छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत 120 करोड़ रुपया इकट्ठा किये जाने का अनुमान लगाया गया है और आशा है कि इतनी रकम इकट्ठी हो जायगी।

दामोदर घाटी निगम

2845. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में कितनी सफलता मिली है; और

(ख) क्या वह नौवहन का विकास करने तथा उन पर नियन्त्रण करने, वनारोपण को बढ़ावा देने तथा भूमि के कटाव को रोकने, और जन स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योगों को बढ़ावा देने में सफल रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली का उत्पादन व वितरण दामोदर घाटी निगम के मुख्य उद्देश्य हैं

जबकि घाटी में नौवहन, भूकटाव पर नियंत्रण रखना, वनारोपण और अपने कार्य क्षेत्र में जन-स्वास्थ्य सेवाओं का चलाना और कृषि, उद्योग, आर्थिक तथा साधारण खुशहाली को बढ़ावा देना इसके गौण उद्देश्य हैं। चार बांधों के पूर्ण होने पर 650000 क्यूसेक बाढ़ पानी को नियंत्रित करना सम्भव हो गया है। 7.02 लाख एकड़ भूमि (खरीफ) और 0.469 लाख एकड़ भूमि (रबी) की सिंचाई की गई है। बिजली की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 1061 मैगावाट है और इससे न केवल दामोदर घाटी की आवश्यकताओं को ही पूर्ण किया जाना है बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को भी पूर्ण कर दिया गया है। एक नौवहन नहर बना दी गई है और 1,37,069 एकड़ क्षेत्र में जंगल लगा दिये गये हैं। वनरोपण कार्यक्रम के लिए छोटे पौधे देने के लिए दामोदर घाटी निगम ने अपनी नर्सरियां तैयार कर ली हैं। भू-कटाव रोधी उपाय भी किये गये हैं। मलेरिया और फाइलेरिया रोधी उपाय हाथ में ले लिए गये हैं और उन्हें घाटी में जारी रखा जा रहा है। बाढ़ नियन्त्रण, सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में निगम की उपलब्धियों से घाटी में कृषि तथा उद्योग में काफी सुधार हुआ है।

राज्यों द्वारा देय केन्द्रीय ऋण

2846. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1968 के पश्चात् राज्यों को दिये गये केन्द्रीय ऋण में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और प्रत्येक राज्यों को कितना अधिक ऋण दिया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). राज्यों की आयोजना-सम्बन्धी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें दी गयी ऋण-सहायता के कारण राज्यों द्वारा केन्द्र को चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम में 1 अप्रैल, 1968 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि में 345.38 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी। राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2440/68**]

राज्यों के अनुदानों को ऋण में बदलना

2847. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वास्तविक खर्च की तुलना में योजना सम्बन्धी तथा योजना के अलावा अन्य खर्च के लिये मध्य प्रदेश को अनुमानित अनुदान की राशि बहुत अधिक थी, इस राशि को अन्य प्रयोजनों पर खर्च किया गया था और अन्ततः इसे केन्द्रीय ऋण में बदल दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). चूंकि ऋणों का और अनुदानों के रूप में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, व्यय के परीक्षित आंकड़ों के आधार पर अन्तिम रूप से निर्धारित की जाती है, इसलिए सहायता की रकम वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक होने या वह रकम अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

कानपुर में सोना पकड़ा जाना

2848. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन से 30 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 30,000 रुपये की लागत का सोना पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल में दिल्ली में सोने के बिस्कुटों की तस्करी के मामले हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बिस्कुटों के रूप में सोने की तस्करी एक आम बात हो गई है;

(ङ) क्या इस प्रकार की सोने की तस्करी में किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ है; और

(च) यदि हां, तो भारत में तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के अधिकारियों ने 20 सितम्बर, 1968 को कानपुर रेलवे स्टेशन पर बम्बई से आए एक व्यक्ति के असबाब से विदेशी मार्के के सोने के 10-10 तोले वजन के 16 बिस्कुट पकड़े जो भारतीय बाजार मूल्य से लगभग 30,000 रुपये के होते हैं ।

(ख) उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया । मामले पर जांच पड़ताल चल रही है ।

(ग) अगस्त, 1968 तथा अक्तूबर, 1968 में दिल्ली में सोने के 10-10 तोले वजन के क्रमशः 13 तथा 20 बिस्कुट पकड़े गये थे ।

(घ) चोरी छिपे आयात किया गया जो सोना पकड़ा गया उसका अधिकांश बिस्कुटों के रूप में है ।

(ङ) भारत में सोने का तस्कर आयात करने के पीछे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों के होने का सन्देह है।

(च) भारत में काम कर रहे गिरोहों को पकड़ने के लिये किये गये उपायों में ये भी शामिल हैं—विश्वसनीय तथा विज्ञ सूत्रों से गुप्त सूचना संग्रह ज्ञात तस्करों तथा उनके साथियों पर कड़ी निगरानी रखना, संदिग्ध वाहनों तथा यात्रियों और उनके असबाब की जांच पड़ताल करना।

श्री एस० पी० दीवान, यूनेस्को के प्रशासन अधिकारी

2849. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 में नई दिल्ली में स्थित यूनेस्को कार्यालय का प्रशासन अधिकारी, श्री सत्यपाल दीवान 3 महीनों के लिये विदेश गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने इस दौरे को सरकारी दौरा घोषित किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस दौरे के किराये का भुगतान स्वयं श्री दीवान द्वारा मर्करी ट्रैवल्स, नई दिल्ली के माध्यम से किया गया था और यूनेस्को द्वारा नहीं किया गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह दौरा सरकारी न होकर व्यक्तिगत था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार को धोखा देने के लिये श्री दीवान के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ). नई दिल्ली स्थित यूनेस्को कार्यालय से पूछताछ करने से पता चला है कि यूनेस्को कार्यालय, नई दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी, श्री एस० पी० दीवान ने, जून 1966 के पहले सप्ताह में पेरिस यात्रा कार्यालय के काम से की थी और इस यात्रा का किराया, यूनेस्को कार्यालय ने श्री दीवान को नकदी में दिया। इन परिस्थितियों में, यह यात्रा इस सम्बन्ध में श्री दीवान द्वारा, इस यात्रा के व्यक्तिगत (निजी) नहीं होने के बारे में यदि कोई प्रमाणीकरण किया गया हो तो वह अनियमित नहीं लगता, और इस मामले में सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एक भारतीय सर्जन द्वारा सन्तति निरोध के एक उपाय का आविष्कार

2850. **श्री रा० बरुआ** :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि डा० पी० एस० झावेर नामक एक भारतीय शल्य चिकित्सक ने सन्तति निरोध के एक उपाय का आविष्कार किया है, जिसके सम्बन्ध में उनका यह दावा है कि इससे पुरुषों का अस्थायी तौर पर बन्ध्यकरण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उपाय के प्रभावी होने के बारे में जांच की है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उपाय को भारत में लोकप्रिय बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). डा० झावेर द्वारा आविष्कृत संतति-निग्रह के उपाय का दावा सरकार के ध्यान में आ गया है। उनके द्वारा भेजे गये तकनीकी ब्योरे की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ). फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता।

Pay Commission at National Level

2851. **Shri Ranjit Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have opposed the appointment of a Pay Commission on the National level; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Loss to Indian Oil Corporation due to Outbreak of Fire

2852. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri V. Viswanatha Menon:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fire broke out in Ernakulam centre of the Indian Oil Corporation on the 1st October, 1968;

(b) if so, the approximate loss caused due to the said fire; and

(c) the causes thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah): (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 1850/- approximately.

(c) Probably due to traces of oil having passed along with rain water into the area outside the installation added to the presence of a naked light there.

Opening of Hospital in Pawsara Village, District Bulandshahr (U. P.)

2853. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether the residents of village Pawsara, District Bulandshahr, U. P. having a population of 4,000 have sent a representation for opening a Government Hospital there;

(b) whether it is also a fact that opening of a hospital in the said village was sanctioned about 4-5 months back but has not been opened so far ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Demolition of Arya Samaj Temple at Srinivaspuri, New Delhi

2854. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Arya Samaj temple at Srinivaspuri in the Capital has been demolished by the Delhi Administration ; and

(b) if so, the reasons for demolishing the temple without prior information ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) An unauthorised structure, alleged to be an Arya Samaj Mandir, was demolished in J. J. Colony, Srinivaspuri during the clearance programme of unauthorised structures in J. J. Colonies.

(b) No prior notice is necessary for clearance of such unauthorised structures.

श्री कान्तिलाल देसाई की विदेशों की यात्रा

2855. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री जनार्दनन :**
श्री जि० मो० बिस्वास : **डा० रानेन सेन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके पुत्र श्री कान्तिलाल देसाई ने वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में कितनी बार विदेशों का दौरा किया;

(ख) क्या उन्होंने पारपत्र के लिये आवेदन पत्र देते समय अथवा उसका नवीकरण कराते समय विदेशों की यात्रा करने का कोई कारण बताया था; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों द्वारा दिये गये कोई निमंत्रण पत्र भी पेश किये थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

1966	एक बार
1967	दो बार
1968	दो बार

(ख) जहां तक 1966 की यात्रा का सम्बन्ध है उनके पास एक वैध पारपत्र था, जो उससे पिछले वर्ष जारी किया गया था ।

जून, 1967 में उनके नाम एक नया पारपत्र जारी किया गया था । इस यात्रा का प्रयोजन

आवेदन-पत्र में प्रकट नहीं किया गया था क्योंकि नये विनियमों के अन्तर्गत इस तरह की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं।

सितम्बर, 1967 में, उप-प्रधान मंत्री के साथ विदेश जाने के लिए उनके नाम एक राजनयिक पारपत्र जारी किया गया था और आवेदन-पत्र में यात्रा का प्रयोजन भी प्रकट कर दिया गया था। यात्रा से लौटने पर, राजनयिक पारपत्र वापस कर दिया गया था।

(ग) 'पी' फारम से सम्बन्धित प्रयोजन के लिए दक्षिण कोरिया के वाणिज्यिक-मंडल से प्राप्त निमंत्रण पेश किया गया था।

अहमदाबाद स्थित कपड़ा मिलों द्वारा देय राशि का जमा न कराना

2856. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद स्थित तीन कपड़ा कम्पनियां जमा राशि के देय हो जाने पर भी उसे नहीं लौटा सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या रिजर्व बैंक के पास आवश्यकता होने पर अदायगी न करने वाली कम्पनियों की आस्तियों का अनिवार्य रूप से अर्जन करने, उन्हें राशि को लौटाने के लिये बाध्य करने के लिये पर्याप्त शक्तियां हैं; और

(घ) जमा राशि का विनियमन करने, उसके सम्बन्ध में उधार लेने वाली कम्पनी द्वारा जमानत की राशि अलग रखी जाने, और जनता के धन की सुरक्षा करने के लिये सरकार और रिजर्व बैंक का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ). आम जनता से जमा करने के लिये ली गयी रकमें कम्पनियों की अप्रतिभूत देनदारियां होती हैं और इन देनदारियों को किसी प्रकार की प्राथमिकता देना या उनके लिए आधार के रूप में कुछ विशेष परिसम्पत्तियों को अलग रखना सम्भव नहीं है। लेकिन कम्पनियां, यदि चाहें तो, अपने पास जमा रकमों की वापसी सहित अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए बैंकों से अतिरिक्त ऋण-सुविधा प्राप्त कर सकती हैं या अतिरिक्त पूंजी जारी कर सकती हैं। रिजर्व बैंक ने पहले ही यह नियम बना दिया है कि कोई गैर-बैंकिंग कम्पनी अपनी चुकता पूंजी और मुक्त प्रारक्षित निधियों के अधिक से अधिक 25 प्रतिशत तक की रकम अप्रतिभूत जमा रकमों के रूप में ले सकती है। जिन कम्पनियों ने 1 जनवरी, 1967 से ठीक पहले के 5 वर्षों में या छः या सात वर्षों में से 5 वर्षों में अपने सामान्य शेयरों पर प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत या उससे अधिक की दर पर लाभांश किया हो अथवा जिन कम्पनियों के पास 1 जनवरी, 1967 को ऋण-भार-रहित इतनी स्थिर परिसम्पत्तियां हों जिनका खातों में दर्ज मूल्य जमा रकमों और बकाया

अप्रतिभूत ऋणों की उस तारीख की रकम के दुगने से अधिक हो, उनके लिए उस रकम से ऊपर जमा रकमों की वापसी की अवधि दिसम्बर 1971 के अन्त तक बढ़ा दी गयी हैं। बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे रूई, सामान और रासायनिक पदार्थों तथा तैयार माल को गिरवी अथवा दृष्टिबन्धक रखकर ऋण देने के लिये 'मार्जिन' को कम कर दें और यदि सम्भव हो तो 1963 और 1968 के बीच प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों के आधार पर और अधिक ऋण-सुविधाएं प्रदान करें।

Jhunjhunwala Families Having Shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2857. **Shri T. P. Shah :**
Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2756 on the 5th August, 1968 regarding Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) the amount of income-tax paid to Government during the last ten years, year-wise, by Sarvashri Babu Lal Jhunjhunwala, Vijay Kumar Banwari Lal, Vinay Kumar Banwari Lal, Shashi Kumar Champa Lal and Rajendra Kumar Bhagwati Prasad, the shareholders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation separately; and

(b) amount of income-tax assessed on them by Government during the aforesaid period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). A statement showing the income-tax assessed and paid in respect of the last ten completed assessments of S/Shri Babulal Jhunjhunwala, Vijay Kumar Banwarilal, Vinay Kumar Banwari Lal, Shashi Kumar Champa Lal and Rajendra Kumar Bhagwati Prasad is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2441/68]**

Jhunjhunwala Families Having Shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2858. **Shri T. P. Shah :**
Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2756 on the 5th August, 1968 regarding Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) whether the information promised to be laid on the Table has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when the information will be collected and laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2442/68]**

(c) Does not arise.

Income Tax Paid by Jhunjunwala Families Having Shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2859. **Shri T. P. Shah :**
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2756 on the 5th August, 1968 regarding Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation and state:

(a) the amount of Income tax paid to Government by Shrimati Bhanumati Devi Banwari Lal, Shrimati Ushadevi Girdhari Lal and Shrimati Kusum Devi Champa Lal during the last five years ; and

(b) the amount of Income tax assessed on them by Government during the above period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). Total Income tax assessed and paid by these persons in respect of the last five completed assessments is Rs. 19,796.

Assessment of Income Tax in Respect of Jhunjhunwala Families Having Shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2860. **Shri Sharda Nand :** **Shri Onkar Singh :**
Shri J. B. Singh : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2756 on the 5th August, 1968 regarding Jhunjhunwala families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) the amount of Income tax assessed on Shri Banwarilal Jhunjhunwala of Messrs. Jhunjhunwala family, who holds shares in Messrs. Oriental Timber Trading Corporation, since 1961 till todate ; and

(b) the amount of Income tax paid by him to Government during the aforesaid period as also the amount of Income tax yet to be realised from him ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Rs. 49,027.

(b) Rs. 51,448 have been paid by him. There are no arrears against him but some refund is due to him.

Firms of Ramjilal Jhunjhunwala

2861. **Shri Sharda Nand :**
Shri Onkar Singh :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2750 on the 5th August, 1968 and state :

(a) whether the enquiry in regard to firms of Ramjilal Jhunjhunwala has since been completed ;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor and the time likely to be taken to complete the same?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). Shri Ramjilal Jhunjhunwala is a partner in two firms, viz. M/s. Sriram Ramniranjan and M/s. Jhunjhunwala Bros. The enquiries relating to assessment year 1964-65 in the case of M/s. Jhunjhunwala Bros. and assessment year 1965-66 in the case of M/s. Sriram Ramniranjan have been completed. No tax evasion has come to notice for these years.

(c) Does not arise.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2862. **Shri Sharda Nand:**
Shri Onkar Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2757 on the 5th August, 1968 regarding M/s. Oriental Timber Trading Corporation and state;

(a) whether the information has since been received from the assessee and the inquiry thus completed;

(b) if so, the details of the inquiry; and

(c) if not, the reasons therefor and when the enquiry is likely to the completed?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The assessee's reply to the points raised has since been received. The results of the final enquiries and the evidence on which it is based have been put to the assessee for meeting the case against him. The assessments will be completed thereafter.

(b) Since the assessments have not yet been completed, the details of enquiries cannot be disclosed at this stage.

(c) Does not arise.

Shareholder of M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2863. **Shri Sharda Nand:**
Shri Onkar Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4270 on the 19th August, 1968 and state:

(a) whether information in regard to the Shareholder of M/s. Oriental Timber Trading Corporation has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the causes of delay and when it is likely to be laid on the Table?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) Master Rajendra Kumar Banwarilal is not a partner in any firm. He holds shares in the following companies other than M/s. Oriental Timber Trading Corporation Pvt. Ltd :—

1. Phoenix Mills Ltd., Bombay.
2. Oudh Sugar Mills Ltd., Bombay.
3. Synthetics & Chemicals Ltd., Bombay.
4. Good Year India Ltd., Calcutta.
5. Associated Bearing Co. Ltd., Bombay.

Neither Master Rajendra Kumar nor all the members of his family taken together hold controlling interest in any of the above companies.

(c) Does not arise.

Permission for Keeping Cattle by Government Servants in Government Quarters

2864. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works, Housing and *Supply*** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not permitted Government servants to keep cows, goats and buffaloes in Government quarters ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government have permitted big officers to keep cattle in motor garages and in other big bungalows ; and

(d) if so, the basis thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d). The permission for keeping cattle etc. in the residences is not granted by Government but by the Municipal authorities according to the Municipal Bye-laws. No such permission has been given by Government either to the allottees of quarters or to the allotees of bungalows.

राजस्थान में सूखे के लिये वित्तीय सहायता

2865. **डा० कर्णी सिंह :**

श्री बसुमतारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश को वहां पर विद्यमान सूखे के सम्बन्ध में सहायता कार्य के लिये हाल ही में एक-एक करोड़ रुपया मंजूर किया है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में निरन्तर चल रही अकाल की स्थिति पर काबू पाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना की है;

(ग) यदि हां, तो कितना रुपया मांगा गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने रुपये की मंजूरी दी गई है; और

(घ) स्वीकृत राशि में से कितना रुपया दे दिया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चालू वर्ष में सूखा सम्बन्धी सहायता कार्यों के व्यय के लिये मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों को दी गयी केन्द्रीय सहायता की रकमों का ब्योरा इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
मैसूर	4.13
आन्ध्र प्रदेश	7.50

(ख) से (घ). राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया है कि केन्द्रीय दल द्वारा सूखे की स्थिति की विस्तृत जांच किये जाने तक के लिये 2 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया जाय।

राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया है, ताकि वह सहायता सम्बन्धी कार्यों के तात्कालिक खर्च को पूरा कर सके। खर्च की रकम और हाल में राजस्थान का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर और अधिक सहायता की व्यवस्था की जायगी।

Reorganisation of Villages

2866. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision for the reorganisation of villages in the country and for the construction of houses on modern lines in accordance with the needs in rural areas;

(b) if so, the total number and the names of villages which have been re or ganised during the last 20 years; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). The Government of India introduced in August, 1957, a scheme called the Village Housing Projects Scheme, which envisages **inter alia,** re-planning of villages where feasible—for example, flood affected villages to be shifted to alternative sites. It also provides for development of new areas on a planned basis alongside the existing abadis in order to provide house sites to landless agricultural workers as also to those who want to shift from congested areas of the village. The actual implementation of the Scheme is the responsibility of the State Governments themselves and details in regard to the names of villages etc. are, therefore, not available. As reported by the State Governments, the Scheme is currently in progress in about 2,800 villages, where about 69,200 houses have been sanctioned for construction, out of which about 40,400 houses have been completed.

(c) Does not arise.

Misuse of Family Planning Devices

2867. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to enlighten the school children with the knowledge regarding the use of family planning devices like loop, etc.

(b) whether it is a fact that Government propose to make contraceptives like loop etc. easily available for everybody ;

(c) if so, whether Government apprehend the danger of their misuse by the unmarried young boys and girls ; and

(d) if so, the action taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No.

(b) Services and supplies for adoption of family planning methods are made available at hospitals, Family Planning Centres/Clinics etc. free of cost to married persons. Devices like Nirodh (Condoms) are distributed free through Family Planning Centres/Clinics, conventional contraceptive distribution centres and through Family Planning Workers. They are also made available at a subsidised price of 5 Paise for 3 through depot holders and for 15 Paise for 3 through commercial channels.

(c) No.

(d) Does not arise.

Income tax Written-off

2868. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income tax written-off by Government during 1967-68 ; and

(b) the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The total amount of income-tax arrears which was written off in the financial year 1967-68; is Rs. 33,66, 364.

(b) the reasons for write-off were generally the following :—

(i) Assessees having died leaving behind no assets.

(ii) Assessees having gone into liquidation.

(iii) Assessees having become insolvent.

(iv) Assessees being untraceable and having no attachable assets.

(v) Assessees having left India without leaving assets.

(vi) As a result of settlement with the assessees on the basis of availability of assets for recovery.

औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा वित्तीय सहायता देना

2869. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1968 को समाप्त हुये वर्ष में औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कमी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) कितनी कम्पनियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया, और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) औद्योगिक वित्त निगम ने, 30 जून, 1968 को समाप्त हुए वर्ष में पहले की अपेक्षा कम अर्थात् 26.85 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जबकि उसने इससे पहले के वर्ष में 37.81 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी थी। औद्योगिक उपक्रमों की ओर से मशीनों के विदेशी संभरकों को और ऋण देने वाली विदेशी सस्थाओं को दी जाने वाली गारंटियों को छोड़कर उसने वर्ष के दौरान 24.24 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया जबकि इससे पहले के वर्ष में 32.17 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया था।

(ख) भुगतान में कमी होने का कारण ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं जैसे प्रयोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था को अन्तिम रूप देने में प्रवर्तकों की असमर्थता या अपने औद्योगिक लाइसेंसों को नये सिरे से जारी कराने में या ऋण के भुगतान से पहले की अन्य शर्तों को पूरा करने में विलम्ब। यह भी देखने में आयेगा कि निगम ने कुछ प्रयोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की, किन्तु प्रवर्त्तकों ने या तो प्रायोजनाओं को धीमे गति से क्रियान्वित किया या आर्थिक मंदी की प्रवृत्तियों के कारण अपना विचार बदल दिया।

(ग) 261 उपक्रमों में से, जिनके पास 30 जून, 1968 को कुल 139.68 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था, 48 उपक्रम ऐसे थे जिन्होंने ऋण वापस नहीं किया था और उनके पास कुल 352.13 लाख रुपया बकाया था जिसमें से 202.81 लाख रुपया ब्याज का था और 149.32 लाख रुपया मूलधन की किस्तों का। इसके अतिरिक्त उन विलम्बित अदायगियों के सम्बन्ध में जिनकी निगम में गारंटी दी है, छः उपक्रमों के पास 415.05 लाख रुपया बकाया है।

Supply of Power Connections in Uttar Pradesh

2870. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4240 on the 19th August, 1968 and state :

(a) the number of persons out of 1,001 in District Gorakhpur and 1,119 in District Basti, who have been given connections after they deposited the security ;

(b) the names, designations and addresses of persons who have been given 890 power connections in District Gorakhpur and 900 power connections in District Basti ; and

(c) the number of connections, out of 111 and 219 connections in the above mentioned districts respectively, assurance in respect of which have been fulfilled ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 927 in Gorakhpur District and 993 in Basti District.

(b) The requisite information is given in Annexures A and B laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2443/68]**

(c) Out of 111 and 219 connections 37 and 93 consumers have been given connections in districts of Gorakhpur and Basti, respectively.

Industrial Undertakings under Health Department of U. P.

2871. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1414 on the 29th July, 1968 and state :

(a) the reasons for which the Uttar Pradesh Government have not furnished the requisite information regarding industrial undertakings under the Health Department of U. P. for such a long time ; and

(b) the action taken to get the information without any further delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The Government of Uttar Pradesh have furnished some information and have promised to furnish the remaining information shortly. The matter is being pursued with that Government.

Consumption of Coal in Fertilizer Factory, Gorakhpur

2872. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Kashi Nath Pandey :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1412 on the 29th July, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the consumption of coal in Fertilizer Factory, Gorakhpur has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghu Ramaiah) (a) Yes, Sir.

(b) The average daily consumption of coal from February to June, 1968 is given below monthwise :—

Month	Total (M. tonnes)	Average daily (M. tonnes)
February	3739.44	138
March	4700.00	151
April	5690.00	190
May	4942.80	160
June	4823.00	156

The names of the contractors who supplied coal, its quantity and the expenditure incurred thereon from 3.2.1968 to 30.6.68 is given below :—

Sl. No.	Name of the contractors	Qty. recd. in MT	Expenditure: Cost for colliery (Rs.)	Expenditure: Rail freight (Rs.)
1.	M/s. Karam Chand Thapar and Brothers (Coal Sale) Pvt. Ltd.	1,581	49,849	42,018.00
2.	M/s. National Coal Development Corporation.	7,511	2,38,925	1,96,453.00
3.	M/s. Wali Ram Taneja. and Co., Dhanbad.	19,026	5,00,341	4,76,265.00

Government have not received any complaint that payment for lower grade coal was made at rates prescribed for higher grade coal. Samples from every consignment of coal received were analysed in the factory laboratory.

(c) Does not arise.

Construction of Newaispur Hospital in Gorakhpur Distt., U. P.

2873. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 47 on the 22nd July, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the construction of Newaispur Hospital in Gorakhpur District has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c) . The requisite information in reply to Unstarred Question No. 47 for the 22nd July, 1968 was laid on the Table of the Sabha on the 12th November, 1968.

Scheduled Castes/Scheduled Tribes Officials in I & P Ministry

2874. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4241 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether the requisite information regarding the Scheduled Castes/Scheduled Tribes officials in his Ministry has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay in this regards ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The requisite information had to be collected from all the attached/subordinate offices of this Ministry. The information has since been received and the details are given in Annexures I & II. **[Placed in Library. See No. LT—2444/68]**

रूस की सहायता से तट-दूर प्लेटफार्म बनाना

2875. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3678 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात की खाड़ी में से तेल निकालने के लिये तट-दूर प्लेटफार्मों के डिजाइन तैयार करने के लिये रूस द्वारा की गई पेशकश की शर्तें क्या हैं; और

(ख) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) रूसी अधिकारियों ने पेशकश की शर्तें सूचित नहीं की हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

National Income Spent on Government Employees

2876. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of India's national income which is being spent on Government employees ; and

(b) the extent of increase in the pay scales of employees since the 15th August, 1947 till now ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The percentage of National Income spent on Government employees was 8.7% during 1965-66. Figures for later years have not yet been compiled.

(b) It is not feasible to give information in respect of all categories of Central Government employees. The information in respect of certain common categories of posts in the Central Secretariat is enclosed in the Annexure 'A'. **[Placed in Library. See No. LT-2445/68]**

स्टेट बैंक आफ इण्डिया का कार्यकरण

2877. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष स्टेट बैंक आफ इण्डिया और अनुसूचित बैंकों में कार्य-संचालन की कुल लागत में प्रबन्ध की लागत कितने प्रतिशत थी;

(ख) स्टेट बैंक की कुल शाखायें कितनी हैं और कितनी शाखाओं को हानि हो रही है;

(ग) हानि उठाने वाली कितनी शाखायें उन्हीं स्थानों में हैं, जहां पर अन्य अनुसूचित बैंकों की शाखायें हैं; और

(घ) स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण होने के बाद से ब्याज की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) **(करोड़ रुपयों में)**

	1967 के वेतन और भत्ते तथा उस वर्ष भविष्य निधि में दिया गया अंशदान	1967 में किया गया कुल व्यय	कालम (2) की तुलना में कालम (1) का प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)
(i) स्टेट बैंक आफ इण्डिया	27.47	61.56	44.6
(ii) स्टेट बैंक के सहायक बैंक	7.77	20.26	38.4
(iii) अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	78.16	227.99	34.3

(ख) अलग-अलग शाखाओं के लाभ-हानि के लेखे नियमित रूप से तैयार नहीं किये जाते। किन्तु कल्पित आधार पर तैयार किये गये लाभ-हानि के अनुमानों से पता चलता है कि 1967 के अन्त में 1,084 शाखाओं में से 887 शाखाएं घाटे में चल रही थीं।

(ग) उन स्थानों पर जहां अन्य अनुसूचित बैंकों की शाखाएं भी काम कर रही थीं, 1967 में स्टेट बैंक की लगभग 500 शाखाओं से घाटे की सूचना मिली थी।

(घ) बैंक दर में घट बढ़ होने से स्टेट बैंक द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के ब्याज की दर जो पहली जुलाई, 1955 को 4 प्रतिशत थी, बढ़कर इस समय 7 प्रतिशत हो गयी है।

Donations to Social Institutions by Indians Living Abroad

2878. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the manner in which the Indians living in foreign countries can give financial assistance in the form of donations to any social institution in India ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): Persons of Indian origin residing abroad may make remittances through banking channel if they wish to make donations to social institutions in India. For the purpose they may also with the approval of Reserve Bank of India where necessary draw upon their non-resident accounts with banks in India.

Expenditure on Flood Control Measures

2879. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri Niti Raj Singh Chaudhary:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount spent so far by Government year-wise, on the flood control measures since the commencement of the First Five Year Plan up-to-date ; and

(b) the annual loss suffered as a result of floods during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The expenditure on flood control programme undertaken by State Governments is as follows :—

Period	Amount in Rs. crores
First Plan	13.21
Second Plan	48.06
Third Plan	82.09
1966-67	14.47
1967-68	13.17
1968-69 (anticipated)	14.08
Total	185.08

(b)

Year	Amount in Rs. crores
1953	54.2
1954	57.9
1955	118.7
1956	52.8
1957	24.0
1958	51.5
1959	78.7
1960	68.2
1961	32.4
1962	90.8
1963	38.1
1964	67.2
1965	5.6
1966	65.2
1967	136.8
1968	170.2

दिल्ली में हृदय रोग उपचार संस्था

2880. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हृदय रोग उपचार संस्था स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस संस्था में किस प्रकार से कार्य करने की योजना बनायी गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) किदवई मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा एक कार्डियो-वास्कुलर अस्पताल स्थापित करने का विचार है । यह ट्रस्ट इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही कर रहा है ।

(ख) यह बतलाया गया है कि इसके भवनों पर 30 लाख रुपये तथा उपस्करणों पर 15 लाख रुपये खर्च होंगे।

(ग) हृदय रोगों के लिए एक उच्चस्तरीय विशिष्ट अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है।

प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की जीवन बीमा निगम पर रिपोर्ट

2881. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया है कि जीवन बीमा निगम को केवल जीवन बीमे पर ही ध्यान देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशें प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की इस विषय पर सिफारिशें अभी सरकार को प्रस्तुत होनी हैं। कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किये जाने का सवाल नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम के प्रीमियम में कमी

2882. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री लोबो प्रभु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में कमी होनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करना प्रशासनिक सुधार आयोग का काम है। प्रशासनिक सुधार आयोग की इस विषय पर सिफारिशें सरकार को अभी प्रस्तुत होनी हैं। सरकार के लिये कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता।

उर्वरक व्यापार में उधार के लिये पुर्नवित्त व्यवस्था

2883. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उर्वरक ऋण प्रत्याभूति निगम को उर्वरक व्यापार द्वारा लिये गये ऋण के लिये पुनर्वित्त व्यवस्था न करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या परिणाम हुए हैं और उसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). उर्वरक ऋण प्रत्याभूति निगम (फर्टिलाइजर क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन) अभी स्थापित नहीं किया गया है। इस निगम के काम की विस्तृत योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईरान में तेल की खोज

2884. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ईरान में तटवर्ती क्षेत्र में खोज-कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के साथ कोई बातचीत आरम्भ की गई है और यदि हां, तो उक्त कम्पनी के साथ बातचीत में जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उनका सही-सही ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये सहयोग की सम्भावित शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक पेशकश की गई है परन्तु ईरानियन अधिकारियों से अभी तक कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अमरीकी सहायता

2885. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री म० ल० सोंधी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी प्रशासन द्वारा 1968-69 में अधिकृत 296 करोड़ 10 लाख डालर की विदेशी सहायता की प्रार्थना में से 59.72 करोड़ डालर कम किये जाने का अमरीका से भारत को मिलने वाली सहायता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) चालू वर्ष के विकास कार्यक्रमों के लिये विदेशी सहायता के उचित वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने की दृष्टि से सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस वर्ष में अमरीकी सहायता में संभाव्य कटौती से किन-किन परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) गत वर्ष की तुलना इस वर्ष अमरीकी सहायता कैसे होने की संभावना है और चालू वर्ष में भारत ने कितनी अमरीकी सहायता की प्रार्थना की थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अनुमान है कि 1968-69 के दौरान भारत को पहले के वर्षों की अपेक्षा कम अमरीकी सहायता मिलेगी ?

(ख) आशा है कि विदेशों से मिलने वाली मार्गस्थ सहायता, सभी साधनों से उपलब्ध होने वाली नयी सहायता, और अधिक निर्यात, बाहर से मंगाये जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में अधिक से अधिक वैसी वस्तुओं के निर्माण तथा आत्म-स्वावलम्बन से वर्ष में किये जाने वाले आयात की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो सकेगा ।

(ग) कोई भी नहीं, क्योंकि कोई भी प्रायोजना अमरीकी सहायता पर आधारित नहीं थी और न ही किसी प्रायोजना को खास तौर से इस सहायता से क्रियान्वित करने का विचार था ।

(घ) भारत ने अमेरिका से किसी खास रकम की सहायता के लिए प्रार्थना नहीं की है, भारत सहायता संघ का सदस्य होने के नाते, यह आशा की गयी थी कि संघ द्वारा स्वीकार की गयी सहायता की रकम में अमरीका अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था करेगा । जैसा पहले कहा गया है, आशा है कि इस साल अमरीकी सहायता की मात्रा पहले वर्षों के मुकाबले कम होगी ।

पेट्रोलियम तथा डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क

2886. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल तथा डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क बहुत अधिक है ; और

(ख) क्या जनता के लिये सस्ती बस यात्रा की व्यवस्था करने की दृष्टि से यात्री बसें चलाने वालों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले पेट्रोल तथा डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क हटाने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 'बहुत अधिक' एक सापेक्ष पद है । अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उत्पादन शुल्क लगने योग्य अन्य वस्तुओं की तुलना में पेट्रोल तथा डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क का भार काफी अधिक है ।

(ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Electricity Rates in Delhi

2887. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Planning Commission has asked the Delhi Municipal Corporation to increase the rates of electricity ;

(b) if so, the comparative figures of the rates of electricity in other big cities in the country ; and

(c) the reasons for which the said suggestion of the Planning Commission can be justified and the reaction of Delhi Municipal Corporation thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (c). For the mobilisation of additional resources for 1968-69, in the Union Territory of Delhi, the Planning Commission considered the suggestion of increasing the tariff rates of the Delhi Electric Supply Undertaking. This matter was, however, under the consideration of the Undertaking in connection with its achieving adequate returns on its capital base. Delhi Electric Supply Undertaking had, accordingly, proposed revision of tariffs for the 8 year 1968-69 in its budget estimates. While approving the budget estimates, the Corporation also approved the enforcement of the revised tariff for the year 1968-69.

(b) A statement giving the average rates of electricity prevailing in big cities in India is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2446/68]**

Rates of Water in Delhi

2888. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has asked the Delhi Municipal Corporation to increase the rates of water ;

(b) if so, the comparative figures of the rates of water in other big cities in the country; and

(c) the reasons for which the said suggestion of the Planning Commission can be justified and the reaction of the Delhi Municipal Corporation thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) A comparative statement showing rates of water in some of the big cities in the country is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2447/68].**

(c) The suggestion made by the Planning Commission intended to eliminate the deficit of the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking and to enable it to function on a self-supporting basis. The suggestion is under the consideration of the Delhi Municipal Corporation.

राज्यों द्वारा घाटे की अर्थ व्यवस्था करना

2889. **डा० अ० ग० सोनार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे घाटे की अर्थ-व्यवस्था न करें ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बात के बावजूद कुछ राज्य अब भी रिजर्व बैंक से धन निकाल रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) असम, बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों ने इस समय रिजर्व बैंक से अनधिकृत रूप से जमा से अधिक रकमें निकाली हैं ।

भारतीय साड़ियों का चोरी छिपे श्री लंका को ले जाना

2890. **श्री हिम्मतसिंहका** :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय साड़ियों को भारी संख्या में चोरी छिपे लंका ले जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में श्री लंका के अधिकारियों ने भी चोरी छिपे लाई गई कुछ साड़ियां पकड़ी थीं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि में अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई चोरी छिपे लाई जाने वाली साड़ियों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) साड़ियों को भारत से चोरी छिपे बाहर भेजने से रोकने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को पता है कि श्री लंका को भारतीय साड़ियों का कुछ तस्कर-निर्यात होता है ।

(ख) और (ग). श्री लंका सरकार द्वारा किये गये अभिग्रहणों, अगर कोई हो, के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(घ) इस प्रकार के तस्कर-निर्यात को रोकने के लिये दक्षिण-पूर्व समुद्र तट पर सीमा-शुल्क विषयक संगठन-व्यवस्था को सतर्क कर दिया गया है ।

प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये सिसल (अमरीकी सन) तथा रस्सों का खरीदना

2891. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक सिसल (अमरीकी सन) तथा रस्सों को खरीद रही है ;

(ख) क्या पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय इसे एजेन्टों द्वारा खरीद रहा है जो राज्य सरकारों से, जो कि इस उत्पाद के निर्माता हैं, से भी अधिक मूल्य लेते हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को अमरीकी सन (सिसल) और रस्सों को तय हुए मूल्य पर देने की पेशकश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां। रक्षा मंत्रालय अपने लिए आवश्यक सिसल तथा रस्से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के द्वारा खरीदता है ।

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय उन पूर्तिकर्ताओं से खरीद करता है जो, जहां तक ज्ञात हुआ है, स्वयं निर्माता हैं और राज्य सरकारों के एजेन्ट नहीं हैं। यद्यपि टेंडर की पूछताछ राज्य सरकारों को भी जारी की जाती है, तथापि किसी भी राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

बैंकों द्वारा समवायों को दिये गये ऋण

2892. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटिड कमर्शियल बैंक, तथा बैंक आफ बड़ौदा द्वारा 1965-66 से 1967-68 तक, वर्ष-वार, जिन समवायों को ऋण तथा अग्रिम धन दिया गया है, उनके नाम क्या हैं और उसका ब्योरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त भारतीय अनुसूचित बैंकों में से प्रत्येक द्वारा वर्ष 1965-66 से 1967-68 में प्रति वर्ष प्रत्येक समवाय को कितना ऋण तथा अग्रिम धन दिया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में उपर्युक्त भारतीय अनुसूचित बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को कुल कितना ऋण तथा अग्रिम धन दिया गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). बैंकों की कार्यप्रणाली और प्रथा के अनुसार, वाणिज्यिक बैंक विभिन्न असामियों के साथ किये जाने वाले अपने लेन-देन का ब्योरा नहीं बताते ।

(ग)　　　　(करोड़ रुपये)

		31 मार्च को बकाया रकमें		
		1965	1966	1967
1.	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	6.13	6.91	17.47
2.	बैंक आफ इण्डिया	2.21	2.72	4.81
3.	पंजाब नेशनल बैंक	4.69	5.68	10.19
4.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	3.85	3.39	7.64
5.	बैंक आफ बड़ौदा	2.05	2.43	5.61

भारतीय अनुसूचित बैंक

2893. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में सभी भारतीय अनुसूचित बैंकों की कुल प्रदत्त पूंजी, जमा राशि, अग्रिम धन तथा शुद्ध लाभ क्या था ;

(ख) 1967-68 में कुल प्रदत्त पूंजी, जमा राशि, अग्रिम धन तथा शुद्ध लाभ में पांच बड़े भारतीय अनुसूचित बैंकों में से प्रत्येक का कितना अंश है ; और

(ग) पांच बड़े भारतीय अनुसूचित बैंकों में से प्रत्येक द्वारा 1967-68 में उन समवायों को कितनी अग्रिम राशि दी गई जिनमें उनके निदेशकों का कोई हित था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2448/68**]

आयकर के प्रयोजन के लिये स्वेच्छापूर्वक छिपी आय को प्रकट करना

2894. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन व्यक्तियों ने 1960-61 तथा 1967-68 की बीच आय-कर अधिकारियों को 'स्वेच्छापूर्वक' अपनी करापवंचन की राशि बताई है, उनके नाम तथा पते क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देय कर की कुल राशि कितनी है ; और

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक व्यक्ति से वास्तव में कितना कर वसूल किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). **सूचना** तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा जो प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

कर-अपवंचन की सूचना देने वालों को पुरस्कार

2895. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सभा में घोषणा की थी कि कर अपवंचन करने वालों के बारे में विश्वस्त जानकारी देने वालों को उचित पुरस्कार दिया जायेगा ;

(ख) क्या इस आश्वासन के आधार पर 1/2 प्रिंस गुलाम मुहम्मद रोड, कलकत्ता-26 के श्री लक्ष्मण प्रभु ने संबंधित अधिकारियों को कुछ जानकारी दी थी ;

(ग) क्या श्री प्रभु द्वारा दी गयी जानकारी ठीक सिद्ध हुई और उनके प्रयत्न के फलस्वरूप सरकार लगभग तीन करोड़ रुपये एकत्र करेगी ; और

(घ) यदि उक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या अधिकारियों के वचन के अनुसार श्री प्रभु को पूरा पुरस्कार दे दिया गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मुखबिरों की सुरक्षा तथा जांच पड़ताल की गोपनीयता और सफलता की दृष्टि से किसी मुखबिर द्वारा विभाग को कोई सूचना दी गई अथवा नहीं तथा उस सूचना पर की गई कार्यवाही को प्रकट करना संभव नहीं है ।

(घ) मुखबिर को इनाम देना, उसके द्वारा दी गई सूचना के स्वरूप पर, तथा प्रत्यक्षतः उस सूचना के कारण होने वाले राजस्व लाभ पर निर्भर करता है । इनाम की अदायगी प्रायः दी गई सूचना के कारण सरकार को अतिरिक्त कर की वसूली हो जाने के बाद ही की जाती है । किसी विशिष्ट मामले के उल्लेख के अभाव में कोई निश्चित जानकारी देना संभव नहीं है ।

कच्छ के निकट निषिद्ध वस्तुओं का तस्कर व्यापार

2896. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अक्तूबर, 1968 को एक पाकिस्तानी नौका कच्छ के तट पर देखी गई थी जिसमें सोना तथा अन्य निषिद्ध वस्तुएं थीं और जो बाद में चोरी छिपे भारत में लाई गई थीं ;

(ख) नौका तथा निषिद्ध वस्तुओं को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) उपरोक्त तरीकों से भारतीय तट पर चोरी छिपे माल लाने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय समुद्र तट से किए जाने वाले तस्कर आयात-निर्यात रोकने के लिये जो उपाय किये गये हैं, उनमें गुप्त सूचना इकट्ठी करना, समुद्र तथा समुद्र तट पर गश्त बढ़ाना तथा निरोधक संगठन को सुदृढ़ करना आदि कुछ उपाय हैं ।

बड़े परिवार वाले व्यक्तियों को सुविधायें बन्द करना

2897. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में ऐसे व्यक्तियों को, जो अपने परिवारों को एक निश्चित सीमा तक सीमित नहीं रखते, विभिन्न सुविधायें बन्द करने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यवाहियों का ब्योरा क्या है और किन राज्यों ने ऐसी कार्यवाही करने का विचार किया है ;

(ग) क्या सुविधायें बन्द करने का सम्बन्ध केवल सरकारी कर्मचारियों से है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सामान्य जनता में इसको लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के भी विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) और (ख). जी हां। तीन जीवित बच्चों तक अपने परिवार को सीमित न रखने वाले व्यक्तियों (यदि उनके तीन से कम बच्चे हैं) या परिवार के वर्तमान आकार तक सीमित नहीं रखते हैं (यदि तीन से अधिक बच्चे हैं) से कुछ सुविधाएं वापस लेने के संबंध में किए गये निर्णयों/जारी किए गये आदेशों का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2449/68]

(ग) वापिस ली गई केवल कुछ सुविधाएं ही सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं।

(घ) ऐसी कार्यवाही विचाराधीन है।

(ङ) जो एक निश्चित सीमा के बाद अपने परिवार को सीमित नहीं करते हैं, केन्द्रीय सरकार की ऐसी महिला कर्मचारियों (गैर-औद्योगिक) के मामले में प्रसूति छुट्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिये केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद ने सिफारिश की है। यह सिफारिश विचाराधीन है।

धार्मिक संस्थाओं को प्लाट दिया जाना

2898. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी धार्मिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने 31 अगस्त, 1968 तक दिल्ली नई दिल्ली में धार्मिक प्रयोजनों के लिये प्लाट के आवंटन के लिये आवेदन दिया है ;

(ख) धार्मिक संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें अब तक कहां-कहां प्लाट आवंटित किये गये हैं ; और

(ग) ऐसी संस्थाओं को प्लाट किस आधार पर दिये जाते हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

साबिरिगिरी जल विद्युत परियोजना

2899. **श्री गाडिलिंगन गौड : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की साबिरिगिरी जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक 10 लाख रुपये के मूल्य का सामान जंग लगने के कारण बेकार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के खराब होने के बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई, तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल राज्य में शबरीगिरी जल-विद्युत परियोजना के लिये एक विदेशी फर्म द्वारा सप्लाई की गई इस्पात की स्टेटर मोहरें बुरी तरह से जंग लगी तथा बेकार पाई गईं । लगभग 13 लाख रुपये खर्च करके दूसरी मोहरें लगा दी गईं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच से पता चला है कि मोहरों को क्षति विशेष रूप से निर्माण और पैकिंग कार्य में त्रुटियों के कारण हुई । चूंकि संबंधित विदेशी फर्म ने क्षति के लिये अपने उत्तरदायित्व पर विवाद खड़ा कर दिया है, इस लिये केरल राज्य बिजली बोर्ड और विदेशी फर्म के बीच हुए करार के अनुसार इस विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजने की कार्रवाई की गई है ।

स्वर्ण नियंत्रण अध्यादेश के लागू होने के बाद पकड़ा गया सोना

2900. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण अध्यादेश का प्रख्यापित किये जाने के बाद 18 कैरेट से अधिक शुद्धता वाला कितना सोना पकड़ा गया है ;

(ख) उसके लिये कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें अभी तक निलम्बित हैं, उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) मुकदमों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश, 1968 के लागू होने की तारीख (29-6-1968) से 30-9-68 तक पकड़े गये 18 केरेट से अधिक की शुद्धता के सोने की मात्रा (जिसमें स्वर्ण-वस्तुएं तथा आभूषण शामिल हैं) 256.7 किलोग्राम थी ।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण से संबंधित अपराधों के कारण 29-6-68 और 30-9-68 के बीच 52 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

(ग) 26-6-68 और 30-9-68 के बीच दर्ज किये गये मामलों में 538 व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है ।

(घ) विभागीय न्यायनिर्णय की कार्यवाही, जैसे 'कारण-बताओ नोटिस' आदि जारी करना शुरू कर दी गयी है । जिन मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और जिनमें कानून का उल्लंघन गम्भीर किस्म का है ; उनमें अदालतों में चालान दायर करने की कार्यवाही भी की जा रही है ।

आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई पूंजी

2901. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक परियोजनाओं में कितनी पूंजी लगायी ;

(ख) क्या उन राज्यों से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान धन लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इक्ट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

श्री कान्ति देसाई द्वारा दिया गया पूंजी लाभकर

2902. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कान्ति देसाई ने सरकार को पूंजी लाभ कर की अदायगी की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह अदायगी किस वर्ष के लिये थी ; और

(ग) कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग).

कर निर्धारण वर्ष	पूंजी संबंधी लाभ कर की अदा की गयी रकम (रुपये)
1961-62	1,463.00
1962-63	5,042.71
1963-64	3,840.00
1964-65	55,451.43
1965-66	92.91

नोट :—आयकर के प्रयोजनों के लिये पूंजी संबंधी नामों को कुल आय में शामिल किया जाता है, इसलिये अदा की गयी आयकर की रकम में पूंजी संबंधी लाभ पर कर भी शामिल होगा । उपर्युक्त आंकड़े अदा किये गये आयकर में से लिये गये हैं ।

Assistant Estate Managers

2903. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four persons were appointed as Assistant Estate Managers in the Directorate of Estates in 1960 on being selected by U.P. S.C. ;

(b) whether it is also a fact that after the appointment of the said persons a new post of Assistant Estate Manager was created in 1961 and a departmental candidate was appointed on this post ;

(c) whether it is further a fact that the said departmental candidate was rejected by U.P. S.C. in 1960 but despite this he was made senior to the said four persons selected in 1960 and has also been confirmed while others are still temporary ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Four candidates recommended by U.P. S.C. in May, 1960 were appointed as Assistant Estate Managers from November, 1960 onwards.

(b) Yes.

(c) and (d). The departmental candidate's appointment was made under Recruitment Rules and his seniority has been correctly fixed under rules. Confirmations have taken place in order of seniority.

प्रेस एसोसिएशन आफ इन्डिया से किराये की वसूली

2904. **श्री कुचेलर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस ऐसोसिएशन आफ इंडिया के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकारी

आवास मिला हुआ है परन्तु जिनके नाम 1 जनवरी, 1968 को सम्पदा निदेशालय का किराया बकाया था ;

(ख) इन अलाटियों के नाम किराये की कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) किराये की बकाया राशि वसूल करने के लिये सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें प्रेस एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों के नाम, जिन्हें सरकारी वास आवंटित है तथा जिनके नाम 1 जनवरी, 1968 को किराये का बकाया है, इन एलाटियों के नाम 1 जनवरी, 1968 को बाकी रकम तथा 31 अक्तूबर, 1968 तक की अवधि की बकाया रकम दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2450/68]**

(ग) इन मामलों में किराया के बकाया की वसूली के निम्नांकित उपाय किए गए हैं :—

(i) बकायादार सदस्यों को बकाया की अदायगी करने के लिए व्यक्तिगत पत्र लिखे गए हैं।

(ii) बकाया की तफसील एसोसिएशन के सचिव को दे दी गई है, और सदस्यों को किराया अदा करने के लिए उसके द्वारा जोर डालने की सूचना मिली है।

(iii) जहां कहीं भी जरूरी समझा गया है, पब्लिक प्रीमिसेज (इविक्शन आफ अनाथोराईज्ड आक्यूपेन्ट्स) एक्ट, 1958 के अधीन वसूली की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस उद्देश्य से मामलों पर बराबर विचार होता रहता है।

मैंगनीज अयस्क पर निर्यात शुल्क

2905. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य, इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालयों ने मैंगनीज अयस्क पर निर्यात शुल्क के ढांचे में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कच्चे मैंगनीज के निर्यात-शुल्क में संशोधन करने अथवा नहीं करने की आवश्यकता के प्रश्न पर वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा इस्पात, खान और धातु मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था तथा यह निर्णय किया गया कि कच्चे मैंगनीज पर निर्यात शुल्क नहीं घटाया जाय।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2906. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 424 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 उपक्रमों के उत्पादों की मांग के बारे में अनुमानित ब्योरा क्या है ;

(ख) किस-किस वर्ष में प्रत्येक उपक्रम का वास्तविक उत्पादन तथा उनकी मांग अनुमान के अनुसार रही ;

(ग) किन-किन वर्षों में इनमें से प्रत्येक उपक्रम को लाभ हुआ और यह लाभ उसमें लगी पूंजी का कितने प्रतिशत था अथवा प्रत्येक उपक्रम से होने वाले लाभ जैसे विदेशी मुद्रा की बचत का ब्योरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक उपक्रम में मशीनरी के खराब हो जाने और बिजली के बन्द होने जैसे तकनीकी कारणों का ब्योरा क्या है जिसके कारण पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठाया जा सका और इससे प्रत्येक में कितनी हानि हुई ; और

(ङ) आगामी पांच वर्षों में उत्पादों की मांग का अनुमान क्या है और क्या इसके लिये क्षमता का पूरा उपयोग होगा और लगायी गयी पूंजी पर कितनी आय होने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ). प्रश्न में मांगी गई विस्तृत सूचना सम्बन्धित उपक्रमों से प्राप्त की जा रही है और वह यथा सम्भव जल्दी से जल्दी सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

मध्य प्रदेश के अफीम के उत्पादकों को दिये गये मूल्य में से कटौती

2907. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में 1966-68 में उत्पादकों को अफीम के लिए दिये गये मूल्य में से केन्द्रीय सरकार ने बिक्री कर की कटौती की और अब सरकार ने उत्पादकों को वह राशि वापस करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे शीघ्रता से वापिस करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1968 के दौरान नारकोटिक्स विभाग ने काश्तकारों को, उनसे खरीदी गई अफीम का शुद्ध मूल्य अदा कर दिया है किन्तु राज्य सरकार को देय खरीद कर के बराबर की रकम रोक रखी है । राज्य सरकार से कहा गया है कि वह यह खरीदीकर उठा ले और यदि राज्य सरकार पिछली तारीख से ऐसा कर देती है तो नारकोटिक्स विभाग द्वारा रोक रखी गयी रकम काश्तकारों को चुका दी जा सकेगी । 1966 अथवा 1967 में मूल्य में कोई कटौती नहीं की गयी ।

अफीम की खेती के अन्तर्गत भूमि में वृद्धि

2908. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अफीम की खेती के अन्तर्गत भूमि में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जायेगी ; और

(ग) खेती के लिये अधिक पट्टे (लाइसेंस) देने में किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) 1968-69 के मौसम में, पौस्त की खेती के लिए लगभग 36,000 हैक्टर रकबे के लिए लाइंसेंस दिये जाने की आशा है, जबकि पिछले मौसम में लगभग 24,000 हैक्टर रकबे के लिए लाइसेंस दिये गये थे ।

(ग) 1968-69 के मौसम के लिए लाइसेंस देने के सिद्धांतों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2451/68]

Uniform Marks For Admission to Medical Colleges

2909. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no uniformity in the matter of minimum marks prescribed for admission to the various Medical Colleges in the country ; and

(b) if so, whether Government propose to prescribe uniform minimum marks in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The Medical Council of India has laid down the minimum of 45% marks for the general candidates and 40% for Scheduled Caste/ Tribe candidates. Some Universities have prescribed higher minima. This is a matter for the Universities to decide according to local conditions.

व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम बकाया आय-कर की एक करोड़ और इससे भी अधिक राशि

2910.**श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों या कम्पनियों की सूची क्या है जिन पर करों (आयकर, निगम कर, सम्पदा शुल्क, धन-कर, उपहार-कर और व्यय कर) की बकाया राशि एक करोड़ रुपये और इससे अधिक है ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति और कम्पनी, जिसके नाम एक करोड़ रुपये और इससे अधिक बकाया है, के नाम इस समय कुल कितनी-कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) यदि इन्हें वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

नगर आयोजकों (टाउन प्लानर्स) की गोष्ठी

2911. **डा०सुशीला नैयर :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 1968 में नई दिल्ली में नगर आयोजकों (टाउन प्लानर्स) की एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे ; और

(ग) इस गोष्ठी में क्या निर्णय किए गए और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां । नगर आयोजक संस्थान (भारत), नई दिल्ली द्वारा इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था ।

(ख) और (ग). सरकार का इस विषय से मुख्यतः कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः इस गोष्ठी में कितने प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए इसके बारे में उसके पास कोई सूचना नहीं है ।

दुर्गापुर केमिकल्स, दुर्गापुर में नियुक्त मजदूरों की सेवा की शर्तें

2912. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर स्थित दुर्गापुर केमिकल्स में नियुक्त मजदूरों की सेवा शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या मजदूर संघ और प्रबंधकों के बीच हाल में कोई समझौता हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) किस मजदूर संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2452/68**]

पश्चिमी बंगाल में बोन हुगली के कुमार पी० एन० राय अस्पताल तथा पुनर्वास केन्द्र

2913. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में बोनहुगली के कुमार पी० एन० राय अस्पतालों और पुनर्वास केन्द्र समूह के कर्मचारियों और डाक्टरों को जून, 1968 से नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है कि कर्मचारियों और डाक्टरों को नियमित रूप से वेतन मिले ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). इस संस्था के कर्मचारी और डाक्टर हर महीने अपना वेतन ले रहे हैं, भले ही वह वेतन आर्थिक दिक्कतों के कारण हमेशा एक निर्धारित तिथि के भीतर नहीं दिया जा सकता।

(ग) और (घ). यह एक सरकारी संस्था नहीं है और इस मामले में सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है।

बोनहुगली, पश्चिमी बंगाल में कुमार पी० एन० राय अस्पताल समूह और पुनर्वास केन्द्र

2914. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में बोनहुगली के कुमार पी० एन० राय अस्पताल समूह और पुनर्वास केन्द्र में कुल कितने अपाहिज रोगियों को दाखिल किया गया ;

(ख) कितने अपाहिज रोगी अभी भी अस्पताल में हैं ;

(ग) क्या उन्हें निःशुल्क औषधि दी जाती है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता है ; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक रोगी के लिये कितना दैनिक भत्ता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बोनहुगली पश्चिमी बंगाल में कुमार पी० एन० राय अस्पताल समूह और पुनर्वास केन्द्र

2915. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनहुगली, पश्चिमी बंगाल में कुमार पी० एन० राय अस्पताल समूह और पुनर्वास केन्द्र में रोगियों के लिये पलंगों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) गत छः वर्षों में कुल कितने रोगियों को दाखिल किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि अस्पताल की इमारत की दूसरी मंजिल बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है परन्तु वह अभी तक खाली पड़ी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 225 पलंग ।

(ख) मई से अक्तूबर, 1968 तक 624 रोगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर केमिकल्स, पश्चिम बंगाल

2916. **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी केमिकल्स के मजूरी बोर्ड की सिफारिशें दुर्गापुर केमिकल्स, पश्चिमी बंगाल के कर्मचारियों पर लागू होंगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हैवी केमिकल्स के बारे में मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मजूरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

दिल्ली में सामूहिक आवास योजना

2917. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री नरदेव स्नातक :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आवास की कठिन समस्या को हल करने के लिए सरकार दिल्ली निवासियों के लिये सामूहिक आवास योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सामूहिक आवास योजना के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। निर्णय हो जाने के बाद ही इसका ब्योरा दिया जा सकता है।

Herbs for Cancer Cure

2918. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken to find herbs which are effective in curing cancer ; and

(b) if so, the out come thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Thirty four of the plants screened have shown anti-cancer activity.

Schemes Sent by Madhya Pradesh Government to the Central Water and Power Commission

2919. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of schemes forwarded by the Madhya Pradesh Government to the Central

Water and Power Commission for approval during the last three years and when they were received ;

(b) the names of schemes out of those which have been approved and the dates on which approved ; and

(c) the names of schemes which have not been approved and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad). (a) The following 11 Irrigation and Power Schemes were received from the Madhya Pradesh Government during the last three years :—

Sl. No.	Name of Scheme	Estimated cost (Rs. lakhs)	Date of receipt
1.	Satiara Stage—1	2117.17	15.4.68
2.	Removing shortage in Harsi Irrigation system (Sindh diversion weir)	443.00	10.10.66
3.	Bagh Right Bank Canal	371.93	31.1.67
4.	Mayana Tank	51.40	4.10.67
5.	Kunwarpur Tank	98.83	24.10.68
6.	Bichhia Tank	58.16	9.10.68
7.	Phutka	49.50	24.10.68
8.	Transmission system during 1966—71.	1070.00	28.4.66
9.	Satpura thermal (Revised estimates)	3755.00	23.4.66
10.	River pumping Irrigation scheme for 1967-68.	162.00	28.12.66
11.	River Pumping Scheme for Shahjapur Dist.	25.00	27.4.68

(b) Out of the 11 schemes received, the following three schemes have been approved :—

Sl. No.	Name of Scheme	Date of approval
1.	Bagh Right Bank Canal	29.10.68
2.	Transmission system during 1966-71.	5.9.68
3.	River Pumping Irrigation Scheme for 1967-68	7.5.68

(c) The remaining schemes are still to be approved. A statement showing their position is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2452(a)/68]**

सरकारी उपक्रमों के लिये अर्जित की गयी भूमि

2920. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **वित्त** मंत्री सरकारी उपक्रमों के लिये अर्जित की गई भूमि के बारे में 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो और देरी होने के क्या कारण हैं तथा वह कब तक सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). छः उपक्रमों को छोड़कर शेष सभी उपक्रमों से सूचना प्राप्त हो गयी है। इन 6 उपक्रमों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मांगी गयी सूचना का समेकित विवरण यथासम्भव जल्दी से जल्दी सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

बंगलों के बगीचों में सब्जियों तथा अनाज का उगाना

2921. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अधिकारियों तथा मंत्रियों को अलाट किये गये रिहायशी बंगलों के साथ एक बिघा या इससे बड़े फूलों के बगीचे हैं ; और

(ख) क्या सरकार खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये ऐसी भूमि पर पूरे वर्ष सब्जियों और अनाज को उगा कर उसे प्रयोग में लाना चाहती है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जहां तक वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों को आवंटित किये गये अधिकांश बंगलों का सम्बन्ध है, उसका उत्तर हां में है।

(ख) बहुत से निवासी (आक्यूपेन्ट्स) झाड़ियों, घास के मैदानों तथा फुलवारी के अतिरिक्त वनस्पति (साग-सब्जी) उगाने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ अनाज उगाने के लिये भी इसका उपयोग करते हैं।

आयकर अपवंचन की सूचना देने वाले व्यक्ति

2922. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री आयकर अपवंचन की सूचना देने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना देने वाले व्यक्तियों में से किसी की सूचना गलत पाई गई थी ;

(ख) ऐसे सूचना देने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सूचना पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से गलत पाई गई ; और

(ग) उनके विरुद्ध मुकदमा न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मुखबिर, कर निर्धारितियों द्वारा होने वाले कर अपवंचन के कई पहलुओं के बारे में सूचना देते हैं। साथ ही वे नये कर-निर्धारितियों के बारे में तथा मौजूदा कर-निर्धारितियों की अतिरिक्त आय के स्रोतों के बारे में भी सूचना देते हैं। ऐसी सूचना कभी पूरी, और कभी आंशिक सत्य होती है और कभी गलत भी होती है। अब तक 29 मामलों में मुखबिरों द्वारा दी गई सूचना सार-रूप से गलत थी। ऐसे मुखबिरों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही, इस बात का प्रमाण होने पर ही की जा सकती है जबकि दी गई सूचना गलत थी और उन्हें पता था कि वह गलत है। विभाग के अधिकार में ऐसा कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए ऐसे मुखबिरों के विरुद्ध इस्तेगासे दायर करने की कार्यवाही नहीं की गयी।

उड़ीसा में सूखे की स्थिति

2923. **श्री रवि राय :**
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने चालू वर्ष में राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार ने यह सुझाव दिया है कि आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले अधिकारियों के दल को उड़ीसा में सूखाग्रस्त तथा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का पुनः दौरा करने के लिए भेजा जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सितम्बर, 1968 में यह सुझाव दिया था कि केन्द्र के अधिकारियों का जो दल आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया था उससे इसी प्रयोजन के लिए उड़ीसा में भी जाने के लिए कहा जाय। ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ, पर पृथक रूप से इस मामले की जांच की गयी है। राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया था कि सूखे के सम्बन्ध में किये जाने वाले सहायता कार्यों के खर्च को उस सीमा के अन्दर रखते हुए जिसकी स्वीकृति पहले ही जून, 1968 में दी जा चुकी है, ये कार्य कुछ अधिक कष्टग्रस्त क्षेत्रों में नवम्बर, 1968 के अन्त तक जारी रखे जायं। यह सुझाव मान लिया गया है।

जहां तक बवंडर के सम्बन्ध में सहायता देने का प्रश्न है, केन्द्र का एक दल इसके लिए आवश्यक रकम का अन्दाजा लगाने के लिए हाल ही में राज्य में गया था । तात्कालिक सहायता सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये की रकम का अग्रिम दिया जा चुका है । दल की सिफारिशों और वास्तविक व्यय के अनुसार और अधिक सहायता दी जायेगी ।

विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना

2924. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री देवेन सेन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये एक अमरीकी फर्म के साथ अन्तिम रूप में करार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी द्वारा कितनी पूंजी लगाई जायेगी और उसे प्रबन्ध में क्या अधिकार दिये जायेंगे ; और

(ग) प्रस्तावित कारखाने का उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 14 नवम्बर, 1968 को अमरीका के मैसर्स आक्सीडेण्टल पेट्रोलियम कारपोरेशन को एक आशय पत्र जारी किया गया है ।

(ख) विदेशी पार्टी पूंजी का 52.2 प्रतिशत लगायेगी । विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रस्तावित कारखाने का उत्पादन लक्ष्य प्रतिवर्ष 140,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 140,000 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ है ।

होम्योपैथिक अनुसंधान संस्था

2925. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने होम्योपैथिक औषधियों का विकास करने के उद्देश्य से अभी तक कोई होम्योपैथिक अनुसंधान संस्था स्थापित नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में कोई ऐसी संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह संस्था कहां स्थापित की जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह मामला विचाराधीन है ।

मेसर्स कियांगवन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

2926. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कियांगवन ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध बीजक में कम राशि दिखाने का मामला अभी चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उस कम्पनी के विरुद्ध सरकार के साथ 2,25,000 रुपये की धोखाधड़ी करने के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा भी जांच की रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). फर्म के विरुद्ध एक मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। आरोप ये हैं कि फर्म ने

(i) उस कच्चे माल को अनधिकृत रूप से बेच दिया जिसे आयात करने की मंजूरी उसे निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी गयी थी ;

(ii) आयात किये गये कच्चे माल से निर्मित माल का पुनर्निर्यात करने का गलत साक्ष्य, निर्यात किये गये माल के विवरण और मूल्य को एक शिपिंग बिल में गलत-घोषित करके, प्रस्तुत किया । फर्म द्वारा घोषित बाजार-मूल्य 2,24,000 रुपये था ।

ब्रिटिश मशीन टूल मेकर्स इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

2927. **श्री सरजू पांड़े** : क्या वित्त मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1442 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश मशीन टूल मेकर्स इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन के नए मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मेसर्स एसोशियेटेड ब्रिटिश मशीन टूल मेकर्स (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता से 16 अगस्त, 1967 को पकड़े गये दस्तावेजों में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के

उल्लंघन के बारे में जो साक्ष्य उपलब्ध था, उसके अतिरिक्त इस कम्पनी द्वारा किये गये किसी नये उल्लंघन का सरकार को पता नहीं है ।

16 अगस्त, 1967 को पकड़े गये दस्तावेजों की और अधिक छानबीन करने पर कम्पनी को विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 5 (I) (ए) और 10 (I) (बी) के आरोपित उल्लंघनों के लिये दो अन्य 'कारण बताओ नोटिस' 8 नवम्बर, 1968 को जारी किये गये हैं ।

विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना

2928. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशाखापटनम में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के अमरीकी कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी औद्योगिक नीति में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

माही नदी के जल का गंदा होना

2929. **श्री मनुभाई पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयाली तेल शोधक कारखाने द्वारा तथा गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा गन्दा जल माही नदी में बहा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे नदी का जल गंदा हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो नदी का जल गंदा न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, शुष्क मेनी नदी में कुछ दूरी तक बहाने के बाद ।

(ख) और (ग). गुजरात राज्य उर्वरक कारपोरेशन और कोयाली तेल शोधक कारखाने के अपशिष्ट पदार्थों द्वारा जल के दूषित हो जाने की रिपोर्टें मिलने पर, केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निर्णय किया है ।

गुजरात में नैफ्था क्रैकिंग प्लांट

2930. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में नैफ्था क्रैकिंग प्लांट को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जबकि गुजरात में उसे स्थापित करने में विलम्ब हुआ है हालांकि इसकी योजना 1967 में बनाई गई थी ;

(ख) गुजरात के मामले में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा उसे शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) विलम्ब के कारण गुजरात राज्य में पेट्रोलियम रसायन उद्योग समूह के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

नैफ्था क्रैकिंग प्लांट

2931. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नैफ्था क्रैकिंग प्लांट स्थापित करने में अत्यधिक विलम्ब किये जाने के कारण पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह में नदी के नीचे की ओर स्थित उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को अपने लिये नैफ्था क्रैकिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) कई अनुप्रवाह-यूनिटों का पूर्ण दित्ता अभी प्राप्त हुआ है और उनको प्रक्रियान्वित किया जा रहा है। सारे मुख्य अनुप्रवाह-यूनिटों के चलन के साथ नैफ्था क्रैकर को चालू करना है और क्रैकिंग प्लांट के कारण कोई देरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली के इर्द गिर्द उप-नगर

2932. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरकारों

से अनुरोध किया है कि वे फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ का दिल्ली के उपनगरों के रूप में विकास करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत हो गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उस अन्तर्राज्य बोर्ड को जिसे इस प्रयोजन के लिये बनाया गया था, कायम रखने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली के मास्टर प्लान में उत्तर प्रदेश के लोनी और गाजियाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ तथा गुड़गांव एवं दिल्ली संघ क्षेत्र के नरेला को उपनगरों के रूप में विकसित करने का सुझाव है।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की सरकारों ने क्रमश: गाजियाबाद-लोनी क्षेत्र तथा फरीदाबाद-बल्लभगढ़ क्षेत्र के मास्टर प्लान तैयार कर लिए हैं और इन प्लानों के अनुसार कुछ कार्यवाही आरम्भ भी हो गयी है।

(घ) इस बोर्ड को चालू रखने का विचार है।

High Incidence of Polio

2933. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that children in large numbers are becoming victims of polio in the country ;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme for the eradication thereof; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) So far 3,329 cases and 95 deaths have been reported during the year.

(b) and (c). There is no specific programme for the eradication of polio on a country wide basis. Routine immunization of children is carried out at some centres, and stocks of polio vaccine are maintained to meet any unforeseen outbreak of the disease.

Polio Medicine in Bihar Hospitals

2934. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of hospitals in Bihar where medicine against polio is available ;

(b) whether it is a fact that the said medicine is not available in the Patna General Hospital for many months ; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

केरल के महालेखापाल

2935. **श्री के० अनिरुद्धन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मलयालम दैनिक 'देशाभिमानी' के 16 अक्तूबर, 1968 तथा 17 अक्तूबर 1968 के अंक में छपे उन लेखों की ओर दिलाया गया है जिनमें केरल के महालेखापाल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो जांच कब आरंभ होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल ही नहीं उठता।

(घ) उसकी निजी परिसम्पत्तियों के बारे में कुछ छोटे-छोटे आरोपों की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है क्योंकि यह अफसर भारतीय रेलवे लेखा सेवा का है और आरोपों की पड़ताल इस अफसर की रेलवे बोर्ड के पास उपलब्ध सम्पत्ति-विवरणी के संदर्भ में की जाती है।

उसके कार्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित आरोप, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा, प्रारम्भिक जांच के पश्चात्, निराधार पाये गये हैं। महालेखाकार के कार्य सम्बद्ध नियमों अथवा आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार थे।

जहां तक महालेखाकार द्वारा वित्त आयोग के समक्ष दिये गये साक्ष्य का सवाल है, आयोग की कार्यवाही गोपनीय है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल सम्बन्धी कार्यवाही का सवाल है, महालेखाकार ने सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार कार्यवाही की।

उर्वरक परियोजनायें

2936. **श्री य० अ० प्रसाद :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उर्वरक परियोजनायें स्थापित करने के लिये कितने प्रस्ताव केन्द्रीय

सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) किन-किन राज्यों ने मंजूरी के निमित्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) इन राज्यों में सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कितने-कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है तथा प्रत्येक क्षेत्र में किस कच्चे माल का प्रयोग किया जायेगा तथा उनमें कितना-कितना उत्पादन होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सात ।

(ख) (1) भटिंडा में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम से; (2) नागपुर-चांदा क्षेत्र में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निगम से और (3) तालचर में एक संयंत्र स्थापित करने के लिये उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम से ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

भाखड़ा नहर से गंगा नगर को पानी मुहैया करना

2937. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा नहर से गंगा नगर को इसकी आवश्यकता से बहुत कम पानी दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पानी कितना कम दिया जा रहा है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कमी को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक इन्टर नेशनल के भारतीय एजेंट

2938. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांडेल ताप बिजली परियोजना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा दी गई सहायता की राशि में से पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के लिये बांडेल ताप बिजली घर के निर्माण कार्य के लिये मैसर्स वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक-इन्टरनेशनल कम्पनी के भारतीय एजेंटों को अवैधानिक तथा अनियमित रूप से लाखों रुपयों और डालरों का भुगतान करने के बारे में कलकत्ता से छपने वाले "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" के 31 अक्टूबर, 1968 के अंक में छपी खबरों की ओर क्या सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि कम्पनी के भारतीय एजेंट को उनके द्वारा उपर्युक्त परियोजना के लिये राज्य बिजली बोर्ड पश्चिम बंगाल को सप्लाई किये गये प्रत्येक नमूने के लिए किन परिस्थितियों में तथाकथित भुगतान करना पड़ा; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्राधिकारियों ने उनके द्वारा दी गई डालरों की सहायता में से ऐसा भुगतान किये जाने पर कोई आपत्ति की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकार ने निर्दिष्ट समाचार को और "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" के 9 नवम्बर, 1968 के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दिये गये उसके उत्तर को देखा है। इस उत्तर सही स्थिति बतायी गयी है और उन आरोपों का खण्डन किया गया है जो उक्त समाचार में किये गये हैं।

(ग) जैसा राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है, भारतीय अभिकर्ता को कमीशन की अदायगी करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गयी थी, बल्कि कमीशन की अदायगी डालरों में करने के बारे में आपत्ति की गयी थी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से प्राप्त होने वाले सभी डालर ऋणों के सम्बन्ध में यह स्थायी व्यवस्था है कि इन ऋणों का उपयोग सामान और सेवाओं पर केवल विदेशी मुद्रा में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए किया जायगा, रुपया में होने वाले खर्च (जैसे भारतीय अभिकर्ता के कमीशन) को पूरा करने के लिए नहीं।

हाजियों को ले जाने वाले पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा

2939. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये जहाज खरीदने अथवा ऐसे पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज खरीदने के लिये, जो भारतीय हाजियों को ले जाने के योग्य नहीं है, विदेशी मुद्रा देने से इन्कार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विभाग ने 'हज' के लिये किसी अन्य विकल्प का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जी नहीं। मुगल लाइन लिमिटेड का 'इस्लामी' नामक एक सवारी जहाज, जिसे हजयात्रियों को लाने-ले जाने के काम में लाया जाता था, बहुत पुराना हो गया था और उसे रद्दी के रूप में बेच दिया गया है। इसके स्थान पर दूसरा जहाज प्राप्त करने के लिए जहाजी कम्पनी को जहाज प्राप्त करने के सामान्य तरीके के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर ब्रिटेन से लगभग 20.8 लाख पौण्ड के मूल्य का एक जहाज बनवाने की स्वीकृति दे दी गयी है :

(1) 15 प्रतिशत तुरन्त अदायगी; और

(2) बाकी 85 प्रतिशत रकम की अदायगी 5 ½ प्रतिशत की दर से ब्याज सहित 10 वर्षों में ।

चूंकि ब्रिटेन की जहाज बनाने वाली कम्पनी से इन शर्तों पर जहाज प्राप्त करने में कठिनाई हुई, इसलिए मुगल लाइन लिमिटेड को, उसके अनुरोध पर, डेनमार्क की जहाज बनाने वाली एक कम्पनी से निम्नलिखित शर्तों पर, जो इन्हें मानने के लिए तैयार बतायी जाती है, बातचीत करने की स्वीकृति दे दी गयी ।

(1) 15 प्रतिशत तुरन्त नकद अदायगी; और

(2) बाकी 85 प्रतिशत रकम की अदायगी, जहाज की सुपुर्दगी के बाद, बकाया रकम पर, 6 प्रतिशत ब्याज सहित, भारतीय राज्य बैंक और डेनमार्क सरकार के निर्यात ऋण गारण्टी विभाग की गारण्टी के आधार पर 8 वर्षों में की जायगी ।

सबसे हाल की सूचना यह है कि मुगल लाइन लिमिटेड, डेनमार्क की जहाज बनाने वाली कम्पनी से इस खरीद के संबंध में बातचीत कर रही है ।

बिहार के नहर वाले क्षेत्र में भूमि की सिंचाई की दरों में भिन्नता

2941. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार नहर वाले क्षेत्र में प्रति एकड़ भूमि की सिंचाई की दरें क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दरों में स्थान, समय और सिंचित तथा गैर सिंचित क्षेत्रों के अनुसार अन्तर हो जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि इससे कुछ अनियमितताएं होती हैं जैसे कि किसी किसान से अधिक भूमि के लिए कम शुल्क लिया जा सकता है जबकि किसी दूसरे किसान से कम भूमि के लिए अधिक शुल्क लिया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या समान दरों से शुल्क लेने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2453/68]

(ग) और (घ). जल संभरण के नियम नहर-नहर और फलस-फसल के लिए भिन्न-भिन्न हैं । इनमें भिन्नता इसलिए है कि फसलों की पानी की आवश्यकता और सफलों के मूल्य अलग-अलग हैं ।

कुछ नहरों से तो सिंचाई निश्चित रूप से होती है और कुछ से नहीं । अतः कुछ स्कीमों की दरें अन्य स्कीमों की दरों से भिन्न हैं ।

बम्बई के जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में कैथोलिक कर्मचारी संघ

2942. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के भारतीय जीवन बीमा निगम विभिन्न कार्यालयों में कैथोलिक कर्मचारियों के संघ हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और प्रत्येक कर्मचारी संघ के सदस्यों की संख्या क्या है और इन संघों के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं;

(ग) जीवन बीमा निगम में धर्म के आधार पर संघों को कार्य करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या संघ के संकुचित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार भविष्य में इन गतिविधियों को रोकने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

Bihar State Electricity Board

2943. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar State Electricity Board has asked for an additional amount of Rs. 4.5 crores for the purpose of supplying electricity to 17,000 agricultural pumping sets during the current financial year ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

'P' Forms Issued to Political and Trade Union Leaders

2944. **Shri Ram Avatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of 'P' forms issued to leaders of the political parties and of the trade unions enabling them to go abroad during the years 1967-68 and 1968-69 so far as also the names of those leaders along with the names of political parties and trade unions to which they belong ;

(b) the names of the countries visited by each of them as also the purpose of their visits to the countries concerned ; and

(c) the amount of foreign exchange given to them for the purpose of visiting foreign countries ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). There are clearly set out conditions under which 'P' form approvals are given, e. g. on hospitality of close relatives abroad or on invitations from foreign Governments or institutions, etc. Data is not maintained as per occupational classification indicated in the question. In view of the clear policy which is followed while according clearances, the efforts involved in the collection of data regarding issue of 'P' form to political parties and trade union leaders will not be commensurate with the result to be achieved. If, however, information is desired in respect of any specific person or persons, that would be furnished.

(c) Those who are allowed to proceed on institutional or governmental hospitality could be released, on request, foreign exchange for personal incidental expenses at a rate of £15 for the first fifteen days and at half a pound per day for the subsequent period.

फिल्मी कलाकारों द्वारा आयकर की अदायगी

2945. **श्री जुगल मंडल : क्या वित्त** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4417 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मी कलाकारों से आयकर की अदायगी के संबंध में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न अनुबन्ध में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2454/68]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों से कर की बकाया राशि

2946. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त** मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग से संबंधित व्यक्तियों पर कर की बकाया राशि के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध बकाया राशि की वसूली के लिये कार्यवाही की गई है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें चलाये गये हैं उनके नाम क्या हैं और इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना सभा की मेज पर अब रखी जा चुकी है। उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2455/68]

Hospital at Baberu in Banda District (U. P.)

2947. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that District Board Hospital at Baberu in Banda (Uttar Pradesh) is going to be closed and its furniture is being auctioned and the building and land attached to it is also proposed to be auctioned;

(b) whether it is also a fact that Baberu is a town area with an Inter College, a Police Station and Tehsil Headquarters and there is not a single big hospital in the area in spite of its being densely populated; and

(c) if so, the reasons for closing the said hospital?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The Zila Parishad Hospital is not being closed.

(b) and (c). Baberu town has a Zila Parishad and a Block Hospital. The latter hospital is to be shifted to Village Bhabhuwa in Baberu Tehsil.

कृष्णा नदी जल-विवाद

2948. **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित राज्यों के बीच कृष्णा नदी जल विवाद का मैत्रीपूर्ण निपटारा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले की क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सच है कि इसको मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का सुझाव किस राज्य ने दिया है; और

(ङ) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). यह फैसला किया गया है कि कृष्णा गदी जल विवाद को न्याय-निर्णय के लिये न्यायाधिकरण के पास भेजा जाए। इस न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिये मैसूर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों ने प्रार्थना की है। इस न्यायाधिकरण के सदस्यों को नामित करने के लिये भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है।

विदेशी चलचित्र वितरकों की आय निर्धारण

2949. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 से 1968 तक निम्नलिखित विदेशी चलचित्र वितरकों ने अपनी वार्षिक आय कितनी घोषित की है और आयकर विभाग ने वास्तव में कितनी आय पर कर लगाया है (1) पैरामाउन्ट फिल्म्स आफ इण्डिया, (2) टूवेंटियथ सेंचुरी फाक्स कारपोरेशन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, (3) यूनिवर्सल पिक्चर्स इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, (4) मैट्रो-गोल्डविन मेयर इण्डिया, (5) कोलम्बिया फिल्म्स आफ इण्डिया लिमिटेड, (6) वार्नर ब्रादर्स,(7) रैंक फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स आफ इण्डिया लिमिटेड, (8) यूनाइटेड आर्टिस्ट्स कारपोरेशन, और (9) एलाइड आर्टिस्ट आफ इण्डिया; और

(ख) उनमें से किन-किन के विरुद्ध गलत आय बताने के कारण कार्यवाही की गई और क्या कार्यवाही की गई और यदि कोई अर्थ दण्ड लगाया गया तो कितना-कितना ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

स्वर्णरेखा नदी की बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के बारे में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के इन्जीनियरों की बैठक

2950. **श्री स० कुन्डू :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णरेखा नदी में बाढ़ पर नियन्त्रण करने के बारे में विचार-विमर्श करने तथा योजनाएं बनाने के लिए हाल ही में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के इन्जीनियरों की कलकत्ता में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है;

(ग) क्या दोनों राज्यों ने कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वर्णरेखा नदी में बाढ़ को रोकने तथा इससे सिंचाई करने के लिए किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ). उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इन्जीनियरों ने सुवर्ण-रेखा के तटबन्धों के संबंध में अपने-अपने प्रस्तावों पर 10 अक्तूबर, 1968 को कलकत्ते में विचार-विमर्श किया था; इस समय वहां रेलवे के इन्जीनियर और सिंचाई व बिजली मंत्रालय के परामर्शदाता भी उपस्थित थे पश्चिम बंगाल में नदी की पहुंच के तटबन्ध के सम्बन्ध में जहां पानी उमड़ कर कालीघई बेसिन में चला जाता है, दोनों राज्यों के इन्जीनियरों में कुछ मतभेद था।

इस प्रश्न पर केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने 17 नवम्बर, 1968 को दोनों राज्यों के मुख्य इन्जीनियरों से बातचीत की थी और उनसे कहा गया है कि वे ऐसे प्रस्ताव बनाएं जिनसे दोनों राज्यों को लाभ पहुंच सके।

बैंकों के कुकृत्य

2951. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड और लक्ष्मी कामर्शियल बैंक लिमिटेड के कुकृत्यों के बारे में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को तुरन्त रिपोर्ट दी जाने के लिए आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्या रिजर्व बैंक ने उक्त आरोपों के बारे में अन्तिम अथवा प्रारिम्भक कोई रिपोर्ट दी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). पंजाब नेशनल बैंक और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स पर हाल में जो आरोप लगाये गये हैं, भारतीय रिजर्व बैंक उनकी जांच कर रहा है। इस जांच के परिणामस्वरूप जो कार्रवाई उचित समझी जायगी रिजर्व बैंक वह कार्रवाई करेगा।

बैंकों के कुकृत्य

2952. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अनेक बैंकों के कुकृत्यों के बारे में दिनांक 8 जुलाई, 29 जुलाई, 27 अगस्त, 2 सितम्बर, और 27 अक्तूबर, 1968 को पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन बैंकों के बारे में और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): (क) और (ख). प्रश्न में जिन पत्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें पंजाब नेशनल बैंक पर आरोप लगाये गये हैं। इन आरोपों की जांच की जा रही है।

समाधियों पर व्यय

2953. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गांधी जी, नेहरू जी और शास्त्री जी की समाधियों पर 1963-64 से अब तक वर्षवार कितनी राशि खर्च की है;

(ख) क्या भविष्य में ऐसे स्मारकों के लिए बेला रोड पर पर्याप्त भूमि आरक्षित रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी भूमि ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क)	गांधीजी की समाधि	श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि	श्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि
63–64	4,05,535 रुपये	—	—
64–65	8,32,206 रुपये	1,96,060 रुपये	—
65–66	13,61,212 रुपये	3,68,960 रुपये	—
66–67	4,70,900 रुपये	18,369 रुपये	1,10,559 रुपये
67–68	1,65,853 रुपये	2,26,220 रुपये	22,341 रुपये
(अक्तूबर, 1968 तक)	1,18,119 रुपये	63,005 रुपये (सितम्बर, 68 तक)	2,385 रुपये (सितम्बर, 68 तक)

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम में हानि

2954. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 से 1968 तक वर्षवार भारतीय तेल निगम के सरकारी क्षेत्र में कुछ त्रुटियों के कारण कितने मूल्य के उत्पादों की हानि हुई और इस हानि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में पृथक्-पृथक् कितनी-कितनी हानि हुई;

(ख) क्या गत सात वर्षों में आयातित उत्पादों में कोई कमी पाई गई; और

(ग) यदि हां, तो उन उत्पादों के नाम क्या हैं और प्रत्येक उत्पाद के मामले में कितनी-कितनी हानि पाई गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

केरल के पालघाट जिले में आभूषणों की दुकानें

2955. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत अट्ठारह महीनों में पालघाट जिले में आभूषणों की कितनी नई दुकानें

खोली गईं;

(ख) पिछले नौ महीनों की अवधि में पालघाट नगर (केरल राज्य) में आभूषणों की कितनी दुकानें लाइसेंस लिए बिना खोली गईं और चलती रहीं; और

(ग) गत छः महीनों में पालघाट नगर से अधिकारियों ने कितना अवैध सोना पकड़ा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) पिछले अठारह महीनों में पालघाट जिले में जवाहरात की आठ नई दुकानें खुलने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) पिछले नौ महीनों की अवधि में पालघाट कस्बे में जवाहरात की गैर-लाइसेंसशुदा दुकानों का खोले जाना तथा काम करना सरकार के देखने में नहीं आया है।

(ग) 1,578 ग्राम।

मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

2956. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने की प्रस्तावित योजना के कारण कितना अतिरिक्त व्यय होगा;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय में समानुपात में पद कम किये जायेंगे और यदि हां, तो कौन-कौन से पद कम किये जायेंगे;

(ग) विभिन्न आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों द्वारा बजट से पूर्व जांच करने के लिए समान मानदण्ड निर्धारित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या आन्तरिक वित्तीय सलाहकार प्रणाली का प्रयोग पहले भी किया गया था और यदि हां, तो किन कारणों से त्याग दिया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) कुछ मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पहले से ही हैं। अन्य मंत्रालयों को कहा गया है कि वे बजट तथा लेखा संबंधी काम की अपनी वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करें; अतिरिक्त अधिकारियों की वस्तुतः नियुक्ति करने से पहले, बजट लेखा आदि का कार्य भी आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों को सौंपा जाना है। मंत्रालयों को आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति के लिए मार्च, 1969 के अन्त तक का समय दिया गया है इसलिए अभी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इस सम्बन्ध में कितना अतिरिक्त व्यय होगा।

(ख) जी, नहीं। नयी व्यवस्था के संचालन के परिणाम स्पष्टतः उपलब्ध होने पर ही इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या कुछ पदों को कम करना संभव है।

(ग) बजट के मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप में जो स्थाई आदेश जारी किये

जाते हैं वे सभी मंत्रालयों को उपलब्ध रहते हैं और आन्तरिक वित्तीय सलाहकार भी उनका पालन करेंगे ।

(घ) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने की प्रथा सबसे पहले अगस्त 1958 में चालू की गई थी । इस योजना को किसी भी समय हटाया नहीं गया परन्तु वास्तविक अनुभव के आधार पर समय-समय पर इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाते रहे ।

कलकत्ता कस्टम्स हाउस में निवारक अधिकारी

2958. **श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या वित्त** मंत्री कलकत्ता कस्टम्स हाउस के निवारक अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण के बारे में 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5851 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के कस्टम्स कलक्टर द्वारा निपटाये गये अभ्यावेदन के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पादन और सीमा-शुल्क बोर्ड के पास कोई अपील आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर ध्यान से विचार किया गया है और इसे कब तक अन्तिम रूप से निपटाये जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर सावधानी से विचार किया जा रहा है और उसके शीघ्र ही निपटाये जाने की आशा है ।

सरकारी क्वार्टरों का बारी से पहले आबंटन

2959. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वर्षों तक बन्द रखने के बाद सरकारी कर्मचारियों को बारी से पहले रिहायशी क्वार्टरों के आबंटन की प्रणाली फिर से आरम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके पुनः आरम्भ करने की कब घोषणा की गई थी और यह पहले कब समाप्त की गई थी; और

(ग) इसे पहले बन्द करने के क्या कारण थे और अब पुनः आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) चिकित्सा कारणों पर बिना पारी के आबंटन के लिए आवेदन-पत्रों को देने की प्रक्रिया 27 दिसम्बर, 1967 को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में परिचालित किया गया था । चिकित्सा कारणों पर बिना पारी के आबंटन के उन्मूलन/निलम्बन के बारे में

एक परिपत्र 17 जुलाई, 1964 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया था।

(ख) चिकित्सा कारणों पर बिना पारी के आबंटन का 1964 में निलम्बन कर दिया गया था क्योंकि चिकित्सा कारणों पर आबंटन चाहने वाले अधिकारी बहुत थे, और बिना पारी का आबंटन स्वीकृत किये जाने पर भी उनके लिए समुचित थोड़े समय के अन्दर मकानों की व्यवस्था करना संभव नहीं था। फिर इस बिना पारी के आबंटन की पद्धति से सामान्य प्रतीक्षा सूचियों के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि वस्तुतः बीमारी के मामलों में हुई कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए, 1967 में चिकित्सा (बीमारी) के आधार पर बिना पारी के आबंटन की पद्धति को पुनः लागू करने का निर्णय किया गया। सामान्य प्रतीक्षा सूची पर प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के हितों के सुरक्षण के लिये, चिकित्सा (बीमारी) के आधार पर बिना पारी में किये जाने वाले आबंटन को उपलब्ध रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा कारणों पर बिना पारी के आबंटन की व्यवस्था पूरक नियम 317-बी-9 (एस० आर० 317-बी०-9) के अधीन उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विदेशी सहायता

2960. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि प्राप्त हुई है और किन-किन देशों से सहायता प्राप्त हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छिपी आय को प्रकट करने की योजनाओं से अर्जित आय

2961. **श्री लखन लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में छिपी आय को प्रकट करने की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आयकर विभाग को राज्यवार कितने व्यक्तियों ने छिपी आय की सूचना दी और इससे सरकार को कितनी आय हुई;

(ख) राज्य-वार कितने मामलों में कर से छूट दे दी गई थी और इसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने छिपी आय प्रकट करने के बारे में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 के दौरान (आय) प्रकट करने से सम्बन्धित एकमात्र लागू योजना वह थी जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (4-ए) में निहित है। प्रत्येक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में, धारा 271 (4 ए) के अन्तर्गत प्रकट की गई तथा स्वीकार कर ली गई आय के मामलों की संख्या और इस आय-प्रकटीकरण से राजस्व-लाभ के बारे में सूचना इकट्ठी जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) प्रत्येक आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र में इन दो वर्षों में प्रकट की गई आय के अस्वीकार कर दिये गये मामलों की संख्या तथा उनके कारणों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) किसी भी अधिकारी द्वारा सरकार के आदेशों की अवज्ञा किये जाने का कोई भी मामला सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया है। इसलिए, कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आयकर विभाग द्वारा छापे

2962. **श्री लखन लाल गुप्ता : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत बारह वर्षों में आय-कर विभाग ने कितने छापे मारे और इनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ख) क्या उक्त कोई मामला/मामले अभी भी विचाराधीन हैं ;

(ग) उक्त मामलों को निबटाने में राज्यवार कितना न्यूनतम तथा अधिकतम समय लगा ;

(घ) उक्त छापों के परिणामस्वरूप लगाये गये कर तथा किये गये दण्ड की राज्यवार राशि कितनी है ;

(ङ) क्या ऐसे व्यापारियों की, जो किसान भी हैं, कृषि से आय को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इसे व्यापार से आय के रूप में निर्धारित किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो ऐसे मामले के राज्यवार आंकड़े क्या हैं और इनमें कितना धन अन्तर्ग्रस्त है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) वित्तीय वर्ष 1964-65 से 1967-68 तक ली गयी 986 तलाशियों में 428.32 लाख रुपये के मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं। वित्तीय वर्ष 1964-65 से पहले की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रकार के मामलों का फैसला होने में लगने वाले न्यूनतम और अधिकतम समय को बताना संभव नहीं है। ऐसे मामलों को पूरा करने में लगने वाला समय, आवश्यक जांच-पड़ताल के स्वरूप पर तथा जांच-पड़ताल के दौरान निर्धारितियों द्वारा दिये गये सहयोग अथवा किये गये प्रतिरोध पर निर्भर करता है। कई मामलों का फैसला होने में, उच्च-न्यायालयों द्वारा मंजूर की गई निषेधाज्ञाओं के कारण भी विलम्ब होता है।

(घ) जांच-पड़ताल अभी चल रही है, इसलिये यह सूचना देना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(ङ) कृषि-जन्य आय को आय-कर से छूट मिली हुई है। इसलिए इस प्रकार की आय पर कर लगाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन, अगर कोई व्यक्ति किसी धन के स्रोत अथवा निवेश को कृषि-जन्य आय से उत्पन्न हुआ बताता है परन्तु इस दावे को सिद्ध नहीं कर पाता है तो उस आय को आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगने योग्य आय मान लिया जाता है।

(च) ऐसे मामलों के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और इस प्रकार की सूचना इकट्ठी करने में बहुत अधिक समय तथा श्रम लगेगा, जिसके लिये सारे भारत में कर-निर्धारण संबंधी प्रत्येक रिकार्ड की छान-बीन करनी पड़ेगी। प्राप्त परिणाम इस कार्य में लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप नहीं होंगे।

फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को विमान की बिक्री

2963. **श्री अ० सिं० सहगल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशी मिशन के किसी ऐसे विमान को, जो भारत में तीन वर्ष से भी अधिक पुराना है और जिसका आयात करते समय कोई सीमा-शुल्क नहीं दिया गया था, भारत में बेचने के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क देनी पड़ती है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या गत पांच वर्षों में फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसे विमान को बेचने पर मध्य प्रदेश सरकार से कोई सीमा-शुल्क लिया गया था; और

(ग) यदि सीमा-शुल्क लिया गया है, तो क्या सरकार का विचार इसे लौटाने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। आयात के सम्बन्ध में जितनी सुविधाएं विदेशी राजनयिक मिशनों को दी जाती हैं उतनी फोर्ड फाउंडेशन को नहीं दी जातीं। इस मामले में, सीमा-शुल्क की अदायगी किये बिना हवाई जहाज का आयात किये जाने की स्वीकृति खासतौर पर इस शर्त पर दी गयी थी, कि यदि यह बेचा गया तो सीमा-शुल्क की अदायगी फोर्ड फाउन्डेशन या इस हवाई जहाज के खरीदार को करनी होगी।

सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों को शाहदरा रोड पर भूमि का आबंटन

2964. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सहकारी समितियों से शाहदरा क्षेत्र में, उन्हें दी गई भूमि की प्रीमियम की राशि जुलाई, 1966 तक जमा करने के लिये कहा था ;

(ख) क्या इन सहकारी समितियों को धमकी दी गई थी कि यदि नियत तिथि तक धन जमा नहीं किया गया, तो भूमि का आबंटन रद्द कर दिया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन समितियों ने समय पर धन जमा किया और क्या उनके लिये भूमि का आवंटन कर दिया गया है और उन्हें भूमि का कब्जा दे दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो भूमि का कब्जा नहीं दिये बिना $2\frac{1}{2}$ वर्ष से सरकार के पास जमा पड़ी राशि पर किस उचित दर पर सरकार ने ब्याज दिया है अथवा देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जिन कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों को शाहदरा क्षेत्र में भूमि दी गई थी उन्हें भूमि के लिए 8 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से दो समान किस्तों में भूमि के प्रीमियम का भुगतान करना था । पहली किश्त जुलाई/अगस्त, 1966 में वसूल की गई थी । अधिकांश सोसाइटियों ने दूसरी किश्त मार्च/जुलाई, 1968 में दे दी थी ।

(ख) अलाटमेन्ट प्रस्ताव में यह उल्लेख कर दिया गया था कि यदि निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं किया जाय तो सोसाइटी को भूमि देने का मामला समाप्त कर दिया जायेगा । किन्तु वास्तविकता यह है कि सोसाइटियों से नियत तिथि के बाद भी भुगतान स्वीकार किया गया ।

(ग) नियत तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 1966 तक केवल एक सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी ने ही प्रीमियम की पहली किश्त जमा की थी, शाहदरा क्षेत्र की सोसाइटियों को अभी तक भूमि का कब्जा देना सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि कानूनी कठिनाइयों के कारण उसके अर्जन में विलम्ब हो गया है ।

(घ) ऐसे मामलों में कोई ब्याज नहीं दिया जाता है ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

2965. **श्री लखन लाल गुप्ता** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1956 और 1967 के बीच आन्तरिक तथा वाह्य रोगियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में, जो 673 प्रतिशत और 2170 प्रतिशत हैं, विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो रोगियों की वांछित देखभाल और परिचर्या मिलने की कैसे आशा की जा सकती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की संख्या में अब समानुपातिक वृद्धि करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). पलंगों तथा अन्तरंग एवं वहिरंग रोगियों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप तथा समय-समय पर विभागों की आवश्यकताओं को देखते हुए जितना स्टाफ बढ़ाना आवश्यक था वह बढ़ा दिया गया है ।

देशी उर्वरक और कृषि रसायन परामर्शदायी सेवायें

2966. **श्री गा० शं० मिश्र :** गया **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी उर्वरक तथा कृषि रसायन परामर्श सेवाओं के विकास और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व कोई गैर-सरकारी तकनीकी परामर्श संगठन स्थापित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन तथा विकास प्रभाग और फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स त्रावनकोर लि० के एफ० ई० डी० ओ० प्रभाग को विकसित करने और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए कदम उठाये हैं ताकि वे उर्वरक तथा रसायन उद्योगों के लिए रूपांकन, इंजीनियरिंग तथा परामर्श सेवाओं की व्यवस्था कर सकें । इन दोनों संगठनों ने विदेश से जानकारी प्रक्रिया प्राप्त की है और अपनी तकनीकी जानकारी एवं प्रक्रियाएं भी विकसित की हैं । इसके अतिरिक्त दो सरकारी क्षेत्र संगठनों अर्थात् हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्ज लि० और इंजीनियर्स इण्डिया लि० ने भी उर्वरक एवं कृषि-रसायन क्षेत्रों में कुछ योग्यताएं विकसित की हैं ।

(ख) और (ग). उर्वरक एवं रसायन उद्योगों के लिए कई प्राइवेट संगठन, तकनीकी परामर्श कार्य को अब कार्यान्वित करने की स्थिति में हैं । यह सरकार की नीति है कि देशीय परामर्श सेवाओं को, जहां तक उपलब्ध हों, प्राथमिकता दी जाए, बशर्ते कि सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं में सरकारी उद्यमों की ऐसी क्षमता का हमेशा इस्तेमाल हो ।

नर्मदा सागर परियोजना के लिये धन का नियतन

2967. **ग० शं० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हो गयी है कि वह नर्मदा सागर परियोजना के लिये चौथी योजना में नियत किये जाने वाले धन का 1/3 भाग नियत करेगी और परियोजना स्वयं पूरा करेगी ; और

(ख) क्या यह कानून के अन्तर्गत संभव है और मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के प्रति अन्य सम्बन्धित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर की सिंचाई परियोजनायें

2968. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त होने पर भी मैसूर में बहुत-सी सिंचाई परियोजनाओं को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें शीघ्र मंजूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). अपर कृष्णा, मालाप्रभा और घटाप्रभा जैसी मैसूर की कई वृहत परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। संसाधनों की तंगी के कारण इन परियोजनाओं पर प्रगति कुछ धीमी रही है । नई परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रश्न पर चौथी योजना में नई परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाली धनराशि के संदर्भ में विचार करना होगा ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी कर्मचारी

2969. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सर्किल में स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी कर्मचारियों ने 12 नवम्बर, 1968 से नियमानुकूल ही काम करो आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर विचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) "नियमानुसार ही काम करो" आन्दोलन अब समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) मुख्य मांग स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में थी ।

(ग) स्टेट बैंक इस मामले पर विचार कर रहा है ।

गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का समायोजित विकास

2970. **श्री देवेन सेन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अक्तूबर, 1968 को स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हारवर्ड विश्वविद्यालय के जनसंख्या अध्ययन केन्द्र ने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम और पूर्वी पाकिस्तान आते हैं, के समायोजित विकास के लिये बड़ी मात्रा में धन लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1968 के स्टेट्समैन में ऐसा समाचार देखा है ।

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं आया है ।

ग्रामों का विद्युतीकरण

2971. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने चौथी योजना की अवधि में ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने किन-किन राज्यों में ग्रामों के विद्युतीकरण की सिफारिश की है ;

(ग) परियोजना की कार्यान्विति पर राज्यवार कितना व्यय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण से सम्बद्ध संसत्सदस्यों की समिति ने देश में, विशेषकर असम, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के नौ राज्यों में, जहां ग्राम विद्युतीकरण में अखिल भारतीय औसत से कम प्रगति हुयी है, देश में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति में तेजी लाने के लिए अपेक्षित व्यय-राशियों के सम्बन्ध में अपनी अन्तरिम सिफारिशें दे दी हैं।

(ग) इस समिति ने यह सिफारिश की है कि राज्य की योजनाओं में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त 1968-69 में 28 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता शीघ्रतापूर्वक दी जाय जिसका तीन-चौथाई भाग उपर्युक्त नौ राज्यों में आवंटित किया जाए। इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि चौथी योजना के दौरान कुल व्यय राशि लगभग 632 करोड़ रुपये होनी चाहिए ताकि चौथी योजना के दौरान लगभग 12.5 लाख पम्पों का ऊर्जन और गांधी जन्म शताब्दी के अन्त तक, अर्थात् 2 अक्तूबर, 1970 तक, एक लाख गांवों का विद्युतीकरण हो सके। उपर्युक्त नौ राज्यों के लिए राज्यवार व्यय-राशियां, यह समिति अपनी अन्तिम सिफारिशें प्रस्तुत करते समय निर्दिष्ट करेगी।

(घ) इस समिति द्वारा 1968-69 के लिए सुझाई गई सत्वर केन्द्रीय सहायता पर विचार हो रहा है। इस समिति द्वारा चौथी योजना के लिए सुझाई गई व्यय राशियां चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के संदर्भ में विचाराधीन हैं।

मध्य प्रदेश के लिए नदी पम्प सिंचाई योजना

2972. **श्री लखनलाल गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की नदी पम्प सिंचाई योजना के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचना दी है कि 737 कृषि पम्पों पर काम पूरा हो चुका है और 1104 पम्पों पर काम प्रौढ़ावस्था में है और इसके जनवरी, 1969 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। 424 पम्पों के सम्बन्ध में, जिनके लिये अभी तक औपचारिकताएं पूर्णतः पूरी नहीं हुई हैं, कार्य को आरम्भ करने के लिए बोर्ड हर प्रयत्न कर रहा है। बोर्ड ने सूचना दी है कि सम्बन्धित कृषकों से प्रत्युत्तर न मिलने के कारण शेष 1445 पम्पों पर बोर्ड द्वारा काम आरम्भ करने की कोई संभावना नहीं है।

Rural Electrification Schemes in Rajasthan

2973. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned any scheme for the electrification of villages in Rajasthan during 1968-69 ;

(b) if so, the details thereof and the amount to be spent thereon; and

(c) the number of additional villages in Rajasthan likely to be electrified during the Fourth Five Year Plan period?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). In May, 1968, the Government of India accepted the scheme for rural electrification in Rajasthan involving electrification of 771 localities, energisation of 5844 pumpsets, besides 582 industrial connections and domestic and street-lighting loads, at an estimated cost of about Rs. 300.36 lakhs.

(c) The Fourth Five Year Plan has not yet been finalised.

Floods in North Bengal

2974. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have ascertained the veracity of the view expressed by an Engineer of Calcutta that one of the causes of sudden devestating floods in North Bengal this year probably was that some rock had given way somewhere in the Himalayas as a result of which the flow of water had been checked and a very big water reservoir was formed and this year when that natural dam gave way a huge quantity of water suddenly flowed in the rivers which were already full with unusual rain waters; and

(b) if so, to what extent it is correct?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). The fact that the water rose 60' above the highest flood level at the Anderson bridge indicates that there was an obstruction in the bed of the river Teesta by slips from the banks. This has been further confirmed when the river went down and an obstruction 30 ft. high was noticed at the Anderson Bridge.

रूसी तथा अमरीकी सहायता

2975. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 से 1968 तक भारत को कुल कितनी रूसी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) इसी अवधि में अमरीका से प्राप्त हुई सहायता की तुलना में यह कम है अथवा अधिक;

(ग) रूसी सहायता किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई गई; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में कितने रूसी तथा अमरीकी तकनीशियन काम कर रहे हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1951 से 1968 अर्थात् 30 सितम्बर, 1968 तक रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका से ऋणों और अनुदानों के रूप में मिली सहायता की कुल रकम इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

(1)	रूस	मंजूर की गई रकम	अवमूल्यन के बाद की दरों के अनुसार सिवाय जिन मदों पर** के चिह्न बने हुए हैं, उनके आंकड़े समय-समय पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार हैं। इस्तेमाल की गई रकम
(i)	ऋण	1021.13	552.69
(ii)	अनुदान	10.67	9.17
(2)	संयुक्त राज्य अमेरिका		
(i)	ऋण (पी० एल० 480 के रुपया ऋणों को छोड़कर)	2702.65	2318.74
(ii)	अनुदान	234.55	233.59
(iii)	पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात	**2199.21	2077.43
(iv)	पी० एल० 665 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात	**31.87	31.87
(v)	अन्य देशों की मुद्रा में सहायता	2.78	2.78

(ग) रूसी सहायता का इस्तेमाल सरकारी क्षेत्र की विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रायोजनाओं के लिये किया गया है।

(घ) पहली जनवरी 1968 को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 1053 रूसी और 591 अमरीकी तकनीशन काम कर रहे थे।

पूर्वी पाकिस्तान में गंगा कोबाडक परियोजना के अध्ययन के लिये भारतीय इन्जीनियरों का दौरा

2976. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

श्री एस० आर० दामानी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कोबाडक परियोजना, पदमा पर प्रस्तावित बांध तथा अन्य सम्बन्धित

मामलों का अध्ययन करने के लिए भेजे गये भारतीय विशेषज्ञों के दल को उनके अध्ययन के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रदान किया गया था तथा सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सभा-पटल पर प्रतिवेदन की एक प्रति रखने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारतीय दल का उद्देश्य प्रस्तावित गंगा कोबाडक परियोजना के अन्तर्गत सारे प्रतिनिधि क्षेत्रों का तथा बराज-स्थल इत्यादि का मौके पर प्रेक्षण करने का था। पाकिस्तान सरकार द्वारा व्यवस्थित भ्रमण-सूची के अनुसार दौरे की अवधि तीन दिन होने के कारण प्रेक्षणों को सीमित रखना पड़ा। भारतीय दल ने दौरे के दौरान कोई अतिरिक्त लिखित सामग्री प्राप्त नहीं की।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रतिवेदन में दौरे के अन्तर्गत क्षेत्रों के बारे में दल के प्रेक्षणों का वर्णन किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

कृषि वित्त निगम द्वारा गुजरात के लिये स्वीकृत ऋण

2977. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में गुजरात में कृषि परियोजनाओं को चलाने के लिए कृषि वित्त निगम ने कोई ऋण स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में वास्तव में कितनी राशि दी गई तथा कितनी राशि प्रयोग में लाई गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कृषि वित्त निगम ने, जिसकी स्थापना अप्रैल, 1968 में ही की गई थी, गुजरात में कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए अब तक कोई ऋण मंजूर नहीं किया है। यदि माननीय सदस्य का आशय कृषि पुनर्वित्त निगम से है तो इस निगम ने 1967-68 में कुल 773.14 लाख रुपये के खर्च की 9 योजनाओं की मंजूरी दी है। इस खर्च में से निगम ने 680.19 लाख रुपया देने का वचन दिया है। 1966-67 में कोई योजना मंजूर नहीं की गई थी। 1966-67 और 1967-68 में क्रमशः 7.50 लाख रुपया और 6 लाख रुपया दिया गया।

Rural Electrification in Tikamgarh District (Madhya Pradesh)

2978. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rural electrification scheme of District Tikamgarh, Madhya

Pradesh, on cooperative basis, is under consideration ; and

(b) if so, the time by which orders would be issued for expeditious implementation of the said scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). As indicated in reply to Starred Question No. 435 in the Lok Sabha on 12th August, 1968, the scheme for setting up a Pilot Rural Electrification Project in Tikamgarh District of Madhya Pradesh was not included by the US Team of Experts for further investigations as the scheme report given to the Team was not considered viable.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय रक्षित पुलिस के लिये उड़ीसा का अनुरोध

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : श्रीमान, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"केन्द्रीय रक्षित पुलिस के लिए उड़ीसा सरकार का अनुरोध।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : 26 नवम्बर, 1968 को उड़ीसा की राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ कि चूंकि कटक में स्थिति तनावपूर्ण है अतः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ एककों को कुमुक के रूप में उपलब्ध कराया जाय। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ एककों की तैनाती के लिए हिदायतें तत्काल जारी की गयीं और एककों को उसी दिन रवाना करने की व्यवस्था की गई। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से उनकी आवश्यकताओं हेतु निरंतर सम्पर्क बनाये रखा। कटक में अब स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में बताई जाती है।

Shri Sita Ram Kesri : I would like to know whether Government would constitute a Parliamentary Committee to go into the question of this atmosphere of lawlessness being created in the country by the political parties in the garb of students agitations.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है कटक की यह घटना किसी राजनैतिक गतिविधि से सम्बन्धित नहीं है। सर्वउच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मसजिद के समक्ष संगीत के साज बजाये जा सकते हैं। विद्यार्थियों ने कटक में ट्राफी का जुलूस निकाला तथा हरिसंकीर्तन के साथ मसजिद के आगे से चल पड़े। यही इस गड़बड़ी का कारण था।

Shri Shri Chand Goel (Chandi Garh) : I would like to know whether the Government of Orissa had taken any precautionary steps in view of the communal tension already prevailing in the city because of the judgement of the Supreme Court. May I also know whether any instructions were given to the State Government to order an enquiry into communal disturbances and huge loss caused thereby. May I know whether this question will also be referred to the Raghubar Dayal Commission which is enquiring into communal disturbances.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस मामले से किसी राजनैतिक दल का सम्बन्ध नहीं है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक पूर्वोपाय किये हैं। यही कारण है कि थोड़े ही समय में दंगों पर नियंत्रण किया जा सका था।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं इस बारे में राज्य सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही करने तथा केन्द्रीय सरकार के समय पर केन्द्रीय रक्षित पुलिस भेजकर सहायता देने पर उन्हें बधाई देता हूं। इसके साथ ही 27 नवम्बर के श्री बीजू पटनायक के उस वक्तव्य की उपेक्षा नहीं कर सकते जिसमें कटक के विद्यार्थियों को बधाई दी गई है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में किन्हीं राजनैतिक नेताओं का हाथ तो नहीं है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं राजनैतिक दलों सम्बन्धी राजनैतिक मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कटक में हुई घटनाओं से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेवारी से केन्द्रीय सरकार बन नहीं सकती। इस बारे में जाँच करना आवश्यक है कि क्या स्थानीय अधिकारियों ने विद्यार्थियों के जुलूस पर आक्रमण करने वालों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार रघुबर दयाल आयोग के क्षेत्राधिकार को बढ़ायेगी।

गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। मस्जिदों के आगे बाजा बजाने के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किये हैं अथवा जारी करने का विचार है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस निर्णयके परिणामोंके बारेमें सावधानीपूर्वक विचार करना होगा परन्तु इससे पहले कुछ उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीश ऐसे निर्णय दे चुके हैं। महाराष्ट्र में इस बारे में हमने हिन्दुओं तथा मुसलमानों के स्थानीय नेताओं द्वारा यह निर्णय कराया था कि मसजिद में नमाज के समय बाजा नहीं बजाया जायेगा। इस मामले पर राज्य सरकारों के परामर्श से ही निर्णय करना होगा। मेरे विचार में दयाल आयोग को यह प्रश्न सौंपना सम्भव नहीं होगा परन्तु मैं उड़ीसा सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उड़ीसा में यह मामला साम्प्रदायिक दंगे का मामला था। इसलिये अब समय आ गया है कि हम इन दंगों के कारणों पर नये सिरे से विचार करें। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि हम सरकारी स्तर पर धर्मनिरपेक्षता की नीति अपना रहे हैं परन्तु जब तक समाज के सभी अंगों तथा धार्मिक गुटों का भी धर्मनिरपेक्षता में पूर्ण विश्वास न हो, तब तक स्थिति में कोई

सुधार नहीं हो सकता। क्या सरकार इस समूची समस्या की जांच करने के लिये समाजविज्ञानियों, धार्मिक नेताओं तथा अन्य लोगों पर सम्मिलित एक समिति नियुक्त करेगी तथा भारतीय लक्ष्य, भारतीय आदर्श तथा भारतीय स्वरूप का एक नया भारतीय समाज बनाने के लिये समिति के गठन पर विचार किया जायेगा।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

Re: CALLING ATTENTION NOTICES

प्रक्रिया

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में नियम 197 की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होने वाली हड़ताल के बारे में मैं तथा उत्तर प्रदेश के अन्य सदस्य पिछले तीन चार दिनों से ध्यान दिलाने की सूचनाएं, स्थगन प्रस्ताव आदि देते रहे हैं। इन स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जा रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कोई वाद-विवाद नहीं चल रहा है। मैंने श्री कृष्ण चन्द्र पन्त को सभा पर पत्र रखने के लिये कहा है (**अन्तर्बाधायें**)।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण तथा कुल बिक्री) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2017 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी०एस०आर० 2018 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2416/68]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2058 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2418/68]**

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 123वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2059 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2419/68]

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 124वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2060 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2620/68]

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 125वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2061 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2421/68]

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 126वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2062 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2422/68]

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 127वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2063 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2423/68]

(छः) जी० एस० आर० 2064 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 की जी० एस० आर० 1874 का शुद्धिपत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2424/68]

औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(4) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3868 में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2425/68]

(दो) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3869 में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2426/68]

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक
LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL

विधेयक पर राय

श्री स० चं०सामन्त (तामलुक): मैं एक पत्र सभा-पटल पर रखता हूं, जिसमें भूमि अर्जन अधिनियम, 1849 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, जो 11 अप्रैल, 1968 को सभा के निदेश द्वारा राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, रायें दी गई हैं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS)

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): मैं वर्ष 1966-67 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगे दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 26 नवम्बर, 1968 की बैठक के औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 27 नवम्बर, 1968 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है जिसके द्वारा न्यायालय अवमान विधेयक, 1968 को दोनों सभाओं के 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया है जिसमें राज्य सभा के 15 सदस्य, अर्थात्

(1) श्री एम० पी० भार्गव
(2) श्री एस० एन० मिश्र
(3) श्री ए० पी० जैन
(4) श्री एम० श्रीनिवास रेड्डी
(5) श्री मुहम्मद इसहाक
(6) सुखदेव प्रसाद
(7) श्रीमती विमल पंजाब देशमुख
(8) श्रीमती यशोदा रेड्डी
(9) श्री सी० एल० वर्मा
(10) श्री देवी सिंह
(11) श्री एन० के० शेजवलकर
(12) श्री भूपेश गुप्त
(13) श्री डी० एल० सेनगुप्त
(14) श्री जे० एस० तिलक
(15) श्री के० एस० रामास्वामी

और लोक सभा के 30 सदस्य हैं और सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक का सभा-पटल पर रखा जाना

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : मैं एयर इंडिया के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी

समिति (तीसरी लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक

CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने तथा कतिपय आपत्तिजनक सामग्री की छपाई और प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

Shri George Fernandes : Sir, I oppose the leave being granted for introduction of this Bill. I am not against the proposed enhancement of penalty for ticketless travel. The Railway Administration has also certain responsibilities and obligation to provide amenities to the passengers. You know that in third class compartments there is always overcrowding. They should provide accommodation in trains to all those passengers to whom they issue tickets. It is an unfortunate fact that they do not care for the comfort of passengers. The conditions for passengers of third class are particularly very bad. The real income to Railways is not from the passengers of air conditioned class. It is from the passengers of third class. I oppose the introduction of this Bill. They should first perform their duties efficiently.

उपाध्यक्ष महोदय : जो बात श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कही है यह तो विधेयक पर चर्चा के समय कही जानी चाहिये । इसके आधार पर इसे प्रस्तुत करने से रोका नहीं जा सकता । इस समय इसका कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह ठीक है कि बिना टिकट के यात्रा में वृद्धि हो रही है और इसके कारण गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है । इस विधेयक का उद्देश्य बिना टिकट की यात्रा के विरुद्ध कानून को और कठोर बनाना है ताकि यह दुष्प्रथा समाप्त हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक —जारी

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा 28 नवम्बर, 1968 को प्रस्तुत किये निम्नलिखित विधेयक पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री विश्वम्भरम अपने भाषण जारी रखेंगे।

श्री विश्वम्भरम (त्रिवेन्द्रम) : पिछली बार मैं बता रहा था कि देश में सहकारी ऋण समितियां क्यों असफल हो रही हैं। रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये कठोर नियम इसके लिये जिम्मेदार हैं। देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बिना ब्याज के बड़ी-बड़ी राशियां दी जाती हैं। परन्तु छोटे-छोटे कृषकों को ऋण देने के लिये कई बाधाएं लगा दी गयी हैं। उन्हें ब्याज भी अधिक देना पड़ता है। इसी कारण देश में सहकारी ऋण व्यवस्था असफल हुई है। इस विधेयक में भी उसी प्रक्रिया को पुनः लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। अब रिजर्व बैंक का अंकुश उन पर रहेगा।

एक कृषक को 1000 रुपये कर्ज लेने के लिये 300 रुपये व्यय करने पड़ेंगे। उसे अनेक अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। फिर 10 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिलना चाहिये अथवा यह 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

इस विधेयक के नाम में तो राज्य आता है परन्तु वास्तव में नियन्त्रण तो केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक का होगा। विभिन्न राज्यों में कृषि के बारे में परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं। अतः राज्य सरकारों को अधिकार दिये जाने चाहिये। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि इसके प्रावधानों की छानबीन की जा सके।

गन्ना उत्पादकों की गिरफ्तारी के समाचार के बारे में

RE : REPORTED ARREST OF SUGARCANE GROWERS

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir the other day when this question raised, Hon. Minister Shri Ram Subhag Singh said that he would write to Government and obtain information in this regard. My information is that those farmers who are not giving their sugarcane are being belaboured. It is very unfortunate. I want to know whether they have written to the State Government ; if so, what is their response ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को उठाने का यह तरीका नहीं है। आप डा० राम सुभग सिंह से बात कर सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने पहले ही खाद्य मंत्री को इस बारे में लिखा है।

Shri Randhir Singh : It is really sad that nobody try to look into the needs of the farmers.

राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक—जारी

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION BILL—Contd.

Shri Mudrika Singh (Aurangabad) : I support this Agriculture Credit Corporation Bill. It is a very right step taken by the Government. It was really very essential for the improvement of the farmers' economic condition and development since the drought and flood situations block up production, as a result of which our industries are also badly affected.

Lack of credit facilities to the farmers has been the principal hurdle in the way of agricultural development. Scientific farming has become very costly and the farmers are already under huge debts for which there is no provision in this Bill. A sum of 24-25 crore rupees is, therefore, a very very little amount kept for this purpose. It is not a solid step really. We have been giving heavy loans and many other concession to the industrialists, but never cared for the farmers. The provision of this little amount viz. Rs. 25 crores will not serve any purpose.

It is praise-worthy on the part of the Government that they have cared to provide for the backward States, viz. Assam, Bihar etc., where the farmers could not get full benefits of the co-operatives, or in other words where the co-operatives have totally failed. But the amount provided is quite insufficient as compared to the needs of the farmers. If they are short of money, they may reduce the amount being given to different industries.

Secondly, the period of five years for recovery of loans is also not adequate, you know that the farmer will have to reclaim his land. These five years will go in making his land fertile. How can he then return the loan within this period ? I, therefore, suggest that this period should be made 10 to 15 years. Similarly the rate of interest too should be quite low as far as possible. Besides this some incentive should also be given in regard to the repayment of loan.

Finally I would stress upon the need of making these loans available to the farmers

through a very easy procedure. There should be no difficulty or harrassment to the farmer for obtaining a loan.

With this, I support the Bill and praise the Government for bringing it here.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Seven Minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मुझे प्रसन्नता है कि प्रायः सभी वक्ताओं ने इस विधेयक के उद्देश्य की सराहना की है । जो कुछ मतभेद भी है उसका कारण केवल यह है कि विधेयक को पूरी तरह समझा नहीं गया है । मैं सभा की इस भावना से पूरी तरह सहमत हूं कि कृषि क्षेत्र में क्रान्ति लाने के लिये इस क्षेत्र को अधिक से अधिक सुविधायें दी जानी चाहिए, और ये बात केवल अधिक धन लगाने से ही पूरी नहीं होती बल्कि किसान को अधिक उत्पादन करने के लिये अधिक प्रोत्साहन और उचित मूल्य देना भी जरूरी है । इसके साथ यह भी सच है कि आज की कृषि पर बहुत खर्च करना पड़ता है क्योंकि अब नये उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है । इन वस्तुओं, जैसे नये-नये बीज, वैज्ञानिक उपकरण, उर्वरक आदि खरीदने के लिये किसान को ऋण की आवश्यकता रहती है ।

दूसरे, अधिकतम सदस्य इससे सहमत हैं कि सहकारिताएं बड़ा लाभप्रद कार्य कर रहीं हैं । इस देश में इन सहकारिताओं की बड़ी आवश्यकता है और इस संदर्भ में प्रगति लाने के लिये हर प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री रा० की० अमीन ने कहा है कि इस विधेयक को स्वीकार करने में सरकार और कांग्रेस की स्थिति दृढ़ होती है । मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक किसान की भलाई के लिये प्रस्तुत किया गया है और दूसरे रूप में इसका अर्थ सारे देश का हित करना है । इस बारे में राजनीति ले आना शोभा नहीं देता ।

सहकारिता-आन्दोलन देश में अनेक वर्षों से चल रहा है । कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि इस बारे में सरकार ने अधिक कुछ नहीं किया है और न ही समुचित धनराशि उसके लिये लगाई है । परन्तु यह धारणा सच नहीं है । पिछली तीन योजनाओं के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ है । वर्ष 1950-51 में अल्पावधि और लम्बी अवधि के ऋणों के लिये कुल धनराशि 22.9 करोड़ थी परन्तु वर्ष 1966-67 में यह राशि 365.46 करोड़

तक पहुंच गई। इसी प्रकार वर्ष 1950-51 में सहकारिताओं की सदस्य संख्या दस लाख थी जो कि 1966-67 में 272 लाख तक जा पहुंची।

यह विधेयक तो एक बहुत छोटा-सा उपाय है और इसका क्षेत्र भी बहुत सीमित है। यदि हम सारी स्थिति पर दृष्टिपात करें तो हमें सन्तोष हो जायेगा कि इस क्षेत्र में हमने बहुत कुछ किया है।

अब पहला प्रश्न यह था कि यह विधेयक केवल कुछ ही राज्यों के लिये क्यों सीमित किया गया है तथा सारे देश के लिये ही एक केन्द्रीय निगम क्यों न बनाया जाये। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि कुछ राज्यों में सहकारिताओं ने प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं किया है और सारे देश में यह सहकारिता-आन्दोलन समान रूप से सफल नहीं हुआ है। कहीं अधिक तो कहीं कम। इसलिये कमी वाले राज्यों का अभाव कम करने की ही भावना इस विधेयक में निहित है। उद्देश्य यही है कि देश में सभी किसानों को ऋण आदि की सुविधायें उनकी आवश्यकता अनुसार मिलें।

इसलिये सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कुछ प्रसिद्ध सहकारिता-विशेषज्ञों का अनौपचारिक रूप से एक दल स्थापित किया। इस दल ने सारे मामले का अध्ययन किया तथा सारे देश में सहकारिता के विकास के बारे में विचार किया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास में तो यह सफल है परन्तु असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान में यह विकास कार्य संतोषजनक नहीं है। अतः इसी दल की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने ये निगम बनाने का निर्णय किया है। ये निगम हर कमजोर क्षेत्र की पूर्ति करेंगे।

फिर ये निगम स्थायी निगम नहीं होंगे। इनकी स्थापना तो सहकारिता को सुदृढ़ करने के लिये ही होगी। जहां-जहां यह कार्य पूरा होता जायेगा वहां-वहां से ये निगम समाप्त होते जायेंगे। उद्देश्य यही था कि जो-जो क्षेत्र सहकारिता के कार्य में पूर्णतया समर्थ होंगे वहां ये निगम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी यदि कोई राज्य यह अनुभव करे कि उसे इस निगम की आवश्यकता है तो केन्द्र सरकार उस पर भी विचार करेगी तथा यह भी जांच करेगी कि सहकारितायें अकारण ही तो नहीं समाप्त की जा रही हैं।

सारे देश के लिये एक ही केन्द्रीय निगम को पहले तो इसलिये उपयुक्त नहीं समझा गया कि इसके लिये राज्यों से प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सहायता लेनी पड़ेगी और दूसरे, यह कोई स्थायी निगम नहीं होगा। किसी भी समय किसी भी स्तर पर इन निगमों को समाप्त कर दिया जायेगा तथा इनके स्थान पर सहकारितायें कार्य करेंगी। विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थिति होगी। अतः किसी केन्द्रीय निगम को उपयुक्त नहीं समझा गया। श्री पाटिल के इस सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं कि इन निगमों के कार्यों पर पुनर्विचार पांच वर्ष जैसे लम्बी अवधि में नहीं बल्कि थोड़े-थोड़े समय के बाद किया जाना चाहिये।

अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार के निगम में लागत-पूंजी के बारे में था। विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न धनराशि का सुझाव दिया है। शायद यह समझ लिया गया है कि इस निगम की आमदनी केवल यथांशों से ही होगी। वस्तुतः यह बात नहीं है। इस विधेयक के खण्ड 22 में कहा गया है कि इस निगम की लागत-पूंजी ऋण और भुगतान के कुल जोड़ से 10 गुणा भी हो सकती है। केन्द्र सरकार की अनुमति से इस राशि को 15 गुणा भी किया जा सकता है। अतः यदि हमारे पास शेयर पूंजी एक करोड़ रुपये है तो यह निगम अधिकाधिक 15 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग कर सकता है। और फिर शेयर-पूंजी की यह एक अथवा पांच करोड़ की धनराशि भी कोई ऐसे ही निश्चित नहीं कर दी गई है बल्कि इसका भी कोई आधार होता है। अब जरा असम का उदाहरण लीजिये। वहां 9 सहकारी बैंकों को हटाना है। चतुर्थ योजना के लिये सहकारिता हेतु गठित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया था कि आरंभ में छोटी अवधि और मध्यम अवधि के लिये अग्रिम धन के लिये वर्ष 1973-74 तक 8.5 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। अब क्योंकि निगम की उधार लेने की क्षमता लागत-पूंजी से अधिकाधिक दस गुना होगी अतः लागत पूंजी और शेयर पूंजी यदि केवल 85 लाख रु० हो तो काफी होगा। और क्योंकि इसके लिये न्यूनतम धनराशि एक करोड़ रुपये है तो एक करोड़ रुपया असम राज्य के लिये सर्वथा पर्याप्त होगा।

ऋण भुगतान के लिये नियत पांच वर्ष की अवधि को कम बताया गया है। परन्तु वास्तव में निगम का कार्य तो छोटी अवधि और मध्य अवधि के ऋण देना ही है। लम्बी अवधि के ऋण धरोहर-बैंक देते हैं जोकि निगम बन जाने पर भी बने रहेंगे। अनौपचारिक दल ने यही सिफारिश की थी कि लम्बी अवधि के लिये रहन रखकर ऋण देने वाली केन्द्रीय संस्थाओं को न हटाया जाये। अवधि बढ़ाने से इन संस्थाओं के काम पर कुप्रभाव पड़ेगा।

किसी माननीय सदस्य ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि जब हम जमानत की मांग करते हैं तो छोटे किसान को उधार प्राप्त नहीं होता। वास्तव में ही हमें छोटे किसान के हितों का ध्यान रखना होगा। अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमें छोटे और असमर्थ किसान की भलाई को ध्यान में अवश्य रखना है। इंस सम्बन्ध में हम अब भी फसल पर ऋण देने की प्रणाली पर विचार कर रहे हैं जिसके अधीन जमानत देना सर्वथा आवश्यक नहीं है। कई राज्यों में ऐसी प्रणाली चालू है तथा वहां केवल जमानत पर ही नहीं बल्कि फसल का मूल्य आंक कर भी ऋण दे दिये जाते हैं। यह प्रणाली इस निगम के कार्य-क्षेत्र में भी होगी।

श्री रणधीर सिंह ने निगम के प्रशासन में नौकरशाही की बात कही थी। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि निदेशकों के बोर्ड में सार्वजनिक व्यक्तियों को लेने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं। इसके लिये हम योग्य, प्रसिद्ध तथा गैर-सरकारी आदमियों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस बोर्ड की अनेक समितियां भी होंगी। उन समितियों में भी गैर-सरकारी आदमी हो सकते हैं।

माननीय सदस्य ने ऋण भुगतान अवधि के बारे में भी बड़े उत्तेजनापूर्ण शब्द कहे। परन्तु

सही बात तो यह होगी कि हम किसानों में ऐसी भावना भरें कि प्रथम तो वे ऋण लेने में ही संकोच करें और यदि लें भी तो उसे शीघ्रातिशीघ्र लौटाने का प्रयत्न करें।

हमें उन किसानों का भी ध्यान रखना है जिन्हें ऋण बिल्कुल नहीं मिलता। अतः जो लोग ऋण लेते हैं उन्हें उसका समय पर भुगतान कर देना चाहिये जिससे वे किसान भी उसका लाभ उठा सकें जिन्हें अब तक ऋण नहीं मिल सका। यह कार्यवाही बिल्कुल निर्विवाद है और हम इसके लिये अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहते। अतः इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजना अनावश्यक होगा।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई कृषि ऋण निगम कार्य नहीं कर रहा है। जब राज्यों में ऐसे निगम स्थापित किये जा रहे हैं तो केन्द्र में भी एक ऐसा निगम स्थापित किया जाना चाहिये जिससे उनके कार्य में समन्वय किया जा सके। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब मैं श्री क० लकप्पा का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 149 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने के लिये श्री लकप्पा का एक और संशोधन है।

संशोधन संख्या 150 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह है कि सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिये रख दिया जाये······

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यदि कोई संशोधन एक-जैसे हों तभी यह सुझाव ठीक माना जा सकता है अन्यथा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : 150 संशोधन हैं। यदि प्रत्येक सदस्य एक मिनट का समय भी लगायें तो काफी समय लग जायेगा। अब हम खण्ड 2 पर विचार करेंगे।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं संशोधन संख्या 86 प्रस्तुत करता हूं।

मैं संशोधन संख्या 87 प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 24,—

"in relation to the corporation" [निगम के सम्बन्ध में] शब्द निकाल दीजिये ।

अब मैं संशोधन संख्या 88, 89, 90, 91 और 92 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं संशोधन संख्या 87 स्वीकार कर लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 87 सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—

"in relation to the corporation" [निगम के सम्ब्रन्ध में] शब्द निकाल दीजिये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

शेष सभी संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभा में मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended, was added to the Bill

खण्ड 3

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री क० नारायण राव : मैं संशोधन संख्या 93, 94 और 95 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं संशोधन संख्या 120 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 121 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 151 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है और माननीय सदस्यों को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिये पहले समय दिया जा चुका है । अब प्रत्येक सदस्य को एक-एक मिनट का समय दिया जाता है ।

श्री विश्वम्भरन : मेरा संशोधन यह है कि इस निगम की स्थापना सभी राज्यों में की जानी चाहिए ।

Shri George Fernandes (Bombay—South) : I have suggested in my amendment that Government should not be empowered to stop any State Government if it intends to establish an Agricultural Credit Corporation there.

श्री क० नारायण राव : मेरा संशोधन संख्या 93 यह है कि पृष्ठ 3, पंक्ति 14 में से "किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में" शब्द हटा दिये जाने चाहिए क्योंकि ये शब्द अनावश्यक हैं । संशोधन संख्या 95 में मैंने पृष्ठ 3, पंक्ति 18 में आन्ध्र प्रदेश का नाम सम्मिलित करने के लिये कहा है । मंत्री महोदय का कहना है कि जहां सहकारी आन्दोलन ने अच्छा कार्य किया है वहीं पर यह निगम स्थापित किये जायेंगे । उन्होंने यह ठीक ही बताया है कि अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिये । अब प्रश्न यह है कि यह ऋण किसानों को कैसे उपलब्ध होगा ? क्या ये ऋण उन्हें प्राथमिक ऋण संस्थाओं अथवा राज्य सहकारी बैंकों या इनकी किसी मिलीजुली संस्था के माध्यम से दिये जायेंगे ? सरकार ने अभी इन सभी बातों पर विचार करना है । मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि ये ऋण किसानों को ही मिलें ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : I have suggested in my amendment that Uttar Pradesh should also be included as people living in Ballia, Devaria, Gorakhpur, Ghazipur, Jaunpur, Azamgarh and Basti districts are very poor. It will facilitate loans to the poor farmers in these areas.

श्री लोबो प्रभु : यह विधेयक बहुत खतरनाक है । यह सहाकारिता पर गहरा आघात है । जहां तक सहकारी ऋण का सम्बन्ध है वह केवल बड़े किसानों को उपलब्ध हुआ है, छोटे किसानों को नहीं । दूसरी बात यह है कि सहकारी संस्थाओं को दी गई धनराशि अभी तक वापिस नहीं की गई है और कई संस्थाएं तो दिवालिया हो गई हैं । इस प्रकार सहकारिता के कार्य सफल नहीं हुए हैं । अब यदि सहकारी संस्थाओं के स्थान पर इन निगमों को स्थापित किया जाता है तो इससे सहकारिता का अन्त हो जायेगा । यदि यह बात हुई तो उनसे धनराशि कैसे वसूल की जायेगी ।

इस प्रकार के निगम पहले ही काफी मात्रा में हैं । कृषि पुनर्वित्त निगम पहले ही अग्रिम धनराशि के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपये दे चुका है । अतः इन निगमों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा । गरीब किसान अधिकतर साहूकार पर निर्भर करता है । उसे उपरोक्त संस्थाओं से इसलिए ऋण नहीं मिल सकता क्योंकि वह किसी प्रकार की गारंटी नहीं दे सकता है । सरकार को छोटे किसान की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए । साहूकार को भी ऋण प्रणाली का एक भाग ही समझना चाहिए । उसे ऋण की धनराशि की गारंटी न मिलने के कारण ही वह किसान से अधिक ब्याज लेता है । सरकार को उनका एक निगम बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे वह ब्याज के दर की सीमा निर्धारित कर सके । विभिन्न राज्यों में इस निगम की स्थापना के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के स्थान पर संसद् के साथ परामर्श करना चाहिए । मुझे आशा है कि सरकार मेरे सुझाव से सहमत होगी ।

Shri Abdul Ghani Dar : As there have been many cases of corruption and embezzlement etc. Government should ensure that the small cultivators could get this assistance in the real sense. There are many complicated procedures which a farmer has to go through before getting a loan. Government should see as to how these farmers can get rid of capitalists.

Sir, if the Hon. Minister thinks that all is well with the financial institutions then it is like peace of the graveyard.

If you really want to help the agriculturists then you should know how to do it. When a farmer wants to take loan for a tube-well he has to face much difficulty. Thereafter he has to face many hurdles to get connection for it. Punjab and Haryana are doing great service to the nation. While helping the industrialists we should see what we are doing to the agriculturists. I want that the corporation should be of real help to the agriculturists.

Shri Shinkre (Panjim) : Sir, my amendment relates to the "proviso". This proviso has been kept keeping in view that those which have not been mentioned there, the co-operative movement has not been successful there. I want to tell that a large number of co-operative societies have been opened in Goa but the quality in this respect has deteriorated.

The Portuguese did not pay much attention to agriculture. Even after the independence of that territory for the last seven years, not much has been done. The Co-operative Bank there is not in a position to meet the requirements of that area. I want that a corporation should be set up there so that at least one crore rupee can be utilised in that area.

The procedure for setting up a corporation by the state after taking permission of the Central Government and that in turn would consult the Reserve Bank of India, is a lengthy one. Hence I want that this proviso should be removed from here.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय जो संशोधन मेरे मित्रों ने प्रस्तुत किये उनमें कहा गया कि निगम कुछ विशेष क्षेत्रों में हैं। जो कार्यकारी दल इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया उसकी सिफारिश में इन पांच राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है क्योंकि वहां सहकारी पद्धति बहुत कमजोर है और वहां निगम स्थापित करने चाहिए। अन्य राज्यों में हमें आशा है कि सहकारी पद्धति मजबूत हो जायेगी।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने पूछा है कि केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक दोनों की अनुमति, निगम स्थापित करने के लिए क्यों लेनी होगी तो इसका उत्तर यह है कि यह दोनों मिलकर 50 प्रतिशत पूंजी लगायेंगी। इस कारण इनकी बात को ध्यान में रखना होगा।

श्री लोबो प्रभु का सुझाव अन्य सदस्यों से बिल्कुल उलटा है। वह संसद् की अनुमति चाहते हैं। मेरे विचार में उनकी बात से तो उनके दल के श्री रंगा भी सहमत न होंगे क्योंकि वह एक किसान हैं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा सुझाव तो यह था कि धन देने वालों का एक निगम हो ताकि उनका धन जायज ब्याज पर उपलब्ध हो सके।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री के० नारायण राव के दो संशोधन हैं। मैं उन्हें समझा दूं कि

निगम का स्थान तो बताना होगा तथा उसका नाम रखना होगा क्योंकि अधिसूचना में इनको देना होगा। इस कारण मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मत विभाजन के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 को मत विभाजन के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 5 पर चर्चा करेंगे। जो सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें, वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं अपने संशोधन संख्या 32, 33, 34, 35 तथा 37 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं अपने संशोधन संख्या 97 तथा 172 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 172, पृष्ठ 4, पंक्ति 38,

"इस" के पश्चात् "उप-धारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तारीख तक" शब्द जोड़ दिये जायें।

After "it" insert "by the date specified by the Central Government under sub-section (4)".

श्री शिंकरे (पंजिम) : मैं अपने संशोधन संख्या 109, 110, 111, 112 तथा 113 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : मैं अपने संशोधन संख्या 168, 169, 170 तथा 171 प्रस्तुत करता हूं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 तथा 181 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम): महोदय उप-खण्ड(5) के परन्तुक में कहा है कि यदि खाद्य निगम, स्टेट बैंक, सहायक बैंक तथा बैंकिंग कंपनियां उनके लिये निर्धारित किये गये भाग की पूंजी न दें तो यह राशि केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक तथा उपयुक्त सरकार दे। मेरा कहना है कि यह राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिए।

Shri George Fernandes : Sir, I have tabled three amendments. In one I want the limit of Rs. one crore to be made Rs. five crores. I want that you have put limit at Rs. five crores. I want it to be raised to Rs. fifty crores. My second amendment pertains to the fact that the word "prior approval of the Central Government" should be replaced by the word "prior consultation of the Central Government". According to my third amendment, I want that the co-operative societies should also be asked to subscribe capital to this work. The Hon. Minister mentioned only the Food Corporation, State Bank, subsidiary banks and banking companies only.

Sir, when I mentioned two days back about giving of facilities to farmers, the Hon. Minister replied that a Bill in this regard is soon coming. I want that the farmers should be provided with capital, fertilisers, water and seeds. I want therefore that more money should be given.

Secondly, the Indian farmer today needs more money than what you want to give him. You are investing much money in the industries and on the administrative machinery. If you want to bring down the limit of Rs. 50 crores which I have suggested then you can mention that amount.

I am against the usurption of more powers by the Central Government. The main aim is to give more money to the farmers without any difficulty. This will not be done easily. I want some arrangement to be made for the Cooperative Societies to subscribe to the capital. I hope there can be no objection to it.

Shri Sheo Chandra Jha (Madhubani) : Sir, my amendment seeks that the sum of share capital should in place of Rs. 5 crores be made Rs. 10 crores. If you do not do it then the corporation will remain only in name. Those who are aware of this problem can testify that the farmers have to go from pillar to pole to get credit. Hence I request that the share capital should be Rs. 10 crores instead of Rs. 5 crores. I hope the Hon. Minister would agree to it.

Shri Nathu Ram Abirwar (Tikamgarh) : Sir, I disagree with the limit which has been put in the Bill about the authorised capital. This has been put at Rs. 5 crores. The Government spends so much on Ashoka Hotel and other such places. I therefore request that the maximum limit on authorised capital should be raised from Rs. 5 crores to Rs. 7 crores.

The Government charges much interest on the money it gets from the Reserve Bank of India. The share of the Central Government for Corporation should be 50 percent instead of 30 percent as shown in the Bill.

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : Sir, there is a discrimination involved as the Corporation would be set up only in Orissa, Rajasthan, West Bengal and the Union territories. I want these to be set up in all the States.

According to my second amendment I want that the authorised capital should be upto twenty-five crores.

I hope the Hon. Minister would accept it.

Shri Shinkre (Panjim) : Sir, I want that the minimum sum should be Rs. 2 crores instead of Rs. 1 crores as prescribed in the Bill. I also want the maximum sum to be Rs. 8 crores instead of Rs. 5 crores.

According to my second amendment I do not want the banking companies to interfere in the Corporation's affairs.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : महोदय निगम के शेयरों को चार भागों में बांटा गया है अर्थात् एक केन्द्रीय सरकार, दूसरे रिजर्व बैंक, तीसरे राज्य सरकार और चौथे खाद्य निगम, स्टेट बैंक आदि । मैं चाहता हूं कि सरकार को राशि निर्धारित करने में मनमानी करने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

मेरा दूसरा संशोधन ऐसा है कि उस पर मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

Shri Mohammed Ismail (Barackpore) : Sir, I want that the words on page 3, lines 37 and 38 "or more than five crores of rupees" should go. There should be no limit on the sum of Rs. 5 crores. This should be according to the requirements of the farmers which the Government should be able to fix.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं श्री नारायण राव के संशोधन संख्या 172 को स्वीकार करता हूं ।

अधिकतर सदस्यों ने कहा है कि प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रु० से अधिक कर दी जाये । मेरा उत्तर यह है कि स्टेट बैंक की प्राधिकृत पूंजी केवल 5.62 करोड़ रु० थी परन्तु आज उनके पास 1,100 करोड़ रु० है । इसलिये प्राधिकृत पूंजी के नाम पर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिये । यह राशि तो हमने किस प्रकार निर्धारित की है, इसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 38—"इस" के पश्चात् "उप-धारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई तारीख तक" शब्द जोड़ दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सारे संशोधनों को सदन के मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं, खण्ड 5 संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5, as amended, was added to the Bill

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7 (प्रबन्ध)

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं अपने संशोधन संख्या 98 तथा 99 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में,

["and are not by this act expressly direted or required"]

("तथा जिनके बारे में इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट निदेश अथवा अपेक्षा नहीं की गई है")

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

["other than those which are expressly directed or required by this act"]

("उनके अतिरिक्त जिनका इस अधिनियम में स्पष्ट निदेश दिया गया है अथवा अपेक्षा की गई है")

[**श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

महोदय, मेरा संशोधन तो केवल खण्ड की भाषा में सुधार से सम्बन्ध रखता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाये।

श्री क० नारायण राव : महोदय, श्री सूपकार का संशोधन भी मेरे संशोधन में आ गया है। उप-खण्ड (1) में दो प्रकार के अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि निगम सम्बन्धी सामान्य देखभाल, निदेश तथा प्रबन्ध के मामले निदेशकों के बोर्ड में निहित हैं। दूसरे भाग में निदेशकों का बोर्ड वह अधिकार तथा कार्य करेगा जो निगम को करने हैं। मैं इन दोनों को अलग-अलग करना चाहता हूं। इन दोनों को "कौन" शब्द से जोड़ा गया है। मेरा संशोधन भी खण्ड की भाषा में सुधार करने सम्बन्धी है। अब मंत्री जी पर निर्भर है कि वह संशोधन स्वीकार करें अथवा नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, दोनों संशोधनों में कुछ तथ्य है परन्तु खण्ड के दोनों भागों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं श्री सूपकार के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं पहले संशोधन 98 तथा 99 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 182 को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में,

["and are not by this act expressly directed or required"]

("तथा जिनके बारे में इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट निदेश अथवा अपेक्षा नहीं की गई है")

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

["other than those which are expressly directed or required by this Act"]

("उनके अतिरिक्त जिनका इस अधिनियम में स्पष्ट निदेश दिया गया है अथवा अपेक्षा की गई है")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7, as amended, was added to the Bill

खण्ड 8

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 40 तथा 41 प्रस्तुत करता हूं।

श्री क० नारायण राव : मैं अपना संशोधन संख्या 100 प्रस्तुत करता हूं।

Shri George Fernandes: Sir, the Central Government by keeping the credit corporation in its own hands wants to keep all the powers in its own hands. I want that these

powers should instead of remaining with the Central Government be with the State Governments. I want the word "appropriate Government" to be put there. The State Governments are in a better position to know how much credit is to be given to the agriculturists.

I want the Hon. Minister to accept my amendment.

श्री क० नारायण राव : मैं अपना संशोधन मतविभाजन के लिये रखना नहीं चाहता।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, केन्द्रीय सरकार की निधियों के अतिरिक्त बहुत से राज्यों में उनके अपने निगम होंगे।

केन्द्रीय सरकार का कार्य यह होगा कि यदि किसी राज्य में कोई ऐसी बात हो रही है जो नहीं होनी चाहिये तो वह उसे जनहित में रोक सकती है। इसी कारण यह खण्ड है।

श्री मधु लिमये की लेख याचिका के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में

RE: SUPREME COURT'S JUDGEMENT ON SHRI MADHU LIMAYE'S WRIT PETITION

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I am just now coming from the Supreme Court which has set me free. I want that the business of the House should be adjourned and this matter of breach of privilege should be discussed. The Hon. Speaker too had promised that after the Supreme Court judgement the decision on privilege issue would be taken.

सभापति महोदय : मैं आपकी बात अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उच्चतम न्यायालय ने श्री मधु लिमये को छोड़ दिया है। हमें विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिये।

Shri S. M. Joshi (Poona): Sir, I want that we should discuss this matter just now.

सभापति महोदय : मैं सदस्यों के विचार अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा। इस विषय पर चर्चा का समय वही निश्चित करेंगे।

राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक—जारी

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION BILL—Contd.

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 40 तथा 41 सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40 तथा 41 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

श्री क० नारायण राव : मैं अपना संशोधन संख्या 100 मत विभाजन के लिये रखना नहीं चाहता ।

संशोधन संख्या 100 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The amendmnet was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 9 पर चर्चा करेंगे । इस पर बहुत से संशोधन हैं ।

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपने संशोधन संख्या 12, 13 तथा 15 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अपने संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 78 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं ;

कि पृष्ठ 6, पंक्ति 8 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये ;

["परन्तु एक राज्य में स्थापित निगम के एक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करते समय केन्द्र सरकार उस राज्य सरकार से भी परामर्श करे"]

["Provided that in appointing a managing Director of a corporation established in a State the Central Government may also consult the Government of this State"]

श्री शिंकरे (पंजिम) : मैं अपना संशोधन संख्या 114 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 123, 124 तथा 125 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 183 तथा 184 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : यह सारे संशोधन सभा के सामने हैं ।

श्री पी० विश्वम्भरन : मेरे संशोधन के अनुसार निगम के सभापति का चुनाव निदेशकों के बोर्ड द्वारा होना चाहिये। दूसरे संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारों को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये। श्री फरनेन्डीज ने पहले ही कहा है कि केन्द्रीय सरकार की वृत्ति राज्य सरकारों से अपने हाथ में अधिक अधिकार रखने की है।

Shri George Fernandes : Sir, I want that the Central Government's right to appoint the chairman should go. The appointment of Chairman or the Managing Director should be of the appropriate Government which in the case of those states where there are Agricultural credit corporations, are the State Governments there. In the case of union territories, the Union Government is the appropriate Government. The tendency on the part of Central Government to keep to itself more powers should go.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, it is stated that the Director should be a person who should not be the employee of the corporation. It is also stated that he should have special knowledge. I want that he should be a person who should not have been associated for a long time with any political party. What is happening is that the Congress party is appointing its party members to such posts who are defeated in the elections. I hope my amendment would be accepted.

Shri Mohammed Ismail : Sir, I want that the word "State Government" should be placed in place of word "Central Government". I want the State Government should consult the Board instead of the Central Government.

The question regarding the powers of the Central Government has been questioned. When the corporations are being set up in the states, the powers should be given to State Governments to control the corporation. I hope my amendment would be accepted.

श्री विक्रम चन्द महाजन : मेरे संशोधन के अनुसार निदेशक को राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त करना चाहिये क्योंकि राज्य सरकार भी इसमें पूंजी लगायेगी।

Shri Shinkre : Sir, I want that the chairman of the corporation should be a person who may never have been an active or retired Government servant.

The reason why so many of our public undertakings have failed is that the heads of the same were retired Government servants.

श्री लोबो प्रभु : मेरे दो संशोधन हैं। मैं चाहता हूं कि निगम के सभापति तथा निदेशक नियुक्त करने में सरकार को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। इसके लिये सरकार को संसद की अनुमति लेनी चाहिये ताकि संसद पता लगा सके कि उन व्यक्तियों की योग्यता है कि उन्हें उन पदों पर नियुक्त किया जा सके।

मेरा दूसरा प्रश्न प्रबन्ध निदेशक के सम्बन्ध में है। उसकी नियुक्ति भी सरकार के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं है। इसके लिये कोई लोक सेवा आयोग होना चाहिये ताकि उसके परामर्श से नियुक्ति की जा सके। यदि ऐसा किया गया तो निगमों की वह स्थिति नहीं होगी जो उनकी आज है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति के बारे में मैं श्री लोबो प्रभु द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। उन्होंने ठीक कहा है कि ऐसे ऊंचे पदों पर नियुक्ति के बारे में सरकार ने अनेक बार गलत कार्यवाही की है। श्री केशव देव मालवीय तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों को जो चुनावो में हार गये थे, सरकार ने, केवल अपनी स्थिति दृढ़ करने अथवा अपने दल के लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। इस प्रकार नियुक्त करते समय अपेक्षित योग्यता और अनुभव का ध्यान नहीं रखा जाता। मुझे चुनाव में हारे हुए व्यक्तियों की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है कि बिना योग्यता के भी उन लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया जाये। अतः इस सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि मंत्री महोदय ये नियुक्तियां करने से पूर्व इन पदों के लिये मनोनीत व्यक्तियों के बारे में सदन का निर्णय भी लें ताकि अयोग्य, असमर्थ तथा केवल राजनीतिक व्यक्ति के इन पदों पर आने की सम्भावना न रहे। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर सहानुभूति से विचार करेंगे।

Shri Mahant Digvijay Nath: Sir, I want that in clause 9 after these words "(a) one director to be nominated by the Central Government who shall be the chairman of the Board" the following may be added.

"in the first instance and later on elected by the Board". My second amendment is that after the words "(e) a managing director to be appointed by the Central Government the following may be added.

"in consultation with other parties."

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन संशोधनों में से अनेक में यह मांग की गई है कि अध्यक्षों की नियुक्तियां केन्द्र सरकार न करे। मैं ये संशोधन सिर्फ इसलिये भी स्वीकार नहीं कर सकता कि इन निगमों के अधिकांश राज्य सरकार तथा रिजर्व बैंक के हैं तथा दोनों के हितों की बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इन निगमों का गठन केवल सहकारिता की व्यवस्था को सुदृढ़ और सफल करने के लिए किया गया है। इस कार्य के पश्चात् ये निगम धीरे धीरे समाप्त होते जायेंगे। परन्तु श्री महाजन की इस दलील से मैं सहमत हूं कि इन नियुक्तियों के बारे में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाना चाहिये। अतः मैं श्री महाजन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 101 को स्वीकार करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा का यह आशय कुछ उचित नहीं जान पड़ता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति एक अच्छा सहकारी नहीं हो सकता। वह सभी को एक लाठी से नही हांक सकते। सम्भव है वह स्वयं सहकारिता के बहुत समर्थक हों।

श्री शिकरे का संशोधन बड़ा प्रतिबन्ध लगाने वाला है यद्यपि इसकी सदैव अपेक्षा की जाती है कि किसी प्रसिद्ध और योग्य व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाये।

श्री लोबो प्रभु का यह सुझाव भी रचनात्मक नहीं है कि निदेशकों की नियुक्ति विधायकों

अथवा संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन लेकर हो । यह सम्भव है कि सरकार से भी कभी कोई भूल हो जाये, परन्तु फिर भी सारा उत्तरदायित्व तो सरकार का ही है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 8 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये ।

["Provided that, in appointing a managing director of a corporation established in a State, the Central Government may also consult the Government of that State."]

["परन्तु एक राज्य में स्थापित निगम के एक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करते समय केन्द्र सरकार उस राज्य सरकार से भी परामर्श करे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12, 13, 15, 43, 57, 78, 114, 123, 124, 125, 183 **और** 184 **मतदान के लिये रखे गये । तथा अस्वीकृत हुए**

The amendments Nos. 12, 13, 15, 43, 57, 78, 114, 123, 124, 125, 183 and 184 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9, as amended, was added to the Bill

खण्ड 10 (प्रबन्ध निदेशक)

श्री पी० विश्वम्भरम (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपने संशोधन संख्या 16, 17, 18 और 19 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं अपने संशोधन संख्या 45, 46, 47 और 48 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिकरे (पंजिम) : मैं संशोधन संख्या 116 और 117 प्रस्तुत करता हूं ।

पृष्ठ 6, पंक्ति 113 में

["five"] ["पांच"] के स्थान पर ["three"] ["तीन"] शब्द रखा जाये ।

I suggest that the Managing Director should hold office for such a term not exceeding three years.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): The Managing Director should not be reappointed after a term of five years. My amendment is that "the Managing Director shall

hold office for such term, not exceeding five years as the Central Government may specify at the time of the appointment and shall not be eligible for re-appointment." Otherwise a vested interest will be created which will lead to corruption howsoever efficient and honest be that officer. You may utilise his experience in some other field but do not re-appoint him in the same capacity.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री शिकरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 115, जिसमें "5वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" रखने को कहा गया है, मैं स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16, 17, 18, 19, 45, 46, 47, 48, 59, 116 तथा 117 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं श्री शिकरे द्वारा प्रस्तुत तथा मंत्री महोदय द्वारा स्वीकृत संशोधन सदन में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 13,—["three"] ["five"] ["पांच"] के स्थान पर ["तीन"] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10, as amended, was added to the Bill

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 126 प्रस्तुत करता हूं ।

सरकार द्वारा किसी नाम निर्देशित निदेशक की नियुक्ति अनिश्चित काल तक के लिये नहीं की जानी चाहिए । एक ही व्यक्ति का जीवनपर्यन्त इस पद पर बने रहना उचित नहीं है । अतः मेरा संशोधन इस प्रकार है कि उसका कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिये ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 3,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये,—

[" and the period of such office, unless terminated earlier, shall be two years provided that a nominated director shall be eligible for renomination".]

["और इस पद की अवधि, जब तक कि पहले ही समाप्त न की जाये, दो वर्ष होगी बशर्ते कि कोई नामनिर्देशित निदेशक पुनर्नामनिर्देशन का पात्र हो"] (185)

मेरा संशोधन भी लगभग वैसा ही है जैसा कि श्री लोबो प्रभु का संशोधन है। अन्तर केवल यह है कि इसमें कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें किसी निदेशक को पुनर्नियुक्त करने का सुझाव भी है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं श्री नारायण राव का संशोधन स्वीकार करता हूं। श्री लोबो प्रभु के संशोधन में अन्तर्निहित भावना सराहनीय है। चूंकि उनके संशोधन में कार्यकाल का जो सुझाव दिया गया है वह कुछ लम्बा है अतः मैंने श्री राव का संशोधन, जिसमें कार्यकाल 2 वर्ष रखने का सुझाव दिया गया है, स्वीकार किया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 126 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 126 was put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं श्री नारायण राव द्वारा प्रस्तुत तथा सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधन संख्या 185 सभा के मतदान के लिये रखूंगा, प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7, पंक्ति 5,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये,—

["and the period of such office, unless terminated earlier, shall be two years provided that a nominated director shall be eligible for renomination".]

["और इस पद की अवधि, जब तक कि पहले ही समाप्त न की जाये, दो वर्ष होगी बशर्ते कि कोई नामनिर्देशित निदेशक पुनर्नामनिर्देशन का पात्र हो"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11, as amended, was added to the Bill

खंड 12

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 80 प्रस्तुत करता हूं।

Shri George Fernandes : My amendment relates to the point as to who should judge whether the disqualification is attracted or not. According to provision of this clause no person shall be a director, who is or has been convicted of an offence which in the

opinion of the Central, involves moral turpitude. In this connection I would like to say that the State Governments should have the final authority to Judge whether the disqualification is attracted or not.

Shri Mohammad Ismail: Mr. Chairman, my amendment is very simple and I hope, the Hon. Minister will accept it. I would like that the following matter should be inserted on page 7 after line 17 :—

"is or is related to a moneylender, landlord, trader by profession," so that all these persons may not be taken in the Board.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री जार्ज फरनेन्डीज का कहना है कि निदेशक बनने के लिये अर्हता के बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिये। कोई यह नहीं चाहता कि आचरणहीनता के लिये दंडित व्यक्ति इस बोर्ड में लिया जाये। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस बात का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहना चाहिए कि किस व्यक्ति को लिया और किसको न लिया जाये क्योंकि इसमें आधे से अधिक निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

जहां तक माननीय सदस्य के इस तर्क का सम्बन्ध है कि कुछ दल जो इस समय राज्य में सत्तारूढ़ हैं कल को केन्द्र में भी वे सत्तारूढ़ हो सकते हैं, प्रजातंत्र में सरकारें तो बदलती ही रहती हैं। हो सकता जो दल केन्द्र में सत्तारूढ़ है वही राज्यों में सत्तारूढ़ हो सकता है। अतः इस तर्क में कोई जान नहीं है।

माननीय सदस्य श्री मुहम्मद इस्माइल ने किसी व्यक्ति के निदेशक बनने के लिये कुछ शर्तें लगाई हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शर्तें लगाना उचित नहीं है अतः कोई भी संशोधन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री फरनेन्डीज और श्री इस्माइल के संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 49 और 80 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments No. 49 and 80 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 12 was added to the Bill

सभापति महोदय : खंड 13,14 और 15 पर कोई संशोधन नहीं हैं। अतः मैं उन्हें सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 13,14 और 15 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 13,14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 13, 14 and 15 were added to the Bill

खण्ड 16

बोर्ड के निदेशकों अथवा समिति के सदस्यों का कुछ मामलों में मत न देना

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं।

The Government have made a provision in this clause that every director or member of a committee who has any direct or indirect pecuniary or other interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board or a Committee shall, as soon as possible, after the relevant facts or circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such a meeting and the disclosure so made shall be recorded in the minutes of the meeting of the Board or of the Committee, as the case may be, and no such director or member shall thereafter take any part in any deliberation or decision of the Board or Committee with respect to that matter nor shall his presence at such meeting be taken into account for the purpose of determining the quorum for the meeting at the time of such deliberation or voting, and if he does vote, his vote shall be void but I want through my amendment that such a director or a member should resign from the membership of the Board or the Committee. Only to debar them from taking part in the proceedings of the Board or the Committee. In such case the members not taking part in meetings may influence other members of the Board or the Committee in their own favour and next time they can also oblige them. I, therefore, submit that keeping in view the efficient and honest working of Board or Committee, my amendment may be accepted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह समझ लेना उचित नहीं है कि सम्बन्धित सभी व्यक्ति बेईमान ही होते हैं। इसमें प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति के लिये बहुत ही सीमित क्षेत्र है। हम इस खण्ड में किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा घोषणा करने की व्यवस्था कर चुके हैं। अतः यह संशोधन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 50 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 50 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 50 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 16 was added to the Bill

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 was added to the Bill

खण्ड 19

सभापति महोदय : इस खण्ड पर कुछ संशोधन है।

श्री विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपने संशोधन संख्या 22, 23, 24 और 25 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अपना संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 127 प्रस्तुत करता हूं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मैं अपने संशोधन संख्या 187 और 188 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विश्वम्भरन : विधेयक का खण्ड 19 (क) ऋण तथा अग्रिम राशियां देने से सम्बन्धित है। मैं चाहता हूं कि ऋण की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दी जाये तथा विधेयक में ब्याज की दर भी निर्धारित की जाए क्योंकि ऐसा न होने पर किसानों को 9-10 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है जबकि उद्योगपतियों को बिना ब्याज के करोड़ों रुपये का ऋण मिल जाता है। मैं चाहता हूं कि विधेयक में किसानों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं कृषि से सम्बन्धित कार्यों के बारे में कहना चाहता हूं। पशुपालन, डेरी फार्म, कुक्कुट पालन और मत्स्यपालन उद्योग कृषि से सम्बन्धित कार्यों के अन्तर्गत आते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इन कार्यों के लिये भी ऋण देना चाहती है। अतः मेरा सुझाव है कि इन कार्यों का विधेयक में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके लिए कृषि शब्द की स्पष्ट परिभाषा देना आवश्यक है।

उपर्युक्त बातों के आधार पर ही मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। आशा है कि मंत्री महोदय इन्हें स्वीकार कर लेंगे।

श्री लोबो प्रभु : मेरा संशोधन साधारण है किन्तु इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मैं समझता हूं कि यह संस्था सहकारी संस्थाओं की सहायक संस्था होगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संस्था द्वारा उन लोगों को ऋण दिया जाना चाहिए जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं। यदि यह सभी लोगों को ऋण देने लगेगी तो इसका महत्व ही समाप्त हो जायेगा। लोग महाजनों का ऋण लौटाने के लिये सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं। इस प्रकार यह धन कृषि कार्यों में न लगकर ऋण की वापिसी के काम आता है। यदि यह संस्था भी यही कार्य करने लगेगी तो इसका महत्व ही नहीं रह जायेगा। अतः मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री क० लकप्पा : इस विधेयक का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है। मैं चाहता हूं कि ऋणों को लौटाने की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष की जानी चाहिए। काजू अखरोट आदि ऐसी कई फसलों से जो दस वर्ष से अधिक अवधि में तैयार होती हैं। इन फसलों के लिये ऋणों को लौटाने की यह अवधि बहुत कम है। अतः मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

Shri Mahant Digvijai Nath : I want the period of loan to be extended from five years to ten years because sometimes the crops fail due to failure of rains or due to some other reasons and therefore the farmers may be given more time for the return of loans.

The word "Agriculturist" may be substituted with "Cultivators and other persons so engaged in agricultural operations" because the word Agriculturist is not defined anywhere in the Bill. This word should be defined.

My third amendment relates with the rate of interest charged on the loans to be given to agriculturists. This loan should not be given with a profit motive and therefore the rate of interest should not more than 3 percent in any case.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): About my two amendments to clause 22 I would like to say that........

Shri George Fernandes (Bombay South): Sir, now clause 19 is being discussed and not clause 22.

Mr. Chairman : Please be patient. We have not yet reached on clause 22.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं अपने मित्र श्री महन्तजी को बताना चाहता हूं कि इसमें उद्यान सम्बन्धी विषय भी सम्मिलित है। और बागवानी के विकास आदि के लिये भी ऋण दिये हैं। जहां तक ब्याज की दर की बात है इस सम्बन्ध में निर्णय का अधिकार निदेशक मंडल को ही होगा, जो चालू ब्याज की दर पर ध्यान रखते हुए ऐसा करते हैं। इसलिये हम कोई भी दर निश्चित नहीं कर सकते। जहां तक 5 वर्ष की अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाने की बात है ऐसा विधेयक में नहीं किया जा सकता। क्योंकि वह सहकारी ऋण संरचना में कम अवधि और मझौली अवधि वाले ऋणों तक ही सम्बन्धित है। प्रस्तुत विधेयक में दीर्घावधि ऋण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। माननीय सदस्यों को यह स्वीकार करना होगा कि दीर्घावधि ऋण के साथ-साथ कम अवधि और मझौली अवधि वाले ऋणों की भी आवश्यकता होगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री विश्वम्भरन ने कृषक की परिभाषा पूछी और कुछ अन्य शंकाएं उठायी हैं। कृषक (एग्रीकलचरिस्ट) का शब्दकोष के अनुसार अर्थ है एक किसान या खेती का पेशा करने वाला। उन्हें मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि कुक्कुटपालन और डेयरी हेतु पशु-पालन के लिये भी कृषि प्रगति समितियां ऋण देंगी। जहां तक श्री लोबो प्रभु के इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है कि समितियों के निदेशकों को ऋण न दिया जाये, ऐसा प्रतिबन्ध लगाने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 61 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment number 61 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22,23,24,25,127,187 और 188 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
All the other amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 19 was added to the Bill

खण्ड 20

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह सुझाव है कि सरकारी संशोधनों को छोड़कर शेष सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखा जाय। किसी भी सदस्य को भाषण देने की अनुमति न दी जायेगी। क्योंकि इस विधेयक पर दुगने से भी अधिक समय लग चुका है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अपने संशोधन संख्या 62 पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 62 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 20 was added to the Bill

खण्ड 21

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 21 से सम्बन्धित कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 21 was added to the Bill

खण्ड 22

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 63 पेश करता हूं।

श्री विभूति मिश्र : मैं संशोधन संख्या 205 और 206 पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 63, 205 और 206 सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

The Amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 22 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि खण्ड संख्या 23 से 26 तक के सम्बन्धित में कोई संशोधन नहीं है, इसलिए उन सबको मैं एक साथ ही सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 से 26 तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 23 से 26 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 23 to 26 were added to the Bill

खण्ड 27

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 64 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 64 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 27 was added to the Bill

खण्ड 28

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 30,

["The State"] ["राज्य"] के स्थान पर ["that"] ["वह"] शब्द रखा जाये ।

(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया

Clause 28, as amended, was added to the Bill

खण्ड 29

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 29 was added to the Bill

खण्ड 30 (सामान्य बैठकें)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 65 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 65 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 30 was added to the Bill

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 31 was added to the Bill

खण्ड 32 (लेखा परीक्षा)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 66 और 67 पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 66 और 67 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 32 was added to the Bill

खण्ड 33 (प्रतिफल)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 68 और 69 पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 68 और 69 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 33 was added to the Bill

इसके पश्चात् खण्ड 34 से 43 तक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकृत हुये

Clauses 34 to 43 were then put and adopted

खण्ड 44 (रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट का दिया जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 129 पेश करने के लिये है परन्तु श्री लोबो प्रभु तो यहां हैं ही नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : परन्तु उस संशोधन को मैं स्वीकार करना चाहता हूं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : श्रीमान् यदि मंत्री महोदय उसे स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं उसको पेश करने को तैयार हूं। मैं श्री लोबो प्रभु की ओर से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

पृष्ठ 18, पंक्ति 27 में "five" (पांच) के स्थान पर "three" (तीन) शब्द रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 18, पंक्ति 27 में "five" (पांच) के स्थान पर "three" (तीन) शब्द रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप हुये परिवर्तन के अनुरूप मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

पृष्ठ 18, पंक्ति 30 में "five" (पांच) के स्थान पर "three" (तीन) शब्द रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 18, पंक्ति 30 में "five" (पांच) के स्थान पर "three" (तीन) शब्द रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 44, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 44, as amended, was added to the Bill

इसके पश्चात् खण्ड 45 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 45 was then added to the Bill

खण्ड 46 (केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति)

श्री जार्ज फरनेन्डीज: मैं संशोधन संख्या 70, 71, 72 और 73 पेश करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

"पृष्ठ 19, पंक्ति 15 और 16 में जहां-जहां "State" (राज्य) शब्द आये उसके स्थान पर "appropriate" (ठीक) शब्द रख दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 85 को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 19, पंक्ति 15 और 16 में जहां-जहां "state" (राज्य) शब्द आये, उसके स्थान पर "appropriate" (ठीक) शब्द रख दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 70, 71, 72 और 73 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 46, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 46, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 46, as amended, was added to the Bill

खण्ड 47 और 48, खण्ड 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये

Clauses 47 and 48, Clause 1, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिये घण्टी बजाई जा रही है। अब सभा में गणपूर्ति है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि....

(अन्तर्बाधाएं)

Shri George Fernandes : Sir, I have a point of order. I would like to point out that in accordance with Rule 93 (2) the motion "that the Bill be passed" cannot be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded with the acceptance of certain amendments to the Bill. As the Minister has accepted some amendments, so I request that the motion "that the Bill, as amended, be passed" should be brought on any future date. I want that the rules should not be violated.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं। परन्तु मैं आपकी बात इस शर्त पर स्वीकार करूंगा कि कल आधे घंटे से अधिक समय न लिया जाये। क्योंकि इस पर पहले ही अत्यधिक समय दिया जा चुका है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह कहना चाहूंगा कि गैर-सरकारी सदस्यों के संशोधन सदस्यों के आशय के अनुसार ही स्वीकार किये गये हैं। इसके साथ ही उनके स्वीकार करने से विधेयक में कोई मूलभूत परिवर्तन भी नहीं हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक के तीसरे वाचन को अनुमति दी जाये। मैं श्री फरनेन्डीज से भी अपील करता हूं कि वे भी इस सन्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नियम की जानकारी है। फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी व्यवस्था के प्रश्न पर बल न दें। यदि आज विधेयक का तीसरा वाचन पूर्ण न हो सका और विधेयक पारित न हो सका तो सरकार भविष्य में संशोधन मानने में संकोच करेगी।

श्री रंगा (श्री काकुलम) **:** मैं भी श्री फरनेन्डीज से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी आपत्ति पर बल न दें और विधेयक को पारित होने दें। हमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये।

Shri George Fernandes : I am quoting the relevant rules which have been made by the House itself. I insist upon the fact that rules of the House should not be violated. We can take up another item on the agenda.

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उनका पालन किया जाये। और स्थापित प्रथा का भी अनुसरण किया जाना चाहिये। अब हम दूसरा विषय लेते हैं। इस विधेयक पर आगे विचार कल होगा।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Sir, I have also a point of order. I have written several times to you. Still I have been receiving the answers to my questions in English, while I do not know English language.

उपाध्यक्ष महोदय : आप ये बातें अध्यक्ष महोदय से कहें। यदि आपकी वास्तव में कोई कठिनाई होगी तो उसे पर ध्यान दिया जायेगा। परन्तु यह समय उपरोक्त प्रश्न उठाने के लिये ठीक नहीं है।

सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: FINAL REPORT OF ROAD TRANSPORT TAXATION ENQUIRY COMMITTEE

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में सड़क परिवहन कर जांच समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा शुरू होगी। इसके लिये 1 घंटा 35 मिनट शेष बचे हैं। अतः माननीय सदस्यों को संक्षेप में बोलना होगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : श्रीमान्, केसकर समिति ने अपना प्रतिवेदन तीन भागों में दिया था—पहला भाग सितम्बर 1966, दूसरा जून 1967 और अन्तिम नवम्बर 1967 में।

Shri Randhir Singh (Rohtak): There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजायी जा रही है। अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्रीचन्द गोयल : केसकर समिति ने सड़क परिवहन कराधान के सम्बन्ध में तीन किश्तों में अपना प्रतिवेदन पेश किया है तथा यह समिति स्पष्टतया इस निकर्ष पर पहुंची है कि सड़क परिवहन व्यवसाय अब लाभप्रद उद्योग नहीं रहा है तथा करों का बोझ बहुत बढ़ गया है। सड़क परिवहन कराधान के बारे में समय-समय पर नियुक्त की गई विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन वर्ष 1950 में आने आरम्भ हुए थे, परन्तु सरकार ने उन समितियों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब इन समितियों की 20 प्रतिशत सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया जाता तो इन समितियों के नियुक्त करने तथा इन पर लाखों रुपये खर्च करने का क्या लाभ है?

महोदय, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सड़क परिवहन उद्योग के सामने कई रुकावटें तथा बाधायें हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है सड़क परिवहन व्यवसाय के अधिकांश लोग धनी नहीं हैं, तथा उनमें से प्रत्येक के पास एक या दो ट्रक हैं तथा वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि नई गाड़ियां खरीद सकें, क्योंकि वर्ष 1936 में जिस ट्रक का मूल्य 2,700 रुपये था, अब उसका मूल्य 45,000 रुपये है। गाड़ियों की कीमत में इतना अन्तर आ गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम पेट्रोल तथा टायरों और ट्यूबों की बढ़ती हुई लागत पर ध्यान दें, तो हम इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिवहनकर्ताओं को वित्त विनियोजकों तथा सामूहिक निकायों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसकी एक और कठिनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कोई परिवहनकर्ता दिल्ली से कलकत्ता जाता है तो उसे 70 अथवा 80 चुंगियों पर कर अथवा रिश्वत देनी पड़ती है और इस प्रकार उसके 77 रुपये खर्च हो जाते हैं। जब उसे दिल्ली से कलकत्ता जाने में विभिन्न राज्यों की विधियों का पालन करना पड़ता है तथा विभिन्न राज्यों को कर देना पड़ता है तो वह अनुभव करता है कि क्या भारत एक देश है अथवा वह कई देशों से होकर जा रहा है? मेरा निवेदन है कि परिवहनकर्ता की इस कठिनाई को दूर किया जाना

चाहिये। इस बात की कई प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई है तथा सड़क परिवहन सम्मेलन में भाषण देते हुए परिवहन मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव ने स्वयं सभी राज्यों से कहा था कि जब तक प्रतिवेदन अन्तिम रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता और सरकार इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं बनाती तब तक सड़क परिवहन पर और कर नहीं लगाया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। राज्य सरकारों ने मंत्री महोदय की बात की कोई परवाह नहीं की है और अन्तिम प्रतिवेदन पेश किये जाने के बाद आंध्र प्रदेश तथा पंजाब ने सड़क परिवहन कर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। मैं समझता हूं दिल्ली प्रशासन भी कर में वृद्धि करने की सोच रहा है। मंत्री महोदय स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सड़क परिवहन पर करों का बोझ बहुत बढ़ गया है और इसे काफी राहत दिये जाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया इस समय बैठ जायें तथा अगली बार बोल सकते हैं। अब आधे घण्टे की चर्चा उठाई जायेगी।

आयकर अधिकारियों की परीक्षा*
INCOME TAX OFFICERS' EXAMINATION**

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आयकर अधिकारियों की भर्ती सम्बन्धी एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, वर्ष 1965 में आयकर विभाग ने आयकर अधिकारियों के 200 पदों के लिये विज्ञापन दिया था और इन पदों को भरने के लिये परीक्षा लेने का निर्णय किया था। परीक्षा वर्ष 1966 में हुई थी, जिसमें 38000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 25 मार्च, 1968 को इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। हमें मालूम हुआ है कि 199 सफल उम्मीदवारों को चुना गया था तथा उन्हें उत्तर दिया गया था कि आपको चुना गया है अथवा चुना जा रहा है। परन्तु उन पत्रों में जो कि उम्मीदवारों को भेजे गये थे इस पंक्ति को काट दिया गया था कि परिणाम 25 मार्च, 1968 को घोषित किये गये थे। इससे यह अर्थ निकलता है कि विभाग ने बाद में अपना विचार बदल दिया था और वह यह नहीं बताना चाहता था कि परिणाम 25 मार्च, 1968 को घोषित किये गये थे।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

साक्षात्कार वास्तव में अक्तूबर, 1968 में पूरे हुए थे और अब हमें पता चला है कि 199 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। परन्तु उम्मीदवारों के चयन में जो कुछ हुआ है, वह एक दुखद कहानी है। चयन निष्पक्ष नहीं हुआ है। लिखित परीक्षा में जिन उम्मीदवारों का नाम

---

* आधे घण्टे की चर्चा
**Half-an-hour Discussion.

पहले 10 के बीच में था उन्हें नहीं लिया गया है। परन्तु इसके विपरीत उन व्यक्तियों को लिया गया है जिनका नाम लिखित परीक्षा में सबसे नीचे था। राजपत्रित अधिकारियों की अवहेलना करके, जो कई वर्षों से राजपत्रित पदों का कार्य-भार संभाले हुए थे, उन विभागों के जिनके प्रतिनिधि साक्षात्कार बोर्ड में थे, लिपिकों तथा सहायकों का चयन किया गया है। साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों ने अपने ही विभागों के व्यक्तियों का चयन किया है। हमने ऐसा भाई-भतीजावाद पहले कभी नहीं देखा। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय ईमानदार व्यक्ति हैं। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इस मामले में विभाग द्वारा मंत्रियों को धोखा दिया गया है और उनको तथ्यों की जानकारी नहीं दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मंत्रियों को तथ्यों की पूरी जानकारी दी जाती तो वे इस योजना से कभी सहमत नहीं होते जिसमें उम्मीदवारों द्वारा लिखित पत्रों में प्राप्त अंकों पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि यह परीक्षा केवल उम्मीदवारों की छंटनी के लिये की गई थी। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि योग्यता की अवहेलना की गई है। यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि अनुभवी और योग्य आयकर अधिकारी विभाग में आयें तथा ऐसे लोग विभाग में आयें जो अपना कर्तव्य निभा सकें तथा जो अपने काम को कुशलता और अच्छे ढंग से कर सकें। आज एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि आयकर की 374.2 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। यह बहुत बड़ी राशि है। मैं समझता हूं कि आयकर की इतनी बड़ी राशि बकाया रहने का कारण यह है कि आयकर अधिकारियों की भर्ती गुणों के आधार पर नहीं की जाती। बल्कि अन्य आधारों पर की जाती है। जिसमें भाई-भतीजावाद एक बहुत बड़ा कारण है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि 199 व्यक्तियों को क्यों भर्ती किया जा रहा है, जबकि 200 पदों का विज्ञापन दिया गया था। अतः 200 व्यक्तियों के भर्ती न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? यह हो सकता है कि चुने गये लोगों में से कुछ इस विभाग में सेवा न करना चाहें और कुछ जो विभाग में आ जाते हैं, इस विभाग में न रहना चाहें। इन आकस्मिकताओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि इस समय आयकर अधिकारियों के 450 पद रिक्त हैं तथा इस बात को देखते हुए कि आयकर की लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि बकाया है, क्या हमें और अधिक आयकर अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है ? अब कहा गया है कि एक और परीक्षा ली जायेगी। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पहले इस मामले में क्या हुआ है। वर्ष 1965 में पदों के लिये विज्ञापन दिया गया था और वर्ष 1968 में भर्ती की जा रही है। अतः इसमें तीन वर्ष लग गये हैं तथा क्या इस बार भी तीन वर्ष और नहीं लगेंगे और क्या इसका आयकर की वसूली पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ?

महोदय, आपको ज्ञात है कि अखिल भारतीय प्रशासन सेवा इत्यादि में लोगों का चयन लिखित पत्र तथा साक्षात्कार दोनों के आधार पर किया जाता है, परन्तु आयकर अधिकारियों की परीक्षा में लिखित पत्रों में ऊंचे अंक प्राप्त करने वालों की बिल्कुल अवहेलना की गई है।

आरम्भ में साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 830 थी, परन्तु बाद में इसे बढ़ाकर 970 कर दिया गया, क्योंकि वे उम्मीदवार जिनमें साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों की दिलचस्पी थी, 830 की मूल सूची में नहीं आते थे। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस गम्भीर मामले पर गम्भीरता से विचार करेंगे तथा इस भाई-भतीजावाद को रोकने का प्रयत्न करेंगे। मेरा निवेदन कि उम्मीदवारों के चयन की नियुक्ति लिखित पत्र तथा साक्षात्कार दोनों के आधार पर होनी चाहिये, न कि कुछ थोड़े से अधिकारियों की मन-मर्जी पर।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, it is a clear case of nepotism. I would like to ask five questions in this regard and request the Hon. Minister to give categorical answers to my questions.

My first question is that the examination was held in December, 1966 and now it is December, 1968. Two years have elapsed since the examination was held. I want to know as to when the result was communicated by the UPSC and why it was not published ?

My second question is whether you are going to publish the result immediately ?

Thirdly I would like to know the arguments given in the writ petition filed in Calcutta High Court, which had made it impossible for you to fill in these vacancies ?

It has been said that 199 persons have been recruited, but in actual fact they have not been given appointments so far. The Hon. Minister has stated that the remaining 199 posts will be filled up as soon as the medical examination and other necessary formalities are carried out.

It clearly shows that those 199 posts which you wanted to fill in by nepotism have not been filled in so far. I want to know whether you now propose to publish the result communicated to you by UPSC and then fill up these posts on merit basis ?

Fifthly I want to know if you have any objection in making this report public whether it will be laid before Parliament ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Keeping in view the malpractices adopted in this examination, I want to know whether a committee will be appointed to conduct a thorough enquiry in this case, so that it may be made known as to what extent nepotism and other under hand means have been adopted in this case ?

So far as the examination held in 1966 is concerned, I want to know whether any criteria has been fixed for an objective test of these officers, because all tests held are always subjective ?

According to Prof. Kaldor in India tax evasion amounts to Rs. 200 to Rs. 300 crores. So I want to know whether in your examination any paper on social service was also prescribed, so that the social out look of the candidate is made known and it is insured that he will work for social welfare and eradication of tax evasion.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, Sir, vested interests are exploiting

the people on the name of merit. Eight per cent of our people are living in villages. But the services—whether it is Income Tax Service, Revenue Service or All India Service like IAS, IPS and IFS have become the monopoly of few people only and only their sons, who have been educated in Public Schools and are clad in well tailored suits are selected for them. Shri Jha has raised a very good question regarding social service. So I want to know as to how many out of these 200 people have done social service and how many of them belong to villages ?

Secondly I want to know whether Government contemplate to fix a quota in services for rural people and want to give them incentive and if not, the reasons therefor?

Thirdly I want to say that 80 per cent members of the UPSC should be *rural based.*

श्री वेदव्रत बरुआ (कालियाबोर): मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि न केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपितु इस बात को देखते हुए भी कि अन्य सेवाओं की अपेक्षा इस सेवा में अधिक ईमानदारी की जरूरत है, आयकर अधिकारियों के पदों के चयन के लिये अधिकतम सावधानी बरती जानी चाहिये थी। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि आयकर अधिकारियों के चयन में वही सावधानी क्यों नहीं बरती गई जो सिविल प्रशासनिक सेवाओं के लिये अधिकारियों के चयन के लिये बरती जाती है। यह एक बहुत गम्भीर बात है कि उन व्यक्तियों का चयन नहीं किया गया जिन्होंने अधिकतम अंक प्राप्त किये थे। प्रशासनिक सेवा के बारे में तो कहा जा सकता है कि प्रशासनिक सेवा के लिये व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जिसकी परख साक्षात्कार में ही हो सकती है, परन्तु आयकर सेवा में तो व्यक्तित्व की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिये तो ईमानदारी की जरूरत है। अतः यदि परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन किया जाता, तो कोई अनुचित बात नहीं होती। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह निश्चित करेगी कि भविष्य में परीक्षा के परिणाम को अधिक महत्व दिया जायेगा और चयन का आधार योग्यता होगी न कि अन्य बात।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के प्रश्नों तथा अपने माननीय मित्र श्री गोयल के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। मेरा निवेदन है कि आक्षेप करने की बजाय और वह भी विशेषतया संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था पर, यदि माननीय सदस्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते तो अच्छा रहता। मैं सभा के समक्ष तथ्य रखना चाहता हूं।

इस बात पर हम सभी सहमत हैं कि बकाया आयकर जल्दी से जल्दी वसूल किया जाना चाहिये। कर निर्धारण का काम बकाया रहने और करों की वसूली बकाया होने की वजह से राजस्व विभाग ने 1964 और 1965 में आयकर अधिकारियों के 553 पद बनाये थे जिनमें से 353 पद दूसरी श्रेणी के हैं और भविष्य में इस संवर्ग में वृद्धि होने की संभावना है।

इस विभाग में बड़े पैमाने पर विस्तार की संभावना को देखते हुए, विशेषतया ऐसी स्थिति में जबकि अतिरिक्त आवश्यकताओं को पदोन्नति से पूरा नहीं किया जा सकता था, यह आवश्यक

हो गया था कि इस विभाग में सीधी भर्ती के जरिये नवयुवकों को नियुक्त किया जाये। सरकार ने यह निर्णय स्वीकार कर लिया था और भर्ती का काम संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया था।

मैं नहीं समझता कि संघ लोक सेवा आयोग से बढ़कर और कोई संस्था ऐसी हो सकती है जो ईमानदार व्यक्तियों की भरती करे। संघ लोक सेवा आयोग ने अक्तूबर, 1965 में भरती के लिए विज्ञापन दिया था। प्रश्न यह उठाया गया है कि इसमें इतनी देरी क्यों की गई है। आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 6 दिसम्बर, 1965 थी और पात्रता की शर्तें दी हुई थीं। संघ लोक सेवा आयोग के पास बहुत से आवेदनपत्र आए हुए थे अतएव उन्होंने यह निर्णय किया कि उन सबकी लिखित परीक्षा ली जाय और उसमें सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाये। यह संघ लोक सेवा आयोग ने 23 अक्तूबर, 1965 की अधिसूचना में निकाला था जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। यह आयोग के निर्णय के ऊपर है कि वह किस प्रकार भरती करे। उन्होंने इसी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया। इस प्रकार का तरीका वे अन्य भरतियों के लिए भी प्रयोग में ला रहे हैं। ऐसा करने में संघ लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र चयन की रीति में कोई अन्तर नहीं आया है जहां कि चयन के लिए लिखित परीक्षा आवश्यक समझा जाता है।

अब हम इसमें देरी होने के कारण को देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के अन्तर्गत कार्य कर रहे एक अपर डिवीजन क्लर्क को लिखित परीक्षा देने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी क्योंकि वह किसी उत्तरदायी पद पर कार्य नहीं कर रहा था जैसा कि निर्धारित था। उसने हैदराबाद के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश पारित करके यह निर्देश दिया कि प्रार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाये और याचिका पर निर्णय लेने तक परिणाम को रोके रखा जाय। इस पर संघ लोक सेवा आयोग ने यह निर्णय किया कि सब प्रार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति दी जाये बशर्ते कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों। इससे परीक्षा की निर्धारित तिथि को स्थगित करना पड़ा। परीक्षा वास्तव में 27 और 28 दिसम्बर, 1966 को हुई।

संघ लोक सेवा आयोग के इस निर्णय से उन लोगों में नाराजगी फैल गयी जिन्होंने इस विचार से आवेदन पत्र नहीं दिया कि वे निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं ऐसे दो व्यक्तियों ने दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसम्बर, 1966 में एक निषेधाज्ञा जारी करके अगले आदेश जारी करने तक परिणाम को प्रकाशित करने के लिए रोक लगा दी। 19 जनवरी, 1968 को न्यायालय ने निषेधाज्ञा हटा दिया और प्रत्यर्थी को परिणाम प्रकाशित करने की अनुमति दे दी बशर्ते कि एक पद रिक्त छोड़ा जाय ताकि अगर प्रार्थी सफल हो जाता है तो उसे वहां रखा जाय। तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने परिणामों को प्रकाशित किया।

संघ लोक सेवा आयोग ने जो लिखित परीक्षा ली उसमें केवल 978 प्रार्थी साक्षात्कार के लिए सफल हो सके। साक्षात्कार मई, 1968 को आरम्भ हुआ और सितम्बर, 1968 तक चलता रहा। अन्तिम परिणाम दो नवम्बर, 1968 को प्रकाशित हुआ और इसमें 199 अभ्यर्थियों को इनकम टैक्स आफीसर (श्रेणीII) की नियुक्ति के लिए सिफारिश की। संघ लोक सेवा आयोग एक और प्रार्थी की सिफारिश उच्च न्यायालय से अन्तिम आदेश प्राप्त होने के बाद ही करेगा।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह लिखित परीक्षा केवल एक अर्हता परीक्षा है जिसके द्वारा अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग ने यह पुष्टि की है कि जब कभी भी तदर्थ भरती की आवश्यकता हुई है तो इसी प्रकार की पद्धति प्रयोग में लाई गई और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सफलता मिलने के बाद ही रखा गया।

साक्षात्कार लेने के लिए जो चार सदस्यों का बोर्ड गठित किया गया था, उसने सब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार काफी ध्यानपूर्वक हुआ। अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया जो कभी साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुए। इस बात पर चर्चा करना भी ठीक नहीं होगा कि संघ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के चुनाव में भाई-भतीजावाद तथा पक्षापातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल 200 पद सीधी भरती से भरे गये और इनकम टैक्स आफीसर (श्रेणी II) के अन्य पद पदोन्नत द्वारा भरे जा रहे हैं जो कि भरती की साधारण पद्धति है।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या ऐसी भरती के समय सम्बद्ध विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अलावा बाहर से भी कोई प्रतिनिधित्व किया जाता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार में ऐसी पद्धति है। पीठासीन अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है। यह जो प्रश्न उठाया गया है कि परिणाम कब घोषित होगा और नियुक्ति आदि कब की जायेगी, इसके बारे में यह कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग ने 199 नाम दिये हैं और उनकी नियुक्तियां पुलिस की जांच तथा डाक्टरी रिपोर्ट के आने पर की जायेगी, यह एक या दो महीने के अन्दर हो जायेगा। मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा कि हमें संघ लोक सेवा आयोग के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। संविधान ने इसको स्थापित किया है और यह उच्चतम न्यायालय के समान है। यह निष्पक्ष भाव से सरकार के उच्च पदों के लिए नियुक्तियां करती है। आप जानते ही होंगे कि संविधान में ऐसे उपबन्ध हैं जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष रहना पड़ता है, इसकी स्वतंत्रता सुरक्षित है। यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण संस्था को जीवित रखा जाय क्योंकि इसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते।

मैंने अभी कहा है कि यह तदर्थ चयन का मामला है और संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रक्रिया को बनाया है, इसमें कुछ कठिनाइयां आईं और इसके कारण देरी हुई, हमें इसका आदर करना चाहिए और अकारण शंका नहीं करनी चाहिए।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1968/12 अग्रहायण 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 3rd December, 1968/Agrahayana 12, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow 24-3 69 – 600.